हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

12 सितम्बर, 1989

खण्ड 2, अंक 2

अधिकृत विवरण

विशय सूची

मंगलवार, 12 सितम्बर, 1989

पृश्ठ संख्या

तारंकित प्र न एवं उत्तर	(2)1
अतारांकित प्र न एंव उत्तर	(2)29
घोशणा–	
अध्यक्ष द्वारा, श्रीमती जसमां देवी, एम0एल0ए0 की	(2)43

गिरफतारी संबंधी	
वाक आउट–	
सर्वश्री मोहम्मद असलम खां तथा बलबीर पाल भााह द्वारा	(2)44
घोशणा–	
अध्यक्ष द्वारा, श्रीमती जसमां देवी, एम0एल0ए0, की जुडि ायल कस्टडी में रिमांड संबंधी	(2)48
विभिन्न विशयों को उठाया जाना	(2)49
ध्यानाकर्शण प्रस्ताव–	
जिला महेंद्रगढ, भिवानी, हिसार तथा जींद आदि में वर्शा न होने के कारण खरीफ की फसल को हानि होने संबंधी	(2)50
वक्तव्य–	
राजस्व मंत्री द्वारा उपर्युक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव संबंधी	(2)51
अनुपस्थिति की अनुमति–	
श्री सुभाश कटियाल, समाज कल्याण मंत्री की	(2)55
वर्श 1989–90 के सप्लीमैंटरी ऐस्टिमेटस(पहली किस्त) पर चर्चा तथा मतदान	(2)56

वैयक्तिक स्पश्टीकरण–	
(1) श्री रघु यादव द्वारा	(2)71
(2) उप मुख्य मंत्री, श्री बनारसी दास गुप्ता द्वारा	(2)73
बिल्ज–	
(1) दि पंजाब ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किट्स (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1989	(2)74
(2) दि हरियाणा प्रिवैं ान औफ डिफेसमैंट आफ प्रोपर्टी बिल, 1989	(2)78
(3) दि फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुले ान एंड डिवैल्पमैंट) अमैंडमैंट बिल, 1989	(2)81
(4) दि पंजाब मैडिकल रिजस्ट्रे ान (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1989	(2)89
(5) दि पंजाब आयुर्वेदिक एंड यूनानी प्रैक्टी ानर्ज (हरियाणा अमैंडमैंट एंड वैलीडे ान) बिल, 1989	(2)91
अपैंडिक्स	(2)93

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 12 सितम्बर, 1989

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9:30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एंव उत्तर

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Notices issued for violation of Pollution Control Act in the State

***952. Shri Hira Nand Arya:** Will the Minister of State for Civil Aviation be pleased to state-

(a) the name of Industries in the State to whom the notices on account of violation of Pollution Control Act were issued by the Pollution Control Board during the years 1987-88, 1988-89 and 1989-90 to-date; and

(b) whether the Govt. of Haryan or Pollution Board has received any complaint the regard to pollution due to emission by the Atlas Factory, Sonipal, Jindal Strips, Hisar and a distillery located at Hisar during the period as referred to in part (a) above; if so, the action takn thereon?

Mr. Speaker: Extension has been asked for in respect of this question which has been granted. The

communication recevied form the Minister concerned in this connection reads as under:-

Interim Reply

D.O.No.A.Q/89-Env.-II

"Hari Singh Saini State Minister Civil Aviation & Environment Haryana, Chandigarh.

Dated 11th Sept., 1989

Dear Shri Chatha Sahib

Kindly refer to the Starred Assembly Question No. 952 asked by Shri Hira Nand Arya, M.L.A. regarding notices issued for violation of Pollution Control Act in the State, which is due for answer in the Haryana Vidhan Sabha on 12-9-1989.

2. In this connection, I am to inform you that the desired information is being collected from the Haryana State Board for Prevention & Control of Water Pollution. The information required is volumnous. And it is likely to take nearly one month to collect and compile the complete and correct information. May, I, therefore, request that an extension of one month may please be accorded.

With kind regards,

Yours sincerely,

Sd/

(Hari Singh Saini)

Shri H.S. Chatha,

Hon'ble Speaker,

Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh."

S.Y.L. Canal

***967.@ Shri Surinder Kumar Madan, Shri Hira Nand Arya:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether the Haryana Government has approached the Central Govt. during the year 1989-90 for the early completion of S.Y.L. Canal; if so, the results thereof?

Irrigation and Power Minister(Shri Verender Singh): Yes, the progress of construction of S.Y.L. in Punjab is. however, slow inspite fo our pressing hard for its early completion.

श्री हीरा नंद आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि एस0वाई0एल0 नहर बनाने के संबंध में हरियाणा सरकार की केंद्रीय सरकार से लेटैस्ट क्या बातचीत हुई है और इस बारे में जो केंद्रीय सरकार के साथ खतोकिताब हुई है उसका क्या जवाब आया है तथा इस को बनाए जाने के लिए

केंद्रीय सरकार ने जो आ वासन दिया है वह कब तक पूरा हो जाएगा?

श्री बीरेंद्र सिंहः स्पीकर साहब, सभी माननीय सदस्यों को इस बात का पता है कि हरियाणा प्रांत को एस0वाई0एल0 नहर से जो पानी मिलना था उसके लिए मौजूदा सरकार ने हरियाणा प्रांत में दो साल तक संघर्श चलाया था। 24 जुलाई, 1985 को राजीव लोंगोवाल अकोर्ड साईन हुआ था। उस अकोर्ड से हरियाणा प्रांत के लोगों में निरा ाा फैल गई थी। उस अकोर्ड से यह जाहिर होने लगा था कि एस0वाई0एल0 का जो पानी हरियाणा प्रांत को मिलना था, जिसके बारे में फैसला हो चुका था उस पानी को बहुत ही ज्यादा घटाया जा रहा है। पानी की मात्रा घटाए जाने के विरोध में चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा में संघर्श समिती का गठन किया और पूरे दो साल तक हरियाणा प्रांत के लोगों ने बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी। यहां तक कि उस संघर्श में हमारे तीन आदमी भाहीद हो गए। 1987 में यह मौजूदा सरकार बनी, तब से इस नहर को कम्पलीट करवाने के लिए सरकार पूरी तरह से चिन्तित है। मौजूदा सरकार आने के प चात् गवर्नमैंट ऑफ इंडिया की 7 चिट्ठियां लिखी गई है। मुख्य मंत्री जी की ओर से 8.9.1987 को प्रधान मंत्री को एक चिट्ठी लिखी गई, 21. 3.1988 को मुख्य मंत्री जी की ओर होम मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखी गई, 26.3.1988 को मुख्य मंत्री जी की ओर से एक मैमोरैंडम बना करके वाटर रिसोर्सिज मंत्री को दिया गया। 2.8.

1988 को मुख्य मंत्री जी ने वाटर रिसोर्सिज मंत्री को एक और चिट्ठी लिखी। 7.12.1988 को मुख्य मंत्री जी की ओर से फिर प्रधान मंत्री जी को एक पत्र लिखा गया। 30.12.1988 को मेरी तरफ से वाटर रिसोर्सिज मंत्री को एक पत्र लिखा गया। 17.3.1989 को मुख्य मंत्री जी की ओर से प्रधान मंत्री को फिर पत्र लिखा गया। दो साल के अर्से तक हमने गवर्नमैंट आफ इंडिया के वेरियस मिनिस्टर्ज को पत्र लिखे है। दो साल के अर्से के दौरान हम सात बार नहर की इंस्पैक ान के लिए मौके पर गए है। लेकिन बड़ी लज्जा की बात है कि प्रधान मंत्री की ओर से हमारी चिट्ठियों का कोई जवाब नहीं आया। (ोम भोम) आप सभी को पता है कि एस0वाई0एल0 नहर को बनाने की प्रोग्रेस बहुत स्लो है और उसको कम्पलीट करने के लिए केंद्रीय सरकार ने 6–7 बार टाईम बढा लिया है। आपको यह भी मालूम है कि इस नहर के लिए कितना पैसा दरकरार था। हरियाणा प्रांत में इसका जो पो ार्न बन चुका है वह केवल 28 करोड़ रूपये में बन कर तैयार हो गया और पंजाब पो ार्न में इस नहर पर जो पैसा खर्च होना था वह 176 करोड़ रूपये से बढ कर 429 करोड़ रूपए हो गया है। यदि इस नहर को बनाने की स्पीड यही रही तो यह 429 करोड़ रूपया 500 करोड़ रूपया भी कौस कर जाएगा। इस नहर को एक पोलिटिकल इ ू बना दिया गया है। यदि इस नहर का पानी हरियाणा प्रांत को मिल जाए तो हरियाणा प्रांत के लिए ही नहीं बल्कि सारे दे ा के लिए हम 8 लाख टन अधिक अनाज पैदा कर सकते है। इसको इसलिये लटकाया जा रहा है कि इस पानी

के मिलने से कहीं चौधरी देवी लाल की सरकार को क्रैडिट न मिल पायें। इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस सरकार यानी राजीव गांधी की सरकार ऐंटी फार्मर है और ऐंटी हरयिाणा है। उनका यह बिहेव बहुत निंदनीय है।

श्री हीरा नंद आर्यः अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों केंद्रीय सरकार ने यह कहा था कि एस0वाई0एल0 नहर की कंस्ट्रक ान का सारा खर्चा केंद्रीय सरकार ही वहन करेंगी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो नहर हरियाणा में पहले ही बन चुकी है उसकी मेंटेनैंस का खर्चा केंद्रीय सरकार नहीं दे रही तो क्या हमारी सरकार इस खर्चे को लेने के लिए गवर्नमैंट आफ इंडिया से क्लेम करेगी।

श्री बीरेंद्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि गवर्नमैंट आफ इंडिया केवल उस पो र्ान का खर्च वहन कर रही है जो कि पंजाब के अंदर बन रहा है। हरियाणा प्रांत ने अपने हिस्से में जो अपना पो र्ान बना लिया है उसकी मेंटेनैंस आदि के लिये कोई पैसा गवर्नमैंट आफ इंडिया हमें नहीं दे रही।

श्री हीरा नंद आर्यः अध्यक्ष महोदय, अगर वे मेंटेनैंस का कोई खर्चा नहीं दे रहे तो उसके लिये इनको भारत सरकार को एप्रोच करना चाहिए।

श्री कैला ा चंद भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अब इस नहर के बनाये जाने का जो अखिरी बार समय बढाया गया है वह कब तक के लिये बढाया गया है? दूसरे मैं यह भी जानना चाहता हूं कि बार बार जो समय बढाया जा रहा है उसका क्या कारण है।

श्री बीरेंद्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, अब केंद्र सरकार ने इस नहर को बनाये जाने की लेटैस्ट डेट 30.6.90 रखी है। बार बार टाईम बढाने की एक वजह है और वह है राजनैतिक। चौधरी देवीलाल राजीव गांधी की आंखों की किरकिरी बन रहे है इसलिए इस नहर को खुदवाया नहीं जा रहा।

डा0 बृज मोहन: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस नहर के न बनने से हरियाणा प्रदे ा को सलाना कितना नुकसान सहना पड़ रहा है?

श्री बीरेंद्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैनें पहले ही अर्ज किया है कि यदि इस नहर का पानी हमें मिल जाये तो हम आठ लाख टन अनाज अधिक पैदा कर सकते है। पैसों के हिसाब से जो पुराने रेट के आधार पर कैलकुलेट किया है उस से हमें सौ करोड़ रूपये सालाना का नुकसान हो रहा है।

श्री रतन लाल कटारिया: अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से केंद्र की बदनियती के कारण एस0वाई0एल0 नहर की खुदाई में डिले हो रही है ठीक उसी प्रकार से बबैन इलाके के अंदर जो

दादूपुर नलवी की योजना है वह भी केंद्र सरकार के पास अधर में पड़ी हुई है। उस इलाके में वाटर लेवल60–70 फीट नीचे चला गया है जिस कारण वहां पर जहरीली गैस बनती जा रही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केंद्र द्वारा इस योजना को कलियर न करने का क्या कारण है?

श्री बीरेंद्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, दादूपुर नलवी योजना पर भाायद कल के लिए सवाल लगा हुआ है। इसलिए मैं इसका जवाब कल दे दूंगा।

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हरियाणा के क्षेत्र में एस0वाई0एल0 नहर का यह पो र्ान कब बनकर तैयार हो गया था?

श्री बीरेंद्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा क्षेत्र में यह पो र्ान 1980 में बन चुका था।

श्री सुरेंद्र कुमार मदानः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब तक एस0वाई0एल0 नहर बन कर तैयार नहीं हो जाती तब तक क्या केंद्र सरकार हम को एस0वाई0एल0 का जो पानी हमें मिलना है, उसको किसी और रास्ते से कम्पनसेट नहीं कर सकती? अगर कर सकती है तो क्या हमारी सरकार ने केंद्र सरकार से यह मामला उठाया है?

श्री बीरेंद्र सिंहः अध्यख महोदय, एस0वाई0एल0 नहर का परनी हमें इसी नहर से ही मिल सकता है। जब तक यह नहर

तैयार नहीं हो जाती तब तक इस नहर का पानी हमें नहीं मिल सकता।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने आखिर में इस नहर का जो विजिट किया था और इस आखिर वाले विजिट से जो पहले विजिट किया था इन दोनों के अंतर में इस नहर की कितनी खुदाई हुई है?

श्री बीरेंद्र सिंहः स्पीकर साहब, बहुत नैगलीजिबल प्रोग्रैस हुई है।

श्री सुरेंद्र कुमार मदानः अध्यक्ष महोदय, एस0वाई0एल0 नहर की जब तक खुदाई नहीं हो जाती तब तक हमें भाखड़ा नहर के जरिए एस0वाई0एल0 नहर का पानी मिल सकता है या भाखड़ा के पानी में हमारा ज्यादा हिस्सा हो सकता है ताकि हम कुछ कम्पनसेट हो सके। क्या यह मामला भारत सरकार के साथ उठाया गया है?

श्री बीरेंद्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि भाखड़ा से पानी हमें 1976 के अकोर्ड के मुताबिक पहले ही बहुत कम मिल रहा है। वैसे भी भाखड़ा नहर में इससे ज्यादा कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है इसलिए और पानी नहीं दिया जा सकता।

श्री हीरा नंद आर्यः अध्यक्ष महोदय, अभी बताया गया है कि एस0वाई0एल0 का काम जून, 1990 तक पूरा हो जायेगा।

यदि मान लिया जाए कि यह जून, 1990 तक कम्पलीट हो जाएगी तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि यह पूरी नहर बनने के बाद भी अगर थीन डैम नहीं बनाया गया तो क्या हरियाणा को उसके हिस्से का पूरा पानी मिल सकेगा, यदि नहीं तो थीन डैम के निर्माण को पूरा कराने के लिए हमारी सरकार केंद्र के साथ क्या कोई प्रयत्न कर रही है?

श्री बीरेंद्र सिंहः स्पीकर सर, जैसे की अखबारों में पढते है कि थीन डैम पर काम चल रहा है लेकिन वहां पर भी काम सैटिस्फैक्टरी नहीं हो रहा। स्पीकर सर, मुसीबत यह है कि हमारी केंद्रीय सरकार इस आर्थिक मुद्दे को भी टोटली राजनैतिक मुद्दा बना रही है, चाहे पंजाब हो या कोई दूसरी स्टेट जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं है या माहौल कांग्रेस के पक्ष में नहीं है, वहां वे चाहते है कि विकास कार्य तेजी से न हो। पंजाब में वहां के नुमाइंदों की सरकार तो है नहीं, वहां भी केंद्रीय सरकार खुद गवर्नर के थ्रू रूल कर रही है लेकिन माहौल उनके पक्ष में नहीं है। इसी प्रकार से जो दूसरी स्टेट्स है जहां केंद्रीय सरकार की मं ाा की सरकारें नहीं है या माहौल कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जा रहा है, वहां केंद्रीय सरकार ने ऐसा रूख अपना लिया है जो राजनीति पर आधारित है उन स्टेट्स के प्रगति के कार्यों को जानबूझ कर इग्नोर किया जा रहा है।

श्री हीरा नंद आर्यः अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वै चन यह था कि अगर एस0वाई0एल0 नहर कम्पलीट हो भी जाती है और

थीन डैम का काम पूरा नहीं हुआ तो क्या हरियाणा को अपने हिस्से का पूरा पानी मिलेगा या नहीं, यदि नहीं तो केंद्र सरकार के साथ इस बारे में कोई विचार–विम र्श हुआ है या नहीं?

श्री बीरेंद्र सिंहः स्पीकर सर, पूरा पानी नहीं मिलगा कुछ कमी रह जाएगी।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, न्याय–युद्ध के दौरान एस0वाई0एल0 को मुद्दा बनाकर हमारी सरकार अस्तित्व में आई। केंद्र सरकार बदनीयत से जानबूझ कर इसको डिले कर रही है, यह बात जाहिर है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या हमारी सरकार इस नहर को कम्पलीट कराने के लिए केंद्र सरकार से और अधिक स्तर पर प्रयास करेगी?

श्री बीरेंद्र सिंहः स्पीकर सर, इसके लिए विपक्ष की ओर से पूरे प्रयास जारी है। चौधरी देवी लाल और दूसरे विपक्षी नेता सारे भारत में ऐसा माहौल पैदा करने में लगे हुए है कि ज्यों ही लोक सभा के इलैक्शन हो, ऐसा माहौल बन जाए कि लोग केंद्रीय सरकार को, जोकि लोगों के हितों से खिलवाड़ कर रही है, और जिसकी कुनीतियों से लोग तंग आ चुके है, बदल दिया जाए। जब केंद्र में हमारी सरकार आएगी तो हम आशा करते है कि सारे मसले हल हो जाएंगे।

मुख्य मंत्री(चौधरी देवी लाल): स्पीकर साहब, आज एस0वाई0एल0 का जिक्र आया है, इस संबंध में मैं भी अपनी कुछ

बात कहना चाह रहा हूं। इस संबंध में हमारे इरीगे ान एंड पावर मिनिस्टर ने कहा है कि कई दफा मीटिंगें हुई और कई दफा खतो–किताबत हो चुकी है। स्पीकर साहब, मैंने भी प्राईम मिनिस्टर को पत्र लिखा था कि मुझे और इरीगे ान एंड पावर मिनिस्टर को मिलने की इजाजत दी जाए ताकि हम एस0वाई0एल0 की नहर की कंस्ट्रक ान में हो रही देरी का कारण बता सकें। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि उस पत्र का जवाब तक नहीं आया। इस संबंध में 9 तारीख को मैं 5.30 बजे राश्ट्रपति से मिला था। उनके सामने मैंने और राजनैतिक बातें तो रखी ही थी साथ ही एस0वाई0एल0 का भी जिक किया। मैंने उनसे कहा कि मौजूदा केंद्रीय सरकार अपोजी ान सरकारों को तोड़ने की कोि ा ा कर रही है। अपोजी ान की सरकारों के जब भी इलैक ान हुए तो जो लीडर थे वे भी सभी वैसे ही काम कर रहे है और वही कायम है। जबसे हमारे ज्योति बसु इलैक्ट हुए है वहीं चेल आ रहे है, एन0टी0 रामाराव जब से लीडर इलैक्ट हुए है वहीं चले आ रहे है। इसी प्रकार मोहन्ता साहब भी अपोजी ान के लीडर के तौर पर जब से इलैक्ट हुए है चीफ मिनिस्टर चले आ रहे है। यही केरल वालों की आद है और मैं तो आपके रूबरू बैठा हूं, बावजूद इस चीज के कि सम्राट का खेल भी खेला गया लेकिन फिर भी मुख्य मंत्री मैं ही हूं। मैने उनसे कहा कि मैं आपके सामन इस वास्ते आया हूं कि केंद्रीय सरकार हर काम को राजनैतिक तौर पर कर रही है। राजस्थान कैनाल सन् 1958 में बननी भाुरू हुई थी और यह वायदा था कि सन्

1972 तक कम्पलीट हो जायेगी लेकिन अब सन् 1989 आ गया है, अभी तक कम्पलीट नहीं हुई है। उस वक्त राजस्थान कैनाल के लिए 67 लाख रूपया मंजूर हुआ था लेकिन अब तक 410 करोड़ रूपया खर्च हो चुका है। अभी तक भी वह नहर तैयार नहीं हुई है। यहीहालत एस0वाई0एल0 नहर की है। एस0वाई0एल0 नहर को दिखाने के लिए चौधरी बंसी लाल ने प्रोग्राम बनाया। इलैक ान का टाईम था और चौधरी बंसी लाल जी उस टाईम पर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर होते थे। उन्होंने पंचों और सरपंचों को एस0वाई0एल0 नहर दिखाने के लिए भाायद 1 करोड़ 78 लाख रूपया खर्च किया। उन्होंने पंचों और सरपंचों को कहा कि चलो आप लोगों को एस0वाई0एल0 नहर का काम दिखाते है कि कितनी तेज रफतार से वहां काम हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मैं दोबारा चीफ मिनिस्टर बन गया तो हरियाणा में उसी दिन पानी पहुंच जायेगा। मैंने राश्ट्रपति जी से कहा कि आज सवा दो साल हो गये है लेकिन अभी तक एस0वाई0एल0 नहर का पानी नहीं आया। मैं आपसे केवल अर्ज करने आया हूं और उसका आप मुझे जवाब यहीं देंगे कि मैं कांस्टिच्यू ानल हैड हूं इसलिए मैं क्या कर सकता हूं। मैं इस बात को मानता हूं और मुझे इतनी ही खु ाी है कि मैं राश्ट्रपति से मिल रहा हूं और चाय पी कर वापिस जा रहा हूं। मैं मेमोरैंडम देता लेकिन मैं समझता हूं कि जिनके खिलाफ मैमोरेंडम देता उनके पास ही उसे आप भेजते इसलिए मैं यह सब बातें जबानी अर्ज करने आया हूं ताकि आपके नोटिस में आ जायें। और भी कई जरूरी बातें थीं जो श्री रे के

संबंध में थी और उग्रवाद के संबंध में थी वे भी मैंन उनसे कहीं। मैंने उनसे कहा कि यह उग्रवाद मौजूदा पंजाब सरकार फैला रही है। जो इस किस्म के लैटर हमें भेजे गये है ये ठीक नहीं है। उग्रवादी लैटर गुरमुखी में लिखते है और वे अपने हाथ से लैटर लिखते है। वे अपनी रिस्पौंसिबिलिटी मानते है लेकिन यह लैटर साइक्लोस्टाइल किया हुआ है, फोटो स्टेट कापी है जो मेरे पास मौजूद है, वह मैं आपके दे रहा हूं। उस लैटर में लिखा है कि जब पानीपत में वारदात हुई उस वक्त हमारे और चीफ मिनिस्टर के बीच फैसला हुआ था कि हम उग्रवादियों को हरियाणा में पनाह देंगें और उग्रवादी हरियाणा में वारदारत नहीं करेंगे। यह हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कहा था लेकिन उस फैसले पर चीफ मिनिस्टर कायन नहीं रहे। इसलिए करनाल में यह वारदात करनी पड़ी और भी वारदातें करेंगे। उसके बाद वारदातें पानीपत और करनाल के दरमियान भी हुई, कैथल में भी हुई, अम्बाला और चंडीगढ में भी हुई।

श्री रघु यादवः स्पीकर साहब, बादल के लड़के को जो जमीन दी है उसका भी ये जिक कर दें। वैसे प्र नोत्तर काल में कोई भाशण नहीं दिया जान चाहिएं।

चौधरी देवी लालः सम्राट होटल वाली बात भी तो आपकी मेहरबानी है। (हंसी) स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि मैंनें ये वाक्यात राश्ट्रपति के सामने रखें। मैंने उनसे कहा कि यह जो लैटर है यह अपने आप ही उसका जवाब है। पानीपत के

वाक्यात के बाद छः वारदातें हो चुकी है। वह कापी मैं उनको दे कर आया हूं। उन्होने कहा कि मैं इस सिलसिले में कांस्टिच्सू ानली कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा कि यह कापी आपकी यादा त के लिए दे रहा हूं। मैंने उनसे यह भी कहा कि हरियाणा में एस0वाई0एल0 का पानी न आने के कारण सौ करोड़ रूपये का सालाना नुक्सान हो रहा है। हिंदुस्तान में तबाही आ रही है क्योंकि न राजस्थान कैनाल तैयार हो रही है और नहीं एस0वाई0एल0 तैयार हो रही है। मैं इस नहर के बारे में प्राईम मिनिस्टर से भी मिला लेकिन फिर भी इस की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। जब मैं फर्स्ट कर्टसी काल के रूप में राश्ट्रपति से मिला तो उन्होंने मुझ से पूछा कि पंजाब के मसले का भी कोई हल है। मैंने उनसे कहा कि मसला कुछ नहीं है, मसला खड़ा किया गया है। इलैक ान से मसला हल हो सकता है। पंजाब में इलैक ान करवा दें और वहां पर जो पब्लिक के रिप्रजैंटेटिव आयें उनसे बात करें तो समस्या का समाधान हो सकता है। जब मैंने यह कहा कि हमारे यहां पानी देने में देरी क्यों हो रही है तो उन्होंने मुझे कहा कि आप प्लानिंग कमी ान की रिपोर्ट को नहीं मानते है और न ही आप राजीव–लोंगोवाल समझौते को मानते है तो फिर आपकी पानी की समस्या कैसे हल हो सकती है। मैंने उनसे कहा कि अगर हमने राजीव–लोंगोवाल समझौता माना होता तो मैं आज आप के बराबर किस कैपेसिटी में बैठता? राजीव–लोंगोवाल समझौता बंसी लाल और भजन लाल ने माना था और उसका नतीजा आपके सामने है। मैंने उनसे यह भी कहा

कि यह नहर पोलिटिकल बिनाह पर नहीं बन रही है। इसलिए आपके सामने आवाज उठायी है ताकि कुछ आपकी भी आवाज उठे। बाकी मैं सम्राट होटल कांड करवाने वालों से कहता हूं कि तुम भी कुछ कोि ा ा करो ताकि यह नहर तो आ जाये।

Abolition of Sales-Tax on Sprinkler Sets

***970. @ Pndit Vasu Dev Sharma, Shri Hira Nand Arya:** Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state-

(a) whether any representation regarding abolition of Sales Tax on the Sprinkler Sets has been received by the Government during the year 1988-89; and

(b) if so, the details thereof togetherwith the action taken or proposed to be taken thereon?

Excise and Taxation Minister(Rao Ram Narain):

(a) Yes sir.

(b) A representation was received from Harvel Irrigation Private Limited in December, 1988 for the grant of exemption from Sales Tax on Sprinkler Sets, which was rejected.

श्री हीरा नंद आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि सेल्ज टैक्स की ऐग्जैम्प ान की जो बात है, क्या यह कांस्टिच्यू ान से बाहर की बात है? हमारे पड़ोस में कुछ कम्पनियां ऐसी है जो फार्मर्ज के नाम पर ऐंट्री दिखाती है

और स्प्रिंकलर्ज सैटस हकीकत में वे लाती है। कायदे के मुताबिक वे इस प्रकार से ला नहीं सकती। मेरे पास ऐसी तीन–चार कम्पनियों के बारे में इंफर्मेशन है कि वे यह–यह अमाउंट चार्ज करती है। जिंदल 31,645 रूपये, एक दूसरी कम्पनी 30,045 रूपये और एक तीसरी कम्पनी 29,403 रूपये चार्ज करती है। यह इन तीनों कम्पनियों के रेट्स है जो वे चार्ज करती है। गाजियाबाद से जो कम्पनियां स्प्रिंकलर्ज सैट्स लाती है, वे इस प्रकार से रास्ता निकाल कर लाती है कि उनको सेल्ज टैक्स बच जाता है। इस तरह से वे लोग अढाई हजारर रूपया खुद फालतू लेते है और हरियाणा सरकार को सेल्ज टैक्स की आमदनी नहीं होती।

Mr. Speaker: Please put the question.

श्री हीरा नंद आर्यः बहुत अच्छा जी। जिस प्रकार से महाराश्ट्र सरकार ने पिछले दिनों स्प्रिंकलर्ज सैट्स टैक्स माफ किया है, मैं आपनी सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह भी सेल्ज टैक्स माफ करने के लिये तैयार होगी.....

श्री अध्यक्षः आर्य जी, आपने तो बहुत लंबा खींच दिया।

श्री हीरा नंद आर्यः मैं यह जानता हूं कि क्या सरकार इस बारे में विचार करेगी कि यह सेल्ज टैक्स माफ किया जाये ताकि किसानों को सीधे तौर पर लाभ हो सके और कम्पनियों में आपसे में कंपिटिशन हो सके?

राव राम नारायणः स्पीकर साहब, यह मामला बड़ी डैप्थ में देखा गया। 1986–87 में सेल्ज टैक्स और स्प्रिकलर्ज सैटस से आमदनी 44 लाख रूपये हुई और 1987–88 में 57 लाख रूपये हुई। हम इस आमदनी को फोरगो नहीं कर सकते। इसलिये हमने इसको रिजैक्ट किया है। जो इस किस्म के डीलर्ज है, जो टैक्स को अवायड करके सामान लाते है, उनके बारे में हमारा महकमा इंवैस्टीगे ान कर रहा है। मैं आनरेबल मैम्बर की इंफर्मे ान के लिये बताउं कि हमने इस तरह के 12,88,488 रूपये के टैक्स इवेजन डिटैक्ट किये है। इस अमाउंट की डिस्ट्रिक्टवाईज डिटेल इस प्रकार से हैः गुड़गांवाः 16,000, महेंद्रगढः 10,10,000, रोहतक 9,000 और भिवानीः 2,52,061 रूपये।

श्री हीरा नंद आर्यः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जिन्होंने इस विशय में टैक्स इवेजन किया है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है? क्या इसमें कोई कम्पनी भी इन्वौल्व की है या जो डीलर्ज की है और विभाग के कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की है, क्या इस की डिटेल बतायेंगे।

राव राम नारायणः स्पीकर साहब, यह इन डिटेल्ज के बारे में तो सवाल था ही नहीं। लेकिन चूंकि इन सैटस पर सबसिडी मिलती है इसलिये हमने ऐग्रीक्लचर डिपार्टमैंट से मैटर टेक–अप किया है कि कौन से डीलर्ज से उन्होंने स्प्रिक्लर्ज सैटस खरीदे है। होता यह है कि डीलर्ज और कुछ अन–स्कूप्लस लोग

मिल जाते है और टैक्स का इवेजन होता है। चूंकि सबसिडी लेने के लिये उनको सरकारी रिकार्ड में जाना पड़ता है इसलिये हमने इस तरह से हुआ टैक्स इवेजन डिटैक्ट किया है। इस बारे में अभी प्रोग्रैस चल रही है।

श्री हीरा नंद आर्य: अध्यक्ष महोदय, यह जो टैक्स इवेजन डिटैक्ट किया है, यह किन वर्शों का किया है। अगर आप पिछले वर्शों की जांच करेंगे तो मैं समझता हूं कि करोंड़ों का इवेजन निकल सकता है और इससे सरकार को लाभ हो सकता है। क्या सरकार ऐसा करेगी?

राव राम नारायण: स्पीकर साहब, हम पिछले सालों का टैक्स इवेजन डिटैक्ट कर रहे है और इस संबंध में लोग काम कर रहे है।

श्री कैला ा चंद भार्मा: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कितने डीलर है जिनके अगेंस्ट दो साल से ज्यादा का टैक्स बकाया है और उनकी जिलेवार संख्या कितनी है तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है?

राव राम नारायण: अध्यक्ष महोदय, इस वक्त डिटेल्ज मेरे पास नहीं है लेकिन जिन डीलर्ज के खिलाफ टैक्स बकाया है उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्यवाही की जा रही है।

सेठ लछमन दास बजाजः अध्यक्ष महोदय, करनाल के अंदर साठ प्रति ात ऐग्रीकल्चरल इम्पलीमैंटस बनते है। इन इम्पलीमैंटस में नट, बोल्ट और स्प्रिंग वगैरह आते है और इन चार परसैंट के हिसाब से टैक्स लगता है–

श्री अध्यक्षः बजाज साहब, यह स्प्रिंक्लर सैटस की बात है, स्प्रिंग्ज आदि की नहीं। आप वहां तक न जाओ।

सेठ लछमन दास बजाजः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ऐग्रीक्लचरल इम्पलीमैंटस पर टैक्स माफ करने पर विचार करेंगे?

Mr. Speaker: No need to reply this question.

श्री हीरा नंद आर्यः अध्यक्ष महोदय, आज फव्वारा सैट से इरीगेट करके अनाज पैदा किया जाता है इसलिए फव्वारा सैट एग्रीक्लचरल इम्पलीमैंटस में भाामिल है। जब ऐग्रीक्लचरल इम्पलीमैंटस पर टैक्स माफ है तो क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगें कि फव्वारा सैट को भी ऐग्रीक्लचरल इम्पलीमैंट मानकर इस पर टैक्स माफ करने पर विचार किया जाएगा।

राव राम नारायणः स्पीकर साहब, इस पर पूरी तरह से गौर किया गया था और गवर्नमैंट लैवल पर भी यह मामला डिस्कस हुआ था। सरकार ने इस पर सबसिडी इंक्रीज कर दी है। पहले तीन हजार सबसिडी दी जाती थी और अब उसको बढाकर चार हजार रूपये कर दिया है।

Vacant Posts of Headmasters/Principals in School/College

***944. Shri Durga Datt Attri:** Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) the district-wise number of Government schools/colleges in which the posts of Headmasters/Principals are lying vacant in the State at present; and

(b) whether there is any shortage of staff in the schools/colleges as referred to in part (a) above; if, so the district-wise and category-wise detaisl thereof?

Mr. Speaker: Extension has been asked for in respedct of this question which has been granted. The communication received from the Minister concerned in this connection reads as under:-

अंतरिम उत्तर

अ0स0प0 क्रमांक 8/31/89

ि ा (5)

''सुशमा स्वराज

मंत्री,

ि ाक्षा विभाग,

हरियाणा,

चंडीगढ।

दिनांक

11—9—1989

विशयः—विधान सभा तारांकित प्र न नं0 944—मुख्यध्यापकों/प्राचार्यों के स्कूल एंव कालेज खाली पदों बारे।

प्रिय चट्ठा जी,

तारांकित प्र न नं0 944 जो विधान सभा में दिनांक 12—9—1989 को लगा हुआ है, में जो सूचना मांगी हुई है, वह सभी महाविद्यालयों/विद्यालयों से एकत्र की जानी है। हाल ही में महाविद्यालयों/विद्यालयों में स्थानान्तरण किए गए है। इस कारण रिक्तियों के संबंध में सूचना सभी संबंधित सस्थाओं से मंगवानी आव यक है। समय के अभाव के कारण सूचना एकत्र नहीं हो पाई है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस प्र न के लिए कम से कम दो मास का समय और दिया जाए।

सादर,

भ्ाुभेच्छु,

हस्ता/

(सुशमा स्वराज)

श्री एचःएसः चट्ठा।

अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा,

चंडीगढ।''

Selling of Land of Municipal Committee, Shahabad

***980. Shri Harman Singh:** Will the Deputy Chief Minister(II) be pleased to state-

(a) whether it is a fact that any plot/Land of Municipal Committee, Shahabad has been sold by any personduring the period from 1981 to 1989; if so, the details thereof; and

(b) whether the seller of the land/plot, referred to in part (a) above, is holding any post in the Municipal Committee, Shahabad; if so, the action, if any, taken or proposed to be taken against him?

Mr. Speaker: Extension has been asked for in respect of this question which has been granted. The communication received from the Minister concerned reads as under%7

Interim Reply

D.O. No. 26/15/89

''मंगल सैन उप मुख्य मंत्री,

हरियाणा, चंडीगढ।

दिनांक 11.9.89

Sir,

Starred Question No. 980 is fixed for reply in the Assembly on 12-9-89. This question as originally intimated to us was for the year 1988-89. We have now received the intimation from Vidhan Sabha Secretariat that the information required is for the period 1981-89. This will take time to colect. It is, therefore, requested that 15 days period may be allowed for this.

Yours faithfully

Sd/-

(Mangal Sein)

Shri H.S.Chatha,

Speaker,

Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh."

तारांकित प्र न संख्या 999

यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, श्री रण सिंह मान इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

Allotment of Plots to the Persons belonging to Scheduled Castes

***987. Shri Udai Bhan:** Will the Minister for Industries be pleased to state-

(a) whether there is any scheme under consideration of the Govt. to allot residential plots to the landless and living below the poverty line persons belonging to Scheduled Castes in the urban areas of the State; and

(b) if so, the details thereof?

Industries Minister(Dr. Kirpa Ram Punia):

(a)No.

(b) Question does not arise.

श्री उदय भानः अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो भूमिहीन हरिजन है उनको प्लाट दिए जाते है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो भाहरी क्षेत्र में गरीबी की रेखा से नीचे के लोग है उनको प्लौट क्यों नहीं दिए जाते?

डा0 किरपा राम पुनियाः अध्यक्ष महोदय, इस मामले में कई सालों तक कंसिड्रे ान किया गया था और हाउसिंग बोर्ड इस स्कीम को इम्पलीमैंट करने के लिए कार्यवाही कर रहा था मगर सारी डिटेल पता करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि फाइनैंि ायल इम्पलीके ांज बहुत ज्यादा है इसलिए स्कीम ड्रौप कर दी।

श्री रतन लाल कटारियाः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, इस सरकार में दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व करते है और इनको हरिजन बस्तियों में जाने का मौका मिलता है। मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि व्यक्तिगत तौर पर क्या ये अनुभव करते है ये प्लौट दिए जाने चाहिए या नहीं और आज के समय में उनको प्लाटों की आव यकता है या नहीं?

डा0 किरपा राम पुनियाः स्पीकर साहब, इनकी बात बिल्कुल ठीक है। समस्या बड़ी गम्भीर है और इसके समाधान की आव यकता है। समाज कल्याण विभाग ने कई साल पहले इस पर गौर किया था लेकिन हाउसिंग बोर्ड ने इसकी इम्पलीमैंटे ान में फाइनैंि ायल इम्पलीके ांज की बात कही। उन्होंने महसूस किया कि इतना पैसा उपल्बध नहीं हो पाएगा। इसलिए स्कीम को ड्रौप कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर सोच विचार करके इस समस्या का समाधान करने की कोि ा ा करूंगा।

Breed of Cows Sold in the State

***973. Shri Kailsh Chand Sharma:** Will the Minsiter of State for Animal Husbandry be pleased to state-

(a) whether the Government had sold any Holtan, Frizan and Jarsi breed of cows at concessional rates to the farmers during the year 1987-88; if so, the districtiwise number of farmers to whom the cows were sold; and

(b) the sale price fixed togetherwith the subsidy, if any, given for each of the cows as referred to in part (a) above?

प ुपालन राज्य मंत्री(श्री अजमत खॉ):

(क) जीं नहीं।

(ख) प्र न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री कैला ा चंद भार्मा: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जब सरकार गायों की अच्छी नस्ल तैयार कर रही है तो इसका लाभ किसानों तक क्यों नहीं पहुचाया जाता?

श्री अजमत खॉ: स्पीकर साहब, ये गायें सीमन द्वारा नस्ल सुधारने के लिए रखी जाती है जमींदारों को नहीं दी जाती है।

श्री कैला ा चंद भार्मा: क्या मंत्री महोदय हर जिला हैड क्वार्टर पर इस तरह के सैंटर खोलने पर विचार करेंगे?

श्री अजमत खॉं: स्पीकर साहब, इस तरह के सैंटर हर जिले हैडक्वार्टर पर खोलें जाएंगें।

Repair of damaged foot-paths

***992. Shri Kundan Lal Bhatia:** Will the Deputy Chief Minister (II) be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the foot-paths of Sectors 1, 2, 3, 4 and 5 of Faridabad Township; if so, the time by which these are likely to be repaired\

उप–मुख्य मंत्री(डा0 मंगल सैन): हां। फरीदाबाद टाउनि ाप के एनःएचः–1 एनःएचः–2, एनःएचः–3 और एनःएचः–5 के फुटपाथों जिनका क्षेत्रफल 31,678 वर्ग मीटर है, का रख–रखाव फरीदाबाद समव्यूह प्र ाासन द्वारा किया जा रहा है। इन की मुरम्मत के कार्य पर चालू वित वर्श 1989–90 में आदरणीय विधायक महोदय के प्रयासों से लगभग 4.75 लाख रूपये खर्च करने का अनुमान है। एनःएचः–4 के फुटपाथों का रख–रखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है।

श्री कुंदन लाल भाटिया: अध्यक्ष महोदय, क्या उप मुख्य मंत्री महोदय यह बताने (10.00बजे) का कश्ट करेंगे कि फरीदाबाद टाउनि ाप के सैक्टर्ज 1, 2 व 3 के फुटपाथों की मुरम्मत का काम कब तक पूरा हो जाएगा?

डा0 मंगल सैन: स्पीकर साहब, यह काम चालू वित वर्श में पूरा हो जाएगा।

इं0 जगपाल सिंह चौधरीः अध्यक्ष महोदय, उप मुख्य मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि एनःएचः–4 के फुटपाथों को सैंट्रल पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा मेनटेन किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे वाकई सही तरीके से मेनटेन हो रहे है?

डा0 मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, ठीक मेनटेन हो रहे है। अगर कोई खराबी होती तो ये अव य ि ाकायत करते।

Registration of Medical Practitioners in the State

***991. Seth Lachhman dass Bajaj:** Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) the total number of Ayurvedic Registered Medical Practitioners in the State as at present;

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to open Ayurvedic Dispensaries during the year 1989-90 in the State; and

(c) if so, the steps if any taken or proposed to be taken to promote the Ayurvedic Medical system in the State?

स्वास्थ्य तथा आयुर्वेदिक मंत्री(श्रीमती कमला वर्मा):

(क) रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक चिकित्सकों की कुल संख्या–16854

(ख) नहीं।

(ग) भारत सरकार ने सहयोग से राज्य में आयुर्वेदिक पद्धति के उत्थान हेतु भिवानी में आयुर्वेदा रिसर्च सैंटर स्थापित किया जा रहा है।

डा0 बृज मोहनः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने रजिस्टर्ड मैडिकल प्रैक्टि ानर्ज की बाबत तो बता दिया कि इस समय स्टेट में उनकी संख्या 16854 है लेकिन मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि इस समय स्टेट में अन–रजिस्टर्ड मैडिकल प्रैक्टि ानर्ज कितने है?

श्रीमती कमला वर्माः लगभग तीस हजार।

सेठ लछमन दास बजाजः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार इस समय दूसरे प्रांतों के अंदर अन–रजिस्टर्ड मैडिकल प्रैक्टि ानर्ज की रजिस्ट्रे ान हो रही है क्या उसी प्रकार हमारी स्टेट के अंदर भी सरकार इस बात को महत्व देगी कि यहां पर जितने अन रजिस्टर्ड मैडिकल प्रैक्टि ानर्ज है उनको भी रजिस्टर्ड कर दिया जाए ताकि वे अपना काम आसानी से खुलेआम कर सके। इससे सरकार को काफी आमदनी हो सकती है। क्या सरकार ऐसा करने का विचार रखती है?

श्रीमती कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, 1976 से सैंट्रल ऐक्ट लागू हुआ जिसके आधार पर हम अनुभव पर कोई रजिस्ट्रे ान नहीं कर सकते 1970–72 में रजिस्ट्रे ान खुली थी उसमें लगभग 13755 चिकित्सों को रजिस्टर्ड किया गया था। अब

सैंट्रल ऐक्ट लागू होने के कारण हम रजिस्ट्रे ान नहीं खोल सकते जो रिकोगनाइज्ड इंस्टीच्यू ानज से पढकर आते है, उनमैं से लगभग 200 चिकित्सों की प्रति वर्श रजिस्ट्रे ान हो रही है।

श्री हरनाम सिंहः अध्यक्ष महोदय, बहन जी ने अभी अपने उत्तर में बताया कि इस समय स्टेट के अंदर तीस हजार अन–रजिस्टर्ड मैडिकल प्रैक्टि ानर्ज है। लेकिन वे प्रैक्टिस तो कर ही रहे है। अगर उनको सैंट्रल ऐक्ट की वजह से सरकार रजिस्टर्ड नहीं कर सकती तो उनको कोई ट्रेनिंग देकर के या सर्टीफिकेट देकर उनमें जो योग्य व्यक्ति हों, उनको बकायदा सरकार लीगेलाइज कर दे तो वे अपना काम धंधा कर सकते है। इससे सरकार को भी लाभ होगा और लोगों को भी सुविधा रहेगी। क्या सरकार इस तरह का कोई प्रावधान करने पर विचार रखती है?

श्रीमती कमला वर्माः स्टेट गवर्नमैंट की ओर से कई बार सैंट्रल गवर्नमैंट व आयुर्वेदिक कौंसिल को लिखा जा चुका है लेकिन उन्होंने इसकी स्वीकृति नहीं दी।

डा0 बृज मोहनः स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने बताया कि तीस हजार अन–रजिस्टर्ड डाक्टर्ज है। मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि ये अन्दाजें से बताएं कि इनमें से क्वालिफाइड कितने है और अन–क्वालिफाइड कितने है और जो देहात में बैठे है जिनको कुछ नहीं आता, उनके बारे में क्या विचार कर रहे है?

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, कुछ डिग्रीज ऐसी है जैसे आयुर्वेदिक रत्न, आयुर्वेदिक भास्कर या विद्या पीठ देहली की डिग्रीज जिनकी अब सैंट्रल गवर्नमैंट ने मान्यता बंद कर दी है। इसलिए जिन्होंने ये डिग्रीज ली हुई थी, वे प्रैक्टिस तो कर रहे है लेकिन वे स्टेट गवर्नमैंट की रजिस्ट्रे ान में रजिस्टर्ड नहीं है।

श्री अध्यक्ष: कम से कम यह तो है कि सप्लीमेंटरी पूछने वाला भी रजिस्टर्ड है और जवाब देने वाला भी रजिस्टर्ड है। (हंसी)

श्री रतन लाल कटारिया: अध्यक्ष महोदय, मैं आदणीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि मुकंद लाल इंस्टीच्यू ान के अंदर आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के प्रोत्साहन के लिए एक विद्यालय बनाया गया है और मुख्य मंत्री जी ने उसके लिए दस लाख रूपए मैचिंग ग्रांट के भी दिए है। क्या उसके अंदर विद्यार्थियों के प्रवे ा के लिए रजिस्ट्रे ान की जाएगी?

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, अभी तक प्रांतीय सरकार का केवल एक ही गवर्नमैंट कालेज है जो कुरूक्षेत्र में है। रादौर के लिए विचार करना पड़ेगा।

इं0 जगपाल सिंह चौधरी: स्पीकर साहब, श्री लछमन दास बजाज सारे एम0एल0एज0 को खांसी और दमें की दवाई देते है क्या ये रजिस्टर्ड है या नहीं? (हंसी)

श्रीमती कमला वर्माः ये अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है।

श्री हीरा नंद आर्यः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने बताया कि ये आयुर्वेदिक रिसर्च सैंटर भिवानी में खोलने जा रहे है। उस सैंटर के लिए जो साधन उपलब्ध करवाए जाने चाहिए, उनमें से कितने साधन उपलब्ध करवा दिए है, कितने बाकी रहते है और उसको कब तक चालू कर दिया जाएगा?

श्रीमती कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, उसके लिए अभी कुछ सप्ताह पहले विधिवत रूप से हमें केंद्र से स्वीकृति मिली है। भवन तैयार है हम जल्दी ही मुख्य मंत्री महोदय से समय लेकर उसका उद्घाटन करेंगे।

श्री भागी रामः स्पीकर साहब, आज एम0बी0बी0एस0 डाक्टर हर गांव में सरकार नहीं दे पा रही है। आर0एम0पी0 या दूसरे जिन्होंने 1972 के बाद किसी से काम सीखा है वे लोग आज हर गांव में बैठे है अपना काम कर रहे है। तो गांव वालों की मुसीबत को देखते हुए इस पर दोबारा सोच कर सैंटर से बातचीत करके दोबारा रजिस्ट्रे ान खोलने का प्रयत्न किया जाएगा?

श्रीमती कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, बहुत बार प्रयास किया गया है और आगे भी किया जाएगा लेकिन अभी तक केंद्रीय सरकार से स्वीकृति नहीं मिल रही।

सेठ लछमन दास बजाजः स्पीकर साहब, साधु संतों के पास ऐसे नुक्से है जो मिनटों के अंदर आराम कर देते है।

ऐलोपैथी के अंदर सिवाए आप्रे ान के कोई ईलाज नहीं है। तो क्या ऐसे साधु संतों से उन्हें इकट्ठा करेंगें।

श्रीमती कमला वर्मा: स्पीकर साहब, हमने बजाज साहब पर इसीलिए किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया, वे दवाई देते रहे।

श्री कुंदन लाल भाटिया: स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन आदमियों को अभी तक लाइसैंस नहीं मिला, उन पर क्या ऐक ान हो रहा है?

श्रीमती कमला वर्मा: स्पीकर साहब, हालांकि इसका इस सवाल से कोई संबंध नहीं है फिर भी मैं बताती हूं कि लाइसैंस के लिए हमारे आयुर्वेदिक डाक्टर चैकिंग करते है। अगर भवन और इक्विपमैंट ठीक हों तो लाइसैंस दिया जाता है।

Women Education

***995. Shri Bhagwan Sahai Rawat:** will the Minister for Education be pleased to state the steps, if any, taken or proposed and particularly in the Mewat Area?

ि ाक्षा मंत्री(श्रीमती सुशमा स्वराज): राज्य में लड़कियों की ि ाक्षा को बढावा दैने के लिए, राज्य सरकार द्वारा जो पग उठाये गये है अथवा उठाये जा रहे है, उनके बारे विस्तृत सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

1 वर्श 1985–86 से लेकर 1988–89 की अवधि में राज्य में कन्याओं के लिए 400 रा0 प्रा0 वि0 खोले जा चुके है। इनमें बीस विद्यालय मेवात क्षेत्र में खोले गए है। चालू वर्श मैं कन्याओं के लिए सौ और रा0 प्रा0 वि0 खोलने का प्रस्ताव है।

2 वर्श 1988–89 तथा 1989–90 के दौरान राज्य में कन्याओं के लिए 62 रा0 प्रा0 तथा 28 रा0 प्रा0 विद्यालयों का स्तर बढाकर कम ाः माध्यमिक तथा उच्च कर दिया गया है। चालू वर्श में कन्याओं के ही 8 रा0 उच्चविद्यालयों का दर्जा बढाकर व0 मा0 वि0 कर दिया गया है।

3 मेवात क्षेत्र में महिला अध्यापकों की कमी की संभावना को समाप्त करने के उद्दे य से जिला गुड़गांव में फिरोजपुर नामक के स्थान पर रा0 जे0 बी0 टी0 स्कूल में जे0 बी0 टी0 अर्थात डिप्लोमा–इन–ऐजुके ान की कक्षाएं चलाई जा रही है। इन कक्षाओं में 50 लड़कियां, जिनमें से अधिकतर मेवात क्षेत्र की ही है, दाखिल है

4 रा0 ि ाक्षा संस्थाओं में 12 श्रेणी तक लड़कियों के लिए निः ाुल्क ि ाक्षा है।

5 चालू वर्श में अनुसूचित जातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों की लड़कियों के लिए मुफ्त वर्दी देने हेतु 129.00 लाख रूपये की धन रा ि ा उपलब्ध करवाई गई है।

6 प्राथमिक ि ाक्षा स्तर पर पढ रही अनुसूचित जातियों की कन्याओं को उपस्थिति पुरस्कार देने के लिए 180.00 लाख रूपये की धन रा ि ा का इस वर्श के विभागीय बजट में प्रावधान है।

7 मैचिंग ग्रांटस स्कीम के तहत कन्याओं के लिये नये स्कूल खोलने हेतु समुदाय द्वारा जितनी धन रा ि ा एकत्रित की जाती है उससे दुगुनी रा ि ा कन्याओं की ि ाक्षा को बढावा देने के उद्दे य से राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।

8 घुमंतू कबीलों के बच्चों, जिनमें लड़कियां भी भाामिल है, को स्कूलों में प्रवे ा देने के उद्दे य से एक वि ोश प्रोत्साहन योजना बनाई गई है। जिसके अधीन चालू वर्श के लिए एक करोड़ रूपए की धन रा ि ा सरकार द्वारा स्वीकृत की हुई है।

9 उच्चतर ि ाक्षा के सुविधा राज्य के सभी 133 कालेजों में है जिनमें से 33 महाविद्यालय केवल लड़कियों के लिए है, जबकि भोश सह ि ाक्षा महाविद्यालय है।

10 मेवात क्षेत्र में स्थित सभी महाविद्यालय सह ि ाक्षक के है। लड़कियों के लिए कुछ महाविद्यालय खोलने के प्रस्ताव पर अगली पंच वर्शीय योजना में विचार किया जायेगा।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय ि ाक्षा मंत्री महोदया ने मेन सवाल के जवाब में जो विस्तृत सूचना सदन के पटल पर रखी है उसके सीरियल नम्बर दो पर जो चालू वर्श में

कन्याओं के ही 8 राजकीय उच्च विद्यालयों का दर्जा बढाकर सीनियर सैकेंडरी स्कूल कर दिया गया है इनमें से मेवात क्षेत्र के हथीन हल्के में कितने स्कूल है? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इसी सूचना के सीरियल नम्बर 9 पर जो लिखा है कि 33 महाविद्यालय केवल लड़कियों के लिए है इनमें से फरीदाबाद जिले में और मेवात क्षेत्र में कोई कालेज केवल लड़कियों के लिए है?

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के पहले सवाल का जवाब यह है कि वर्श 1988–89 और 1989–90 के दौरान हरियाणा प्रांत में लड़कियों के लिए 62 राजकीय प्राथमिक और 28 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों का स्तर बढाकर कम ाः माध्यमिक और उच्च कर दिया गया है और आठ राजकीय उच्च विद्यालयों का दर्जा बढाकर सीनियर सैकेंडरी कर दिया गया है। सीरियल नम्बर नौ के बारे में मैं इनको बताना चाहूंगी कि 33 महाविद्यालय केवल लड़कियों के लिए चल रहे है। मेवात एरिया में तीन कालेज चल रहे है उनमें से लड़कियों के लिए अलग से कोई कालेज नहीं है, वे को–ऐजुके ान कालेज है।

श्री रतन लाल कटारियाः स्पीकर साहरब, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि राश्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की लिट्रेसी कितनी है और हरियाणा प्रांत में कितनी है?

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रांत में महिलाओं की लिट्रेसी परसैंटेज 22 है और सारे दे ा की टोटल ऐवरेज लिट्रेसी परसैंटेज 36 है। लेकिन महिलाओं की अलग से नहीं है।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, ि ाक्षा मंत्री महोदया ने जो विस्तृत सूचना सदन के पटल पर रखी है इसमें बताया है कि वर्श 1985–86 से लेकर 1988–89 के दौरान राज्य में लड़कियों के लिए 400 राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोले गए है जिनमें से केवल बीस विद्यालय मेवात क्षेत्र में खोले गए है। यदि परसैंटेज के हिसाब से देखा जाए तो मेवात क्षेत्र में केवल पांच परसैंट विद्यालय खोले गए है जबकि वहां की जनसंख्या के मुताबिक 16 परसैंट विद्यालय खोले जाने चाहिए थे। मेवात और फरीदाबाद जिले में केवल तीन कालेज है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड से जमीन और पैसे की सहायता उपलब्ध करवा करके वहां पर हथीन क्षेत्र में कोई लड़कियों का कालेज खोलने के बारे में विचार करेगी?

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, मेवात क्षेत्र का चहुमुखी विकास करने के लिए मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड का गठन किया गया था। यदि मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड मेवात क्षेत्र में कोई कालेज या स्कूल खोलने के लिए हमें अपनी स्कीम तैयार करके देगा तो जरूर खोलेंगे। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, आठवीं

पंचवर्शीय योजना में 23 कालेज खोलने का सरकार का विचार है जिसमें मेवात में भी कालेज खोला जाना विचाराधीन है।

श्री उदय भानः स्पीकर साहब, जो 33 कालेज लड़कियों के लिए है उनमें से फरीदाबाद जिलें में कितने है?

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, जिला फरीदाबाद में लड़कियों के लिए दो कालेज है। एक डी0एन0 कालेज फरीदाबाद और दूसरा सरस्वती महाविद्यालय, पलवल।

श्री मुनी लालः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि जो दस जमा दो प्रणाली के स्कूल अपग्रेड किए गए है क्या उनमें महेंद्रगढ डिस्ट्रिक्ट में भी कोई लड़कियों के स्कूल अपग्रेड किए गए है?

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, लड़कियों के लिए अलग से कोई दस जमा दो प्रणाली का स्कूल अपग्रेड नहीं किया गया। केवल दो, दस जमा दो प्रणाली के स्कूल अपग्रेड किए गए है। एक करखेड़ा का और दूसरा खेड़ी तलवान का स्कूल अपग्रेड किया गया है। ये दोनों स्कूल को ऐजूके ानल है।

श्री रतन लाल कटारियाः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मेवात एरिया में महिलाओं को ऐजूके ान की दृश्टि से प्रोत्साहन देने के लिए योजना बनाई गई है और जिस प्रकार से मुख्य मंत्री जी ने खानाबदो ा लोगों को ि ाक्षा की तरफ आकर्शित करने के

लिए योजना बनाई है क्या उसी प्रकार से हरिजन महिलाओं को ि ाक्षा की दृश्टि से उन्नत करने के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, मेन सवाल के जवाब में जो विस्तृत सूचना सदन के पटल पर रखी गई है यदि माननीय सदस्य उसको पढ लेते तो भाायद उनको यह सवाल नहीं पूछना पड़ता। हरिजन लड़कियों को प्रोत्साहन देने के लिए पहले से ही हमारे विभाग में योजनाएं चल रही है। हरिजन लड़कियों को मुफत वर्दी देने के लिए 129 लाख रूपए उपलब्ध कराए गए है और प्राथमिक ि ाक्षा स्तर पर पढ रही हरिजन लड़कियों को उपस्थिति पुरस्कार देने के लिए इस वर्श विभागीय बजट में 180 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। माननीय सदस्य जरा इसको पढने का कश्ट करें।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि मेवात क्षेत्र में महिला अध्यापिकाओं की कमी को ध्यान में रखते हुए जो राजकीय जे0बी0टी0 विद्यालय फिरोजपुर नमक में खोला हुआ है क्या उसमें अलग से उस क्षेत्र की लड़कियों के लिये रिजर्वे ान की व्यवस्था है? अगर नहीं है तो लड़कियों की ऐजुके ान को और मेवात क्षेत्र की महिला ि ाक्षा को बढावा देने के लिए क्या अलग से रिजर्वे ान पर विचार किया जायेगा?

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, वास्तव में फिरोजपुर नमक में जब ऐडमि ान की जा रही थी तो उस समय इलाके की हालत को देखते हुए रिजर्वे ान कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद कुछ बच्चे जिनको एडमि ान नहीं मिला था हाई कोर्ट में चले गए। हाईकोर्ट से वह स्ट्रक डाउन हो गया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर बहाल कर दिया। इसलिये ये जो 50 लड़कियां वहां जे0बी0टी0 की ि ाक्षा प्राप्त कर रही है वे बहुदा उसी इलाके की है।

डा0 बृज मोहनः अध्यक्ष महोदय, हरिजन बच्चों के लिये जो कपड़े आदि के लिए स्टाईपैंड दिया जाता है वह स्कूलों में भेजा जाता है। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि जिस समय वह पैसा इन बच्चों को दिया जाता है क्या वह उनको समय पर मिल जाता है या 6–6 मास या एक–एक साल बाद दिया जाता है? आम तौर पर यह देखा गया है कि यह पैसा बाद में दिया जाता है। क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि वह पैसा जो दिया जाता है क्या वह समय पर दिया जाता है? यदि नहीं, तो क्या भविश्य में समय पर इस पैसे को देने की व्यवस्था की गई है?

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने जो कहा है वह बिल्कुल सही कहा है। अभी तक जो प्रथा चल रही थी उसके अनुसार सै ान का अंत आ जाता था लेकिन वर्दियां तब तक बच्चों को नहीं दी जाती थी लेकिन अब हमने इस व्यवस्था में सुधार किया है। अब आगे के लिए हमारा

पैट्रन यह होगा कि जब सै ान प्रारम्भ हो उसी समय उनको वर्दिया दे दी जायें। इस बार क्योंकि हम कुछ लेट हो गए थे इसलिये उनको समय पर वर्दियां नहीं दे सके। इस सै ान की वर्दिया अभी हम भेज रहे है लेकिन पुराना ऐक्सपीरिएंस जो ये बता रहे है वह बिल्कुल सही है कि सै ान का अंत आने पर ही वर्दियां दी जाती थी। अब व्यवस्थित सुधार के बाद इस तरह की कोई ि ाकायत इनको या किसी को नहीं मिलेगी।

श्री भागी रामः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया को बताना चाहता हूं कि सिरसा जिले में ऐलनाबाद कांस्टिचुऐंसी के अंदर ऐलनाबाद और रतिया दो कस्बे पड़ते है लेकिन इन दोनों कस्बों में अभी तक न तो कोई लड़को का कालेज है और न ही कोई लड़कियों का कालेज है। अभी मंत्री महोदया ने अगली पंचवर्शीय योजना में कालेज खोलने की बात कही है। इसलिये मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि क्या वहां पर भी कोई कालेज खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

श्रीमती सुशमा स्वराजः बिल्कुल विचाराधीन है। मैंने कहा है कि आठवीं पंचवर्शीय योजना के अंदर हमने 23 नए कालेजिज खोलने का प्रस्ताव रखा है, उस समय ऐलनाबाद में भी खोलने का प्रस्ताव हमारे विचाराधीन है।

डा0 बृज मोहनः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि पलवल में जो सरस्वती गर्ल्ज कालेज है उसको

जो ग्रांट सरकार की तरफ से जानी है, वह जायेगी या नहीं? अगर जायेगी तो कब तक चली जायेगी?

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष जी, यह केस अभी अंडर कंसिड्रे ान है क्योंकि जिस समय इस कालेज ने हमसे एन0ओ0सी0 लिया था उस समय उसे एन0ओ0सी0 इसी भार्त पर दिया गया था कि वह पांच वर्श तक कोई ग्रांट न मांगे लेकिन फिर भी सरकार उसको ग्रांट देने पर विचार कर रही है।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया की जानकारी में लाना चाहूंगा कि जिला फरीदाबाद में एक भी ओ0टी0, बी0एड0 डिप्लोमा इन ऐजूके ान की क्लासिज या ट्रैनिंग कोर्सिज नहीं है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वहां पर डाइट स्कीम के अतिरिक्त और जिलों की भांति ओ0टी0, जे0बी0टी0 आदि के ट्रेनिंग कोर्सिज खोलने का विचार किया जायेगा?

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष जी, इस समय मेवात क्षेत्र के फिरोजपुर नमक को छोड़कर कहीं भी कोई जे0बी0टी0 और ओ0टी0 का कोर्स नहीं चल रहा है। जैसा इन्होंने डाइट स्कीम के बारे में कहा, इस बारे में मैं इन्हें बताना चाहूंगी कि डाइट स्कीम के तहत हम 12 के 12 जिलों में ओ0टी0 और जे0बी0टी0 प्र ि ाक्षण केंद्र न खोला जाये।

श्री जय सिंह राणाः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि आठवीं पंचवर्शीय योजना में जो 23 नए कालेज खोले जाएंगे, उस समय करनाल में भी कोई कालेज खोला जायेगा?

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष जी, 23 नए कालेजों के खोलने के संबंध में हमने हरेक जिले का ध्यान रखा है। करनाल जिला भी हरियाणा प्रांत का ही एक जिला है इसलिए उसका भी प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री हीरा नंद आर्यः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने आज भी आ वासन दिया है कि डाइट स्कीम के तहत ओ0टी0 और जे0बी0टी0 ट्रेनिंग सैंटर खुल रहे है। इस बारे में दो साल से हाउस में लगातार आ वासन दिए जा रहे है कि ये सैंटर खुल रहे है लेकिन अभी तक कहीं पर भी नहीं खोले गए है। अब मैं इन से यह जानना चाहता हूं कि ये ट्रेनिंग सैंटर खुल रहे है या नहीं। अगर खुल रहे है तो कब तक खोल देंगे?

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष जी, इस बारे में मैं स्थिति बिल्कुल स्पश्ट कर देती हूं। इस बार आठ ट्रेनिंग सैंटरों को ऐडमि ान नोटिस में तो तुरन्त जारी होने वाला है क्योंकि आठ स्थानों के लिये हमें भारत सरकार अपनी अनुमति दे चुकी है। तीन स्थानों पर हरियाणा सरकार द्वारा ये सैंटर खोले जा रहे है। ये है बीसवां मील, सोनीपत, गुड़गांव और भिवानी जिले में

लोहारू। ये जो सैंटर हम खोलने जा रहे है उनके तो तुरन्त ऐडमि ान नोटिस होने जा रहे है। इसमें देरी महज इस वजह से हुई कि हम यह चाहते थे कि हर जिले के बच्चों को जरूर जे0बी0टी0 में प्र ि ाक्षण मिलें। हम यह चाह रहे थे कि इक्ट्ठा ऐडमि ान नोटिस जारी करें इनके लिये सैंट्रल गवर्नमैंट से ग्रांट आनी है। आठ सैंटर की तो हमें अनुमति मिल गई थी। हम चाहते थे कि आठौं ये और तीन जो राज्य सरकार खोलने जा रही है, यानि इन 11 ट्रेनिंग सैंटरों का ऐडमि ान नोटिस इक्ट्ठा निकालें लेकिन उनकी तरफ से थोड़ी डिले हो रही है। बल्कि अब हमने इस देरी को कट करने के लिए यह सोचा कि पांच का तो ऐडमि ान नोटिस अभी जारी कर दें और बाकी 6 का कुछ दिनों के बाद। 5 का ऐडमि ान नोटिस अब हम पहले इसलिए कर रहे है कि सैंटर ने अपने 8 सैंटरों में से 2 के पैसे हमारे पास भेज दिए है और तीन राज्य सरकार द्वारा खोले जा रहे है। इसलिए यही निर्णय लिया गया कि देरी को कम करने के लिये इन 5 स्थानों का ऐडमि ान नोटिस अभी जारी कर दें, बाकी का बाद में। ये सभी सैंटर खुलने जा रहे है। मैं सदस्यों को बताना चाहूंगी कि कोई गलत आ वासन सदन में हमारी ओर से नहीं दिए जाते है।

श्री दुर्गा दत्त अत्रीः स्पीकर सर, पिछली बार के सै ान में इक्क्स में डाइट के तहत स्कूल खोलने का आ वासन दिया गया था लेकिन अभी तक इस बारे कोई कार्यवाही नहीं की गई।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि क्या वहां पर डाइट स्कीम के तहत स्कूल खोला जायेगा या यह आ वासन ही रहेगा?

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष जी, पहले सवाल के जवाब में भी मैंने बताया था कि दो सैंटरों का पैसा सैंटर गवर्नमैंट से आ चुका है लेकिन 6 स्वीकृत सैंटरों का पैसा अभी आना भोश है। डाइट स्कीम के तहत 8 सैंटर स्वीकृत हुए है जिनमें से 6 का पैसा हमें मिलना है। ज्यों ही बाकी के 6 सैंटरों का पैसा सैंट्रल गवर्नमैंट की ओर से प्राप्त होगा इक्कस में सैंटर खोल दिया जाएगा।

श्री कांति प्रका ा भल्लाः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में कुछ प्राईवेट स्कूल और हाई स्कूल ऐसे चल रहे है जो रिकोग्नाइज्ड है लेकिन उनकी मैनेजमैंट ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है। ऐसा ही एक प्राईवेट स्कूल कालका में हिंदू हाई स्कूल के नाम से चल रहा है जहां काफी मिस–मैनेजमैंट है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस प्रकार के सिक प्राईवेट स्कूलों को सरकार अपने हाथ में लेने के बारे कोई विचार कर रही है?

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, हालांकि इस सप्लीमैंटरी सवाल का मुख्य सवाल से कोई संबंध नहीं है फिर भी

यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इनके सवाल का जवाब देना चाहूंगी।

श्री अध्यक्षः आपको तो अनुमति ही है क्योंकि आपको सब कुछ आता है और आप हर सप्लीमैंटरी का जवाब दे सकती है।

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष जी, धन्यवाद। मैं आपकी अनुमति से इनको यह जवाब देना चाहूंगी कि इस तरह के कई स्कूल्ज इस समय हरियाणा में है जहां से मैनेजमैंट के बारे में ि ाकायत आई है कि वे अध्यापकों का भाोशण करते है। उसके लिए जिस कानून की यह बात कर रहे है वह कानून आलरेडी इस असैम्बली से पास हो चुका है। जिस तरह कालेज टेक ओवर करके वेतन देने के लिए ऐडमिनिस्ट्रेटर बिठा देते है उसी तरह से स्कूलों के अधिकार भी हम अपने हाथ में लेना चाहते है। यह बिल यहां से पास हो कर प्रैजिडैं ि ायल असैंट के लिए गया हुआ है। अभी तक राश्ट्रपति महोदय की स्वीकृति नहीं आई। जैसे ही उस पर राश्ट्रपति महोदय की मंजूरी आ जाएगी इस कानून के तहत इस प्रकार के सिक स्कूलों को हम टेकओवर कर लिया करेंगे।

श्री भागी रामः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने सिरसा जिले में मिट्ठी सुरेंरां और ओढां में जे.बी.टी. सैंटर्ज खोलने का फैसला किया है उसके लिए मैं मंत्री जी का धन्यवादी हूं। सिरसा

जिलें के जे.बी.टी. टीचर्ज नहीं है। जो टीचर्ज वहां पर है वे जिला रोहतक या सोनीपत से है जो कि वापिस अपने जिलों में आना चाहते है। मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि इन दो जे.बी.टी. सैंटर्ज के लिए क्या कोई ऐसा प्रावधान रखेंगी जिससे सिरसा जिलें के लड़के ही उनमें दाखिला ले सकें और ट्रेनिंग के बाद वे सिरसा जिले में ही मास्टर लगें ताकि सोनीपत और रोहतक जिलों के लोग अपने घरों के नजदीक आ सकें?

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष जी हम ऐसा चाहते तो है परन्तु ऐसा कानूनी प्रावधान नहीं कर सकते। इसलिए हमने यह कहा है कि इकट्ठा ऐडमि ान नोटिस निकाला जाए। एक ही समय पर इंटरव्यू रखेंगे ताकि सिरसा जिलें के बच्चे ही वहां पर एडमि ान ले सकें और दूसरे जिलों के बच्चे अपने जिलों में एडमि ान ले और सिरसा न आ सकें। कानूनी रिजर्वे ान हमने फिरोजपुर नमक में कर के देखा था लेकिन वह कोर्ट से स्ट्रक डाउन हो गया।

श्री जगन नाथः अध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कि इन्होंने इस महकमें की पी.एच.डी. कर रखी है। मोस्टली हरियाणा के स्कूलों में ड्राईंग, साईंस, मैथेमैटिक्स, संस्कृत के टीचर की कमी है। मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि इन विशयों के टीचर्ज की कमी कब तक पूरी हो जाएगी?

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, जहां तक सब्जैक्टस के टीचर्ज की कमी का सवाल है, मैंने कल भी बताया था कि एस.एस.एस. बोर्ड से कैंडीडेट्स की लिस्ट हमारे पास आई गई है रजिसमें मैथेमैटिक्स टीचर्ज, साईंस टीचर्ज और एस.एस. टीचर्ज भी है। पदों को भरने में करैक्टर वैरिफिके ान और मैडिकल वैरिफिके ान में थोड़ा समय लगता है लेकिन पदों को जल्दी भरने के लिए हमने चीफ सैक्रेटरी से इस में एग्जम्प ान के लिए केस चला दिया है ताकि इन ऐंटिसिपे ान आफ दैट हम इन पदों को भर दें। इन टीचर्ज के लग जाने से टीचर्ज की जो कमी है वह भीघ्र ही दूर हो जाएगी।

श्री हीरा नंद आर्यः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बताया कि जे.बी.टी. के कई केंद्र खोल रहे है। ि ाक्षा के क्षेत्र में सिरसा, लोहारू और मेवात आदि एरिया पिछड़े है। मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि एरियावाईज जितनी पोस्टस वेकैंट है क्या वहां के उतने ही लड़को को मैरिट के आधार पर दाखिला देंगे ताकि यह इम्बैलैंस भी दूर हो सकें?

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष जी, इस पर विचार ही नहीं बल्कि फिरोजपुर नमक में इस पर अमल भी किया गया लेकिन हाईकोर्ट ने उसको असंवैधानिक करार दे कर उसको स्ट्रक डाउन कर दिया कि आप एरियावाईज ऐडमि ान रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। उसी का दूसरा तरीका हमने निकाला है। हम इंतजार कर रहे है ताकि 11 के 11 स्कूलों में हम ऐडमि ान

नोटिस इक्ट्ठा निकालें, एक ही दिन इंटरव्यू रखें ताकि परोक्ष रूप से हम उस चीज को रिस्ट्रिक्ट कर सकें जो कि प्रत्यक्ष रूप में हम नहीं कर पा रहे है। अगर हम एरिया की रिस्ट्रिक ान लगाते है तो वह हाईकोर्ट से अनकांस्टिच्यू ानल हो जाता है।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि हिस्टरी के लैक्चरार जिनको एस.एस.एस. बोर्ड द्वारा सिलैक्ट किया हुआ है और ग्यारह महीने सिलैक ान हुए हो गए है, केवल एक महीने तक वह लिस्ट वैलिड रह सकेगी, उनको लगाने के बारे में सरकार क्या कुछ नहीं कर रही है? इसी प्रकार से पी.टी.आई. है, वे भी एस.एस.एस. बोर्ड द्वारा रिकमैंड किये हुए है, उन्हें भी कब तक लगा दिया जायेगा?

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, जो बात मैंन मैथ मास्टर्ज और एस0एस0 मास्टर्ज के बारे में बतायी है वही हिस्टरी लैक्चरर और पी0टी0आई0ज0 के बारे में है। जिस बात के बारे में माननीय उपाध्यक्ष महोदय कह रहे है उसके बारे में दिक्कत यह है कि हमारे ि ाक्षा विभाग की ओर से जितनी रिक्वीजि ान भेजी जाती है, उससे ओवर एंड अबव एस0एस0एस0 बोर्ड सिलैक ान करके भेज देता है। जितनी हमने पी0टी0 आई0ज0 की रिक्वीजि ान भेजी थी उतनी पोस्टस भर ली गई है। उपाध्यक्ष महोदय, जिन बच्चों की बात कर रहें है वे रिक्वीजि ान से ओवर एंड अबव सिलैक्ट करके भेजे हुए है। उनके लिए जब तक हमारे

पास एफ0डी0 से पोस्टस सैक ान नहीं होती है तब तक उनको हम नहीं लगा सकते है।

चौधरी सतबीर सिह कादयानः अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि जिन प्राईवेट स्कूलों में गवर्नमैंट से ज्यादा फीस ली जाती है और बच्चों का भाोशण किया जाता है ऐसे स्कूलों के खिलाफ क्या कुछ ऐक ान लिया जा रहा है?

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, बकायदा ि ाक्षा विभाग द्वारा उन स्कूलों का औडिट किया जाता है। लेकिन अभी मैंने कांति प्रका ा भल्ला जी के सवाल के जवाब में बताया था कि हमारे पास ऐसी ि ाकायतें स्कूलों के बारे में आ रही है। अगर हम ऐसे स्कूलों को टेक–ओवर करें तो हमारे अभी हाथ बंधे हुए है क्योंकि अभी इस बिल की हमें राश्ट्रपति से स्वीकृति नहीं मिली है। जैसे ही राश्ट्रपति से स्वीकृति हो कर वह बिल आ जायेगा तो हम ऐसे स्कूलों को टेक ओवर कर सकते है।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, ि ाक्षा के लिए स्टाफ, बिल्डिंग और सब्जैक्ट अनिवार्य है। क्या बिल्डिंग्ज के बारे में हरियाणा में सर्वे करवाया गया कि जिन की हालत खस्ता है, उनकी मुरम्मत करायी जाये। एक तरफ भाहरों में बहुत ज्यादा भीड़ है और मेवात जैसे पिछड़े इलाके खाली पड़े है वहां ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिये ि ाक्षा को सुचारू और

सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए कोई पालिसी निर्धारित करेंगे ताकि सभी जगहों पर बिल्डिंग ठीक हो सकें?

श्रीमती सुशमा स्वराजः बिल्कुल इसी पालिसी को निर्धारित कर रहे है क्योंकि यह हमारे यहां एक अहम मसला है। हमारे यहां ि ाक्षा विभाग में बिल्डिंगों की बहुत खस्ता हालत है। इस तरह का हमने सर्वे भी करवाया है। मैंने पिछली बार भी सदन में बताया था कि बिल्डिंग रूल्ज में सं ाोधन कर दिया है। पहले एक छोटी सी भी मुरम्मत हैडमास्टर नहीं करवा सकता था क्योंकि उसे बहुत कम पैसे खर्च करने का अधिकार था। पहले 70 परसैंट बिल्डिंग फंडज का पैसा डायरेक्टोरेट को आता था लेकिन अब वह पैसा वहीं रहेगा। उसको खर्च करने का अधिकार हैडमास्टर को होगा ताकि वह छोटी मोटी मुरमत उसी समय करवा सके। इसके अलावा हमने यह भी चेंज कर दिया है कि पचास हजार रूपये तक के काम को करवाने के लिये उसे पी0डब्ल्यू0डी0 बुक्स में बिल्डिंग देने की जरूरत नहीं है। लोकल लैवल पर कमेटी गठित करके हैडमास्टर उस काम को करा सकता है। इन सारे पगों के साथ बिल्डिंगों की हालत सुधरेगी। इसके अलावा एक बिल्डिंग रिव्यू कमेटी भी बनी हुई है जिसमें हमने कुछ बिल्डिंग्ज आइडेंटीफायी की है जिनकी पी0डब्ल्यू0डी0 के माध्यम से मरम्मत करवा रहे है। मैं सदन को आ वासन देना चाहती हूं कि ि ाक्षा विभाग का इस तरफ ध्यान है और ि ाक्षा विभाग के लिये यह अहम मसला है जिसका समाधान किया जा रहा है।

श्री ि िव प्रसादः स्पीकर साहब, अम्बाला छावनी और अम्बाला भाहर में कोई भी लड़कियों का गवर्नमैंट कालेज नहीं है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या गवर्नमैंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल की जो काफी बड़ी बिल्डिंग है उसमें आने वाले वर्श से गवर्नमैंट गर्ल्ज कालेज चालू करने पर विचार करेगी?

श्रीमती सुशमा स्वराजः मास्टर जी, जब ि ाक्षा मंत्री अम्बाला की है तो आप सीनियर सैकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग में कालेज खोलने की मांग क्यों कर रहे है? आप अम्बाला में अलग से कालेज खोलने की मांग क्यों नहीं कर रहे ? अलग से 23 कालेजिज खोलने का प्रस्ताव पर जब विचार करेंगे तो अम्बाला में भी कालेज खोलने पर विचार करेंगें।

Dispensary in Nissing Block

***954. Shri Risal Singh:** Will the Minister for Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a dispensary in Nissing Block of Jundla Constituency, District, Karnal?

स्वास्थ्य तथा आयुर्वेद मंत्री(श्रीमती कमला वर्मा): नहीं।

डा0 बृज मोहनः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि हरियाणा में कितनी डिस्पैंसरी खोलने का विचार किया गया कितनी खोली जा चुकी है और कितनी खोलनी बाकी है?

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, सन् 1987–88 और 1988–89 में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 12, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 56 और सब–सैंटर्ज 283 खोलें है।

Mr. Speaker: Question Hour is over.

अतारांकित प्र न एंव उत्तर

Cases Registered under Terrorist and Disruptive activities (Prevention) Act, 1987

145. Shri Raghu Yadav: Will the Minister for Home be pleased to state the districtwise number of cases; if any, registered under the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1987 during the year 1987-88 and 1989 (todate) in the State together with the number of persons arrested under the aforesaid Act?

गृह मंत्री(प्रो0 सम्पत सिंह):

जिला	आंतकवादी तथा विध्वंसकारी किया–कलाप(निवारण) अधिनियम 1987 के अंतर्गत दर्ज मुकदमों की संख्या			गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्यां		
	1987	1988	1989(31–8–89)	1987	1988	1989(31–8–89)
अम्बाल	-	4	7	-	7	6

ा						
करनाल	-	1	4	-	40	8
कुरूक्षेत्र	-	10	6	-	54	6
जींद	-	1	2	-	-	6
हिसार	6	-	-	20	-	-
सिरसा	-	-	1	-	-	1
गुडगांव	-	-	4	-	-	4
कुल	6	16	24	20	101	31

Unemployed Persons in the State

146. Shri Raghu Yadav: Will the Minister of State for Labour and Employment be pleased to state-

(a) the districwise total number of unemployed persons registered with the Employment Exchanges in the State together with the number of unskilled, Matric, Graduate, Post Graduate, M.B.B.S., Engineer, Diploma Holder, Vety.

Surgeon, B.A.M.S, G.A.M.S., B.Ed., registered with the Employment Exchanges as on 31st July 1989; and

(b) the present criteria fixed for providing Unemployment Allowances in the State/

श्रम तथा रोजगार राज्य मंत्री(श्री बलबीर सिंह):

(क) दिनांक 30.6.89 को रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत कुल, अकु ाल, मैट्रिक, स्नातक, स्नातकोत्तर, एम0बी0बी0एस0, इंजीनियर, डिप्लोमा होल्डर, प ाुचिकित्सा बी0ए0एम0एस0, जी0ए0एम0एस0, बी0एड0 तथा एम0एड0 प्रार्थियों बारे जिलेवार सूचना परिि ाष्ट–1 पर दी गई है।

(ख) राज्य में बेरोजगारी भत्ता जिस आधार पर दिया जाता है उसका ब्यौरा इस प्रकार है।

1 वह हरियाणा का निवासी होना चाहिये।

2 उसकी सभी स्त्रोतों से पारिवारिक आय 10,000 रूपये वार्शिक से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3 ग्रामीण क्षेत्र में प्रार्थी के परिवार के पास पांच स्टैंडर्ड एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिये।

4 प्रार्थी का नाम लगातार दो वर्श अथवा इससे अधिक अवधि से रोजगार कार्यालय के सजीव रजिस्टर पर चल रहा हो।

5 प्रार्थी ने मैट्रिक/हायर सैकेंडरी/सीनियर सैकेंडरी परीक्षा हरियाणा में स्थित किसी ऐसे स्कूल से पास की होनी चाहिये जो हरियाणा बोर्ड आफ स्कूल ऐजूके ान/सैंट्रल बोर्ड आफ सैकेंडरी ऐजूके ान अथवा इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट से ऐफिलियेटिड हो। उसने स्नातक डिग्री भी हरियाणा में स्थित किसी ऐसे कालेज से पास की हो जो हरियाणा के वि वविद्यालय से ऐफिलियेटिड हो।

6 वह किसी संस्था/संस्थापना में छात्र/प्र ि ाक्षणार्थी/अप्रेंटस नहीं है और उसने किसी वित्तीय संस्था/विभाग/कमि र्यिल बैंक से अपना रोजगार चलाने के लिये कोई ऋण/सहायता/सबसिडी प्राप्त नहीं की हो।

7 इस स्कीम में डाक्टर/वैटरनरी डाक्टर तथा ऐडवोकेट जिन्होंने बार से लाईसैंस लिया है, भाामिल नहीं होंगे।

8 प्रार्थी सरकारी सेवा से डिसमिस न हो।

9 प्रार्थी की आयु 18 से 30 वर्श होनी चाहिये और अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के प्रार्थियों के लिये अधिकतम आयु 35 वर्श है।

10 प्रार्थियों को बेरोजगारी भत्ता अधिक से अधिक पांच वर्श तक अथवा उसकी अधिकतम निर्धारित आयु तक जो पहले आता हो, देय होगा।

11 बेरोजगारी भत्ता निम्न दरों से दिया जायेगाः—

(क)	मैट्रिक पास	50 रूपये प्रतिमाह
(ख)	हायर सैकेंडरी / सीनियर सैकेंडरी	75 रूपये प्रतिमाह
(ग)	स्नातक / स्नातकोत्तर	100 रूपये प्रतिमाह

परिि ाश्ट–1

जिला	कुल	अकु ा ल	मैट्रिक	स्नात क	स्नातकोत्तर	एम. बी. बी. एस.	इंजीनियर	डिप्लोमा होल्डर	प ु चिकित्सा	बी.ए. एम. एस. /जी.ए. एम. एस.	बी. एड.	एम. एड.
अम्बाला	91364	37536	24733	4776	817	50	94	713	9	141	1589	11
कुरूक्षेत्र	47116	17604	12993	2893	775	5	32	225	4	74	920	48
करनाल	62897	24818	15609	2624	564	13	42	433	3	55	1461	7
रोहतक	53425	19796	15370	1987	606	14	51	444	12	121	2172	12

						4						
सोनीपत	37591	11602	11651	989	201	5	21	412	15	62	1332	—
जींद	31544	10757	10856	1219	232	1	27	291	8	49	866	—
भिवानी	40008	14558	10827	1892	441	12	23	200	8	34	1441	—
गुडगांव	37591	15626	9642	1188	214	12	19	126	4	30	952	—
फरीदाबाद	42424	19189	11097	1465	431	11	32	334	2	31	1229	49
महेंद्रगढ	36061	11598	13426	1553	344	11	17	130	11	14	1463	—
हिसार	59208	20067	18456	2594	467	13	34	287	57	61	1718	10
सिरसा	20257	7132	5941	1174	257	6	13	150	9	15	979	38

कुल	559486	210283	160601	24354	5349	283	405	3745	142		16122	175

नोटः–(1) राज्य के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत प्रार्थियों बारे सूचना अर्धवार्शिक आधार पर अवधि समाप्ति जून व दिसम्बर, को एकत्र की जाती है।

(2) चिकित्सा की आयुर्वेदिक पद्धति में बी0ए0एम0एस0 या जी0ए0एम0एस0 डिग्री वाले प्रार्थियों को एक ही कोड नम्बर अधीन वर्गीकृत किया जाता है।

Land under Afforestation in the State

147. Shri Durga Dutt Attri: Will the Minister for Forests be pleased to state-

(a) the total area of land under afforestation in the State as at present;

(b) the categorywise total number of officers/officials working in Forest Deparftment at the Head-quarter and field offices, separately;

(c) the categorywise total expenditure incurred on Establishment in respect of officers/officials as refered to in part (b) above during the year, 1987-88 and 1988-89, separately; and

(d) the total income accrued to the Forest Department during the year 1988-89?

वन तथा वन्य प्राणी सरंक्षण मंत्री(श्री परमा नंद):

(क) राज्य में अधिसूचित वन क्षेत्र 1,70,857 हैक्टेयर है।

(ख) मुख्यालय एवं क्षेत्रिय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार है:—

क्रम सं0	श्रेणी	कार्यरत अधिकारियो/कर्मचाारियों की संख्या
		मुख्यालय क्षेत्रिय कार्यालय

1	ग्रुप–ए	2	38
2	ग्रुप–बी	4	41
3	ग्रुप–सी	47	2750
4	ग्रुप–डी	17	617
जोड़		**70**	**3446**

(ग) भाग (ख) में यथा वर्णित अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में वर्श 1987–88 एवं 1988–89 के दौरान स्थापना पर हुआ खर्च निम्न प्रकार है'–

(रूपए लाखों में)

वर्श	मुख्यालय				
	ग्रुप–ए	ग्रुप–बी	ग्रुप–सी	ग्रुप–डी	जोड़
1987–88	2.03	0.80	9.38	4.92	17.13
1988–89	2.08	0.88	9.03	4.00	15.99
क्षेत्रिय मुख्यालय					
ग्रुप–ए	ग्रुप–बी	ग्रुप–सी	ग्रुप–डी	जोड़	कुल जोड़

25.71	16.40	316.78	216.83	575.72	592.85
39.52	12.03	411.40	164.53	627.48	643.47

(घ) वन विभाग में वर्श 1988–89 के दौरान 707.29 लाख रूपये आय हुई थी।

Provision of separate water works for the villages

148. Chaudhri Satbir Singh Kadian: Will the Minister for Public Health be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide sepaate water works for the villages Jatipur, Nangal Kheri and Gawalra in Naultha constituency; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized?

जन स्वास्थ्य मंत्री(श्री राम बिलास भार्मा):

(क) जी नहीं।

(ख) प्र न ही नहीं उठता।

Earth Work on Roads in Naultha Constituency

149. Chaudhri Satbir Singh Kadian: Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state-

(a) whether it is a fact that earth work on Garhi Sikanderpur to Jeetgarh-Ram Nagar and Bandh to Ram Nagar in Naultha Constituency has been started; and

(b) if so, the time by which the above said roads are likely to be completed?

लोक निर्माण मंत्री(श्री ओम प्रका ा भारद्वाज):

(क) मिट्टी का कार्य गढी सिकंदरपुर से जीतगढ सड़क पर आरम्भ हो चुका है परन्तु अभी तक बांध से रामनगर सड़क पर आरंभ नहीं हुआ है।

(ख) गढी सिंकदरपुर से जीतगढ सड़क को पूरा करने की तिथि धन की उपलब्धि पर निर्भर होगी। बांध से रामनगर सड़क अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है। अतः इसको पूरा करने का प्र न ही उत्पन्न नहीं होता।

Surfacing of Roads

150. Chaudhri Satbir Singh Kadian: Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the following roads in Naultha and Asandh Constituencies of District Karnal:-

(1) Israna to Buana Lakhu via Bandh;

(2) Israna to Kalkha via Jondhan Kalan;

(3) Israna to Gawalra via Mandi;

(4) Naultha to Urlana Kalan via Majra Alupur-Atawla Deeniana;

(5) Madlauda to Matand (Sonipat) via Atawala Khurana;

(6) Urlana Kalan to Asandh road via Urlana Khurd;

(7) Gohana to Wazipur Titana; and

(8) Approach road from G.T. Road to village Jatipur.

(b) if so, the time by which the aforesaid roads are likely to be repaired?

लोक निर्माण मंत्री(श्री ओम प्रका ा भारद्वाज):

(क) जी हां।

(ख) जून 1990 तक।

Lining of 1-R Minor

151. Chaudhri Satbir Singh Kadian: Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to state whether there is any scheme under consideration of the Government for lining 1-R Minor in Naultha Constituency; if so, the time by which the lining of the said minor is likely to be completed?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री(श्री बीरेंद्र सिंह): हां, इसराना वित्रिका से निकलने वाल 1–आर माईनर को पक्का करने की योजना को नहरों के आधुनिकीकरण की परियोजना (फेज–2) में भाामिल किया जा रहा है। उक्त माईनर को पूर्णतया पक्का किया

जाने की तिथि बारे कहना सम्भव नहीं है क्योंकि यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

Construction of Dadupur Nalvi Canal and Ladwa Canal

157. Shri Harnam Singh: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether the construction work of the Dadupur Nalvi Canal and Ladwa Canal has been taken in hand for the last six months; and

(b) if so, the time by which the aforesaid work is likely to be completed?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री(श्री बीरेंद्र सिंह):

(क) दादूपुर नलवी नहर तथा लाडवा नहर का कार्य गत छः महीनों से प्रारम्भ नहीं किया है।

(ख) इन नहरों के पूर्ण होने के समय बारे निि चत रूप से कहना सम्भव नहीं है, क्योंकि यह अनुमान अभी सी0डब्ल्यू0सी0/योजना आयोग, भारत सरकार से अनुमोदित होने है।

(2) **मार्किट कमेटी, ईस्माईलाबाद**

1 अम्बाला–हिसार सड़क से सब यार्ड ठोल की पहुंच सड़क।

2 डेरा मुहम्मद भााह से ठस्का मिराजी तक की सड़क।

3 गांव भाांति नगर से गांव विज्जपुर तक की सड़क।

इन सड़कों को निर्माण एक वर्श के अंदर पूरा होने की सम्भावना है।

Outstanding Amount of House Tax

152. Seth Lachhman Dass Bajaj: Will the Deputy Chief Minister (II) be pleased to state-

(a) whether any amount on account of House Tax is outstanding at present in each Municipal Committee fo the State; and

(b) if so, the total amount thereof separately togetherwith the steps, if any, taken or proposed to be taken to recover the aforesaid amount?

अंतरिम उत्तर

D.O.No.26/20/89-50

''मंगल सैन

उप मुख्य मंत्री–2

स्थानीय भाासन विभाग, हरियाणा, चंडीगढ

दिनांक 11–9–89

विशयः श्री लछमन दास बजाज, विधायक द्वारा पूछे गये विधान सभा अतारांकित प्र न संख्या 152 के बारे सूचना उपलब्ध करने संबंधी।

आदरणीय श्री चट्ठा साहब जी,

मैं आपकों सूचित करता हूं कि अतारांकित विधान सभा प्र न संख्या 152 जो श्री लछमन दास, विधायक द्वारा पूछा गया है, का उत्तर विधान सभा अधिवे ान में दिनांक 12–9–89 का देय है किंतु इस प्र न का उत्तर देने संबंधी जो सूचना वांछित है वह अभी राज्य की सभी 81 नगरपालिकाओं से प्रतीक्षित है। अतः इस प्र न का उत्तर दिनांक 12–9–89 को देना संभव न होगा। इन परिस्थितियों में मैं आभारी हूंगा। यदि आप इस प्र न का उत्तर तैयार करने हेतु कम से कम 7 दिन की बढ़ौतरी देंगे।

सादर,

आपका,

हस्ता/–

(मंगल सैन)

श्री एच0एस0 चट्ठा।

अध्यक्ष हरियाणा विधान सभा,

चंडीगढ।''

Idle Vehicles with General Hospital Karnal

153. Seth Lachhman Dass Bajaj: Will the Minister for Health be pleased to state the steps taken by the Government in connection with dozens of vehicles lying idle in the premises of General Hospital, Karnal for the last so many years?

स्वास्थ्य तथा आयुर्वेद मंत्री(श्रीमती कमला वर्मा): सामान्य हस्पताल, करनाल में 12 अनुपयोगी गाड़ियां भारी मुरम्मत, नकारा घोशित करने तथा निपटान हेतु पड़ी है। गाड़ियों तथा विभिन्न स्तरों पर की गई कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से है:–

1 भारी मुरम्मत हेतु पड़ी गाड़ी

एच0एन0के0–4308 (जीप)

यह गाड़ी जनवरी, 1989 में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। यह सुपरदारी पर न्यायलय से ले ली गई है तथा सिविल सर्जन करनाल के नियंत्रण में है। कानूनी औपचारिकताएं पूर्ण होने पर इस गाड़ी की मुरम्मत करवाई जाएगी।

2 जिला स्तर पर नाकारा घोशित करने के लिए कार्यवाही अधीन पड़ी गाड़ियां

एच0वाई0के0–1911 (टैंकर)

वर्श 1982 में राज्य सरकार द्वारा खरीदी गई यह गाड़ी अपनी पांच वर्श की सामान्य आयु पूर्ण कर चुकी है। यह गाड़ी अब मितव्ययी नहीं है तथा नियमों व किया विधि अनुसार इसे कंडम करने का मामला सिविल–सर्जन करनाल के विचाराधीन है।

3 सिविल सर्जन, करनाल ने अपने पत्र कमांक जी एम–89/ 1820 दिनांक 17.7.89 तथा 1822 दिनांक 17.7.89 द्वारा दस अनुपयोगी गाड़ियों का निपटारा करने हेतु प्र ाासकीय स्वीकृति का मामला भेजा है जिन्हें भारत सरकार तथा राज्य सरकार (जिला स्तर पर) गठित कंडमने ान बोर्ड द्वारा नकारा घोशित किया गया था। यह मामला विचाराधीन है। इन गाड़ियों के रजिस्ट्रे ान नं0 निम्नलिखित है:–

1 एच0आर0के0 860

2 एच0आर0के0 1091

3 पी0एन0के0 2610

4 सी0एच0 386

5 सी0एच0 985

6 एच0आर0डी0 4436

7 एच0आर0के0 3897

8 एच0आर0आर0 9436

Government and Private Schools in the State

154. Seth Lachhman Dass Bajaj: Will the Minister for Education be pleased to state the district-wise number of Government Schools and Government aided private Schools in the State at present, separately?

ि ाक्षा मंत्री(श्रीमती सुशमा स्वराज): राज्य में जिलावार सरकारी तथा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राईवेट स्कूलों की संख्या निम्न प्रकार है:–

कमांक	जिले का नाम	राजकीय स्कूल	सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूल
1	अम्बाला	999	117
2	भिवानी	614	17
3	फरीदाबाद	538	14
4	गुडगांव	812	19
5	हिसार	714	23

6	जींद	516	22
7	करनाल	743	38
8	कुरूक्षेत्र	820	29
9	महेंद्रगढ	844	20
10	रोहतक	583	54
11	सिरसा	469	13
12	सोनीपत	419	32
कुल		8081	398

Mini Secretariat at Karnal

155. Seth Lachhman Dass Bajaj: Will the Minister for Revenue be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a New building of Mini-Secretariat is likely to be constructed?

(b) if so, the time by which the aforesaid building of Mini-Secretariat is likely to be constructed?

राजस्व मंत्री(श्री सूरज भान):

(क) जी हां।

(ख) इस स्थिति में यह बताना सम्भव नहीं है कि यह कम्पलैक्स कब तक पूर्ण होगा।

घोशणा

अध्यक्ष द्वारा श्रीमती जसमां देवी, एम0एल0ए0 की गिरफ्तारी संबंधी

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have to make anannouncement.

I have received the following information from the Senior Superintendent of Police, Union Territory, Chandigarh:-

"Smt. Jasma Devi, M.L.A. of Haryana Vidhan Sabha, wife of Shri Bhajan Lal, has been arrested on 11-9-89 under sections 107/151, Cr.P.C. in Police Stateion, Sector 39, Chandigarh."

वाक आउट–

सर्वश्री मोहम्मद असलम खां तथा बलबीर पाल भााह द्वारा

श्री मोहम्मद असलम खांः स्पीकर साहब, कल जो हरियाणा कांग्रेस वर्कर्ज की गिरफतारियां हुई है और उनके भाांतिप्रिय जलूस पर जबरदस्त लाठीचार्ज किया गया है, मैं उस बारे में कुछ कहना चाहता हू। (ाोर).....

श्री अध्यक्षः देखिए, बात यह है कि हाउस की कुछ प्रथाएं है और कुछ रूल्ज है। आपने कोई मो ान दिया हो, कोई

चिट्ठी लिखी हो तो, जब तो दूसरी बात है वरना यह कोई प्रोसीजर नहीं है and I would not allow it. (Interruptions)

श्री मोहम्मद असलम खांः कल महेंद्र प्रताप सिंह जी को भी सस्पैंड किया गया है। (ाोर)

श्री अध्यक्षः देखिए, यह कोई प्रोसिजर नहीं है। This is not the way. Please take your seat.

श्री मोहम्मद असलम खांः स्पीकर साहब, कल कांग्रेस वर्कर्ज पर लाठीचार्ज भी किया गया है और महेंद्र प्रताप सिंह जी को हाउस की सर्विस से सस्पैंड भी किया गया है। यदि इस संबंध में मुझे बोलने नहीं दिया जाता तो हम इसके विरोध में वाक–आउट करते है।

Mr. Speaker: All right.

(इस समय श्री मोहम्मद असलम खां तथा श्री बलबीर पाल भााह सदन से वाक–आउट कर गये।)

सिंचाई तथा बिजली मंत्री(श्री बीरेंद्र सिंह): स्पीकर साहब, आज कांग्रेस के दो माननीय सदस्य सदन से वाक आउट करके चले गये। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस गवर्नमैंट से या इस हाउस से या आपके प्रति उनको क्या आपत्ति पैदा हुई है? वे लोग लाठियां लेकर चंडीगढ में गुल गपाड़ा करने अमन भंग करने और भाोर भाराबा करने आये थे। यहां पर चंडीगढ की पुलिस है। यूनियन टैरीटरी सीधे केंद्र के नीचे है। यूनियन

टैरिटरी में पुलिस का ऐडमिनिस्ट्रे ान केंद्र का है। आखिर हमारे से ये भाई क्यों नाराज होकर चले गये? उन्हीं की सरकार ने अगर उन्हीं को बुरी तरह से मारा या पीटा है तो उनको हमसे तो नाराज नहीं होना चाहिये। ये लोग लाठियां लेकर आये और लूट–मार करना चाहें, क्या ये उनका साथ देना चाहते है और उनको प्रोटैक्ट करना चाहते है? मुझे तो बात कुछ समझ में नहीं आयी अगर फिर भी वे हाउस के सामने कोई बात ऐक्सप्लेन कर सकें तो कोई बात बन सकती है। लेकिन हमारा तो बीच में कोई ताल्लुक है ही नहीं। न हरियाणा सरकार का, न मुख्य मंत्री जी का, न आपका और न इन माननीय सदस्यों का कोई लेन–देन इस घटना से है। ये लोगा अकेले किसी तरीके से हरियाणा प्रांत में घुस नहीं सकते। हरियाणा प्रांत के लोगों ने इनको मुंह नहीं लगाया लेकिन चंडीगढ में आकर प्रैस के रूबरू गुल गपौड़ा करके गंदे काम करके और लाठियां मारकर यदि ये हैड लाईंज लेना चाहे तो लेते रहें परन्तु हमारी इसमें कोई बात नहीं है जिसकी बिनाह पर ये हमसे नाराज होकर चले जायें।

उप मुख्य मंत्री(डा0 मंगल सैन): स्पीकर साहब, मुझे बड़ा अफसोस है कि इन आनरेबल मैम्बर्ज ने इस हाउस का सदस्य बनने के बाद, जो यहां के रूल्ज एंड प्रोसीजर की किताब है वह नहीं पढी। अगर उन्होंने सदन में आने के बाद कुछ पढ लिया होता, आपको काल अटैं ान मो ान दे दिया होता आप उसको ऐडमिट करते या न करते, तो बात दूसरी थी। इस तरीके से हैड

लाईन में आने का इन्होंने एक रास्ता अपनाया है। मैं तो कल से कह रहा हूं that I pity on these people. Please intervene in the matter. ये अनप्रिपेयर्ड आते है। आप इनको समझाइए। चाहे आप इनको अपने चैम्बर में समझाएं या और कहीं समझाएं लेकिन इनको जरूर समझाएं। इनके लिए कोई स्कूल खोलिए और चाहे इनके लिए रिफ्रै ार कोर्स आरम्भ करें। हमें तो इनसे कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपसे इनको कुछ लेना देना है तो आप इनको समझाने का कोई तरीका निकालिए। इस हाउस के कुछ रूल्ज है। हरेक सदस्य को उन रूल्ज के मुताबिक चलना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, बस मैं इतना ही कहना चाहता हू।

उप मुख्य मंत्री(श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, आपने आज समाचार पत्रों में छपी वे तस्वीरें देखी होगी जबकि ये कांग्रेस के साथी पुलिस के साथ उलझ रहे थे। अध्यक्ष महोदय, आप जानते है कि चंडीगढ में ऐडमिनिस्ट्रे ान हरियाणा सरकार का नहीं है। यहां की पुलिस, यहां के अफसर और यहां का ला एंड आर्डर चंडीगढ ऐडमिनिस्ट्रे ान मैनटेन करता है और आजकल यहां के ऐडमिनिस्ट्रेटर सिद्धार्थ भांकर रे है। वे राश्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए है और वे राश्ट्रपति की उतनी बात नहीं मानते जितनी प्रधान मंत्री की और कांग्रेस के नेताओं की बात मानते है। अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी किया वह चंडीगढ की पुलिस ने किया। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के नेता दावा करते है कि वे पीसफुल डिमौंसट्रे ान करने और पीसफुल धरना देने आए थे

लेकिन आप देखें कि उनके हाथों में लाठियां है और वे पुलिस को लाठियां दिखा रहे है। इस बात से साफ जाहिर है कि वे पीसफुल धरना देने के लिए नहीं आए थे। कभी भी भाांति के साथ धरना देने वाले व्यक्ति हाथ में लाठियां लेकर नहीं चलते। इससे साफ जाहिर है कि वे झगड़ा फसाद करने आए थे, वायलैंस करने के लिए आए थे और गुल गपाड़ा करने आए थे और भाांति से चलते हुए ऐडिमिनिस्ट्रे ान में विघ्न डालने के लिए आए थे। अध्यक्ष महोदय, इन कांग्रेस वालों को यह पता नहीं था कि उनको यह दिन भी देखना पड़ेगा कि हरियाणा मे ंचौधरी देवीलाल पहली बार 1977 में हरियाणा के मुख्य मंत्री बनकर आए थे तो इन्होंने जस्टिस टेक चंद की अध्यक्षता में एक जेल सुधार समिति बनाई थी। इस समिति का काम जेलों में सुधार के लिए सुझाव देने थे। जस्टिस टेक चंद ने 1982 मे ंअपनी रिपोर्ट दे दी और उस रिपोर्ट में सुझाव दिए गए कि जेलों के अंदर ये–ये सुधार किये जाएं। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने 1987 तक उन सिफारि ाों पर कोई अमल नहीं किया, उन सिफारि ाों को बिल्कुल इम्पलीमैंट नहीं किया क्योंकि उन्हें इस बात का ध्यान नहीं था कि उन्हें भी कभी जेल जाना पड़ेगा। उन्हें लोगों की परवाह ही नहीं थी। उन्हें इस बात का ध्यान नहीं था कि जो लोग जेल जाते है वे किस तरह से जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें इस बात का ध्यान नहीं था कि जो लोग जेल जाते है वे प ाुओं की तरह जीवन व्यतीत करते है। अगर उनको इस बात का ध्यान होता कि हमें 1987 के बाद जेल जाना पड़ेगा तो उन सिफारि ाों को इम्पलीमैंट

करते लेकिन उन्होंने नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, जब चौधरी देवी लाल 1987 में दुबारा आए तो इन्हौंने उस ओर फिर ध्यान दिया। सारी रिपोर्ट देखी गई और प्लानिंग बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन बाबू मूलचंद जैन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। बाबू मूल चंद ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार करने में बहुत मेहनत की और वह रिपोर्ट सरकार को दी। अध्यक्ष महोदय, अगर आप उस रिपोर्ट को ध्यान से पढें तो पता चलता है कि जेल में जाने वालों को मनुश्य मानते हुए इतनी सुविधाएं दी गई है जो किसी आम इंसान को मिलनी चाहिए और जो किसी भी स्वाधीनप दे ा के अंदर जेल जाने वालों को दी जाती है।

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, इन सब बातों को कहने की क्या रैलीवैंसी है। वे इररैलैवेंट है। (ाोर एंव व्यवधान)

श्री बनारसी दास गुप्ताः आप चुप रहें। जब आपकी बारी आए उस समय आप बोलना। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री रघु यादवः आप मुझे कुछ नहीं कह सकते। आप अध्यक्ष को सम्बोधित कीजिए। अध्यक्ष महोदय ही मुझे कह सकते है। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री बनारसी दास गुप्ताः आप चुप रहें। जब आपकी बारी आए उस समय आप बोलना। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री रघु यादवः आप मुझे कुछ नहीं कह सकते। आप अध्यक्ष को सम्बोधित कीजिए। अध्यक्ष महोदय ही मुझे कह सकते है। (ाोर एवं व्यवधान)

Do not talk to me. Address the Chair. You cannot talk to me direct.

Mr. Speaker: Please take your seat. This is not the way. I won't allow you to speak like this.

श्री बनारसी दास गुप्ताः हाउस के अंदर सारे नियम मानकर चलना पड़ता है। आप खामो ा बैठिए। जब आपका नम्बर आए तो बोलना। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री रघु यादवः स्पीकर साहब, ये आपको ऐड्रेस करें।

Mr. Speaker: Yadav Ji, please take your seat.

श्री बनारसी दास गुप्ताः जब आपका नम्बर आए तो उस समय बोलना। आप रूल्ज आफ प्रोसीजर की किताब पढें। (ाोर एवं व्यवधान) आपको पता होना चाहिए कि किस वक्त क्या बोला जाता है। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री रघु यादवः स्पीकर साहब, आप इन्हें कहें कि ये आपको ऐड्रेस करें, न कि मुझे।

Mr. Speaker: Raghu Yadav Ji, this is not the way. Please take your seat.

श्री बनारसी दास गुप्ताः ये सारी बातें बर्दा ात नहीं की जाएगी। (ाोर एवं व्यवधान) क्या आपने ठेका ले रखा है बीच में इंटरप्ट करने का? आप अपने नम्बर पर बोलना। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री रघु यादवः स्पीकर साहब, आप मेरी बात भी तो सुन लीजिए।

Mr. Speaker: Yadav Ji, please take your seat.

श्री रघु यादवः स्पीकर साहब, मेरा निवेदन है.....
.....

श्री बनारसी दास गुप्ताः आप कौन से रूल के मुताबिक बोल रहे है? (ाोर)

श्री रघु यादवः आप यह बात मुझ से कैसे पूछ सकते है?

Mr. Speaker: Yadav Ji, please sit down.

श्री बनारसी दास गुप्ताः यादव जी, यह विधान सभा है। यह कोई पब्लिक प्लेट फार्म नहीं है। यहां रूल्ज के मुताबिक बोलना चाहिए। अगर आपको चेयर बोलने के अलाउड करें तो आप बोलिए और उस वक्त आपको बोलने का पूरा अधिकार है।(ाोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Gupta Ji, please proceed.

श्री बनारसी दास गुप्ताः आप रूल्ज आफ प्रोसिजर एंड कंडक्ट आफ बिजनैस की किताब पढें। उसके मुताबिक आप एक भाब्द भी नहीं बोल सकते जब तक कि चेयर अलाउ न करें। उसमें साफ लिखा है कि चेयर जब अलाउ करे तभी आप बोलें। चेयर की इजाजत के बिना आप एक भाब्द भी नहीं बोल सकते। इसलिए आप बैठ जाएं।(ाोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Gupta Ji, you please proceed further.

श्री बनारसी दास गुप्ताः जब तक अध्यक्ष महोदय बोलने की इजाजत न दे तब तक सदन का कोई मैम्बर नहीं बोल सकता। यह रूल है नियम है। आप पढे लिखे व्यक्ति है, आपको तो पढकर आना चाहिए।

Shri Raghu Yadav: Sir, I want to submit**********.

Mr. Speaker: Yadav Sahib, this is not the way. You please take your seat. (Intderruptions). This will not be recorded.

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इनको यह कहना चाहता हूं कि वे बोलते समय सभी बातों का ध्यान रखें और आपको ऐड्रेस करके ही बोलें। तो मैं अध्यक्ष महोदय, यह कह रहा था कि वह रिपोर्ट अब आ चुकी है और उस रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। हमारे ऐडी ानल ऐडवोकेट

जनरल उस रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे है और ये बिल ड्राफट किये जा रहे है:—

1 The Haryana Prisons Bill.

2 The Haryana Prisoners Bill.

3 The Haryana Borstal Institutions Bill.

4 The Haryana Good Conduct Prisoners Probationary Release Bill.

ज्ब ये तैयार हो जाएंगे तो अगले विधानसभा के अधिवे ान में ये रखे जाएंगे ताकि जो अंग्रेजों के समय से रूल्ज चले आ रहे थे उनमें सुधार किया जा सके और उन्हें इम्पलीमैंट किया जा सके।

घोशणा—

अध्यक्ष द्वारा, श्रीमती जसमां देवी, एम0एल0ए0 की जुडि ाियल कस्टडी में रिमांड संबंधी

Mr. Speaker: Hon. Members, I have just now received the intimation from the Sub-Divisional Magistrate, Chandigarh, which is as follows-

"Shrimat Jasma Devi wife of Shri Bhajan Lal, Member of Haryana Vidhan Sabha, was arrested by Chandigarh Police under sections 107/151 Cr.P.C. and produced before me on 11-9-89. Having failed to furnish the personal bond, she has been remanded to judicial custody and

lodged in the District Jail, Burali, Chandigarh. The next date of hearing is 12-9-89. She represents Adampur constituency."

विभिन्न विशयों को उठाया जाना

श्री रतन लाल कटारिया: स्पीकर साहब, मैंने दो काल अटैं ान मो ानज दिये थे। एक मेरे क्षेत्र बवैन से संबंधित था। वहां पर टयूबवैलज व कुओं में जहरीली गैस के बनने से धड़ाधड़ लोग मर रहे है। हर रोज एक–आध मौत इस कारण से हो रही है यह बड़ा गम्भीर मसला है। इसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे इस काल अटैं ान मो ान का क्या फेट है?

श्री अध्यक्ष: कटारिया साहब, आप बैठिए।

Shri Raghu Yadav: Speaker Sir,.....(Interruptions)

Mr. Speaker: Yadav Sahib, be very relevant.

श्री रघु यादव: अध्यक्ष महोदय, मैंने भी पिछले कई दिनों हुई पुलिस भर्ती में चले भाई भतीजावाद व रि वतखोरी के खिलाफ एक काल अटैं ान मो ान दिया था। उसका क्या बना? (ाोर एवं व्यवधान) गुड़गांव में भर्ती होने आए लड़कों को थानों में ले जा कर पीटा गया। (ाोर)

Mr. Speaker: Mr. Vadav, this is most irrelevant. (Interruptions). टापने पुलिस भर्ती से संबंधित जो काल अटैं ान

मो ान का नोटिस दिया था उसको मैंने डिस अलाउ कर दिया है।

श्री हरनाम सिंहः स्पीकर साहब, 12 तारीख के लिये जो क्वै चनज लगे हुए है उनका उत्तर सदन के पटल पर नहीं रखा गया है। पहली बात तो मैं यह आपसे कहना चाह रहा था। स्पीकर साहब, मेरा मेन मुद्दा महंगाई से संबंधित है। वैसे तो यह मसला केंद्र सरकार से संबंधित है। यह सर्व विदित है कि चीनी आज कितनी मंहगी हो गई है। इसी तरह से आज दालें, घी और चाय वगैरह के रेट्स भी आसमान छू लगे है, इस का संबंध तो केंद्र सरकार से अव य है लेकिन हरियाणा सरकार ने भी तो उन से माल लेकर ही अपने डिपुओं पर सप्लाई करना है। जैसे आप देखिये कि आज गुड़ 9 रूपये किलो के हिसाब से बिक रहा है। यह मसला तो हमारे हाथ में है। इस पर हमारी सरकार कंट्रोल कर सकती है। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि महंगाई के बारे में मेरा जो काल अटैं ान मो ान का नोटिस था उसका क्या बना? मेरा दूसर मो ान पिंजौर में बैठे भूख हड़तालियों से संबंधित है। वहां पर केंद्र सरकार अन–रैस्ट पैदा करनी चाहती है। स्पीकर साहब जब मजदूरों न पैदावार बढाई है तो उसका हिस्सा भी उनको मिलना चाहिये। (ाोर)

Mr. Speaker: Comrade Sahib, listen to me. Replies to the Question had been kept on the Table. So far as your call attention motions are concerned, both of these have been disallowed. Now let us proceed further.

श्री हीरा नंद आर्य: अध्यक्ष महोदय, फारमसिस्टस की सिलैक ान के संबंध में मैनें एक काल अटैं ान मो ान का नोटिस दिया था। सरकार ने अम्बाला में सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में दाखिलें के लिये स्टूडैंटस की सिलैक ान की थी लेकिन प्राइवेट इंस्टीच्यू ांज ने हरियाणा सरकार के फैसले को नहीं माना है और वे स्टूडैंटस को दाखिला नहीं दे रहे हे। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में अब क्या नीति है।

श्री अध्यक्ष: आपक वह काल अटैं ान मो ान मेरे अंडर कंसिड्रे ान है।

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव–

जिला महेंद्रगढ, भिवानी, हिसार तथा जींद आदि में वर्शा न होने के कारण खरीफ की फसल को हानि होने संबंधी।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a notice of calling attention motion No. 3 from Srhi Hira Nand Arya, M.L.A. Mohhindergarh, Bhiwani, Hisar and Jind etc. I admit it. He may please read his notice and the Revenue Minister may make a statement thereafter.

(At this stage the Deputy Speaker occupied the Chair)

Shri Hira Nand Arya: Sir, I want to draw the attention of this August House towards a metter of urgent public importance that Kharik (Savani) crop has been ruined and even the crop has not been sown in vast area of land of district Bhiwani, Mahendergarh, Hisar, Jind and tehsils

Jhajjar, Nahar and Kosli due to failure of rain and these is a severe drought in the said areas. On account of it great resentment is prevailing amongst the farm labourers and farmers. I, therefore, request that the Government should take special steps immediately to give relief and save the people from the hardship. The Government may also inform the House about the steps taken for giving due compensation and approaching the Central Government to compensate the farmers for the loss of crops suffered by them.

वक्तव्य

राजस्व मंत्री द्वारा उपर्युक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव संबंधी

राजस्व मंत्री(श्री सूरज भान): अध्यक्ष महोदय, वर्श 1989 के दौरान निस्संदेह मौनसून की वर्शा में कुछ कम हुई है फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि वर्शा बिल्कुल नही हुई जिसके फलस्वरूप राज्य के कुछ भागों को नामतः भिवानी, हिसार, जींद, महेंद्रगढ तथा रोहतक के झज्जर उप मंडल (नाहड़ तथा कोसली समेत) में भयंकर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। राज्य में हुई वर्शा की नियमित रूप से मौनिटरिंग की जाती है और सरकार प्रारम्भ से ही स्थिति पर निगरानी रखे हुए है।

2 उपायुक्त रोहतक ने मई, 1988 में यह व्यक्त किया था कि अधिक गर्मी के कारण गांवों के तालाबों का पानी सूखने लगा है और उसकी मांग के दृश्टिगत 2.00 लाख रूपये की रा ि ा

तालाबों को डीजल पम्पों की सहायता से भरने हेतु स्वीकृत कर दी गई थी।

3 जुलाई, 1989 में ध्यानाकर्शण सूचना में वर्णित जिलों में निम्नलिखित वर्शा हुईः—

क्रमांक	**जिले का नाम**	**सामान्य संभावित वर्शा जुलाई, 1989 (एम0एम0 में)**	**वास्तविक वर्शा जुलाई, 1989 (एम0 एम0 में)**	**कमी (एम0एम0में)**
1	भिवानी	100.4	67.2	33.2
2	हिसार	109.0	39.0	70.0
3	जींद	137.0	18.9	118.1
4	महेंद्रगढ	135.6	18.1	67.5
5	रोहतक(झज्जर उप—मंडल)	43.0	43.0	—

4 उपरोक्त विवरण से स्पश्ट है कि जुलाई 1989 में कम वर्शा हुई थी। उपायुक्त महेंद्रगढ ने सूचित किया था कि

उनके जिले में गांवों के तालाबों का पानी सूखने लगा है इसलिए उनकी मांग के दृश्टिगत 4.00 लाख रूपये की रा ि ा तालाबों में पानी भरने हेतु स्वीकृत की गई थी। इसके अतिरिक्त अन्य जिलों से कोई मांग प्राप्त नहीं हुई।

5 अगस्त, 1989 के तीसरे सप्ताह तक वर्शा कम थी अतः राज्य में उत्पन्न स्थिति के मूल्यांकन के लिए जिला राजस्व अधिकारियों की एक बैठक वित्तायुक्त राजस्व हरियाणा की अध्यक्षता में दिनांक 10.8.89 को चंडीगढ में बुलाई गई थी। इस बैठक में जिला राजस्व अधिकारियों द्वारा बताया गया कि वर्शा की कमी का खड़ी फसलों पर कुछ असर आरम्भ हो गया और अगर आगामी एक पखवाड़े में वर्शा न हुई तो स्थाति गम्भीर हो सकती है। उपायुक्तों को निर्दे ा दिया गया था कि वह स्थिति पर पूर्ण रूप से निगरानी रखें व दिनांक 22.8.89 तक कि स्थिति का मूल्यांकन कर के नवीनतम रिपोर्ट भेजें। उन्हें यह भी निर्दे ा निर्दे ा दिया गया था कि वह सहायता कार्यों को के लिए भी अपनी मांग यदि कोई हो तो सूचित करें। हिसार मंडल के उपायुक्तों की एक बैठक मुख्य सचिव, हरियाणा की अध्यक्षता में स्थिति के मूल्यांकन हेतु दिनांक 25.8.89 को बुलाई गई थी। स्टेट काइसिस मैनेजमैंट ग्रुप की एक बैठक भी मुख्य सचिव, हरियाणा की अध्यक्षता में दिनांक 30.8.89 को नि ि चत की गई थी। इसी दौरान 21/22–8–89 से वर्शा पुनः आरम्भ हो गई जिससे स्थिति में बदलाव आया। हिसार मंडल के उपायुक्तों ने

बैठक में यह बताया कि इस वर्शा से स्थिति मैं सुधार आने के फलस्वरूप उनके जिलों में कहीं भी सूखे की स्थिति नहीं है। चारे की कमी या मनुश्यों तथा प ाुओं के लिए पीने के पानी की कमी या मनुश्य तथा प ाुओं के लिए पीने के पानी की कमी नहीं बताई गई और तुरन्त सहायता प्रदान करने के लिए भी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई। इस स्थिति को दृश्टिगत रखते हुए स्टेट काईसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो बैठक दिनांक 30.8.89 को रखी गई थी उसे स्थगित कर दिया गया।

6 अगस्त 1989 के तीसरे सप्ताह के प चात वर्शा होने के फलस्वरूप अगस्त मास में हुई वर्शा की तथा वर्श 1987, 1988 में हुई वर्शा की तुलनात्मक स्थिति निम्न प्रकार बनती है:–

(वर्शा एम0एम0 में)

कमांक	जिला	सामान्य संभावित वर्शा	वास्तविक वर्शा	वास्तविक वर्शा	वास्तविक वर्शा
1	भिवानी	126.40	91.80	108.4	34.4
2	हिसार	107.30	67.20	17.3	27.6
3	जींद	145.80	102.60	133.7	22.3
4	महेंद्रगढ	159.80	78.90	105.6	60.4

5	रोहतक(झज्जर उपमंडल)	43.0	92.2	260.0	94.2

वर्शा के यह आंकड़े यह द र्शाते है कि अगस्त, 1989 में यह वर्शा सामान्य संभावित वर्शा से कम हुई थी फिर भी अगस्त, 1989 के तीसरे सप्ताह के प चात हुई वर्शा खड़ी फसलों के लिए लाभप्रद थी और समस्त स्थिति में बदलाव आ गया है।

7 राज्य सरकार स्थिति पर लगातार निगरानी रखी हुई है तथा आम जनता के साथ भी सम्पर्क रखे हुए है। राज्य सरकार को अब तक सहायता कार्यों के लिए कोई भी प्रतिवेदन या मांग प्राप्त नहीं हुई है।

8 वर्श 1987 गम्भीर सूखे का साल था तथा वर्श 1988 में राज्य में अभूतपूर्व बाढ आई। इन वर्शों की तुलना में इस वर्श जिला भिवान, हिसार, जींद, महेंद्रगढ तथा रोहतक के लक्ष्यों क्षेत्रों के विरूद्ध बीजे गए क्षेत्र निम्न प्रकार है:–

(क्षेत्र 000 हेक्टेयर में)

क्रमांक	जिला	लक्ष्य क्षेत्र	बीजा गया क्षेत्र	बीजा गया क्षेत्र	लक्ष्य क्षेत्र	बीजा गया क्षेत्र
1	भिवानी	282	200	294	291	94.6

2	हिसार	353	333	359	339	235.1
3	जींद	187	153.6	188	193	101.1
4	महेंद्रगढ	179	148	182	172	73.0
5	रोहतक	164	141	177	168	77.0
		1165	975.6	1200	1163	580.8

8 इस से स्पश्ट हो जाता है कि इन जिलों में वर्श 1989 में बोये गये क्षेत्र वर्श 1988 की तुलना में केवल 18.7 प्रति ात कम है लेकिन यह क्षेत्र वर्श 1987 के मुकाबले 67.1 प्रति ात अधिक है। वर्श 1989 में बोये गये क्षेत्र, लक्ष्य क्षेत्र से केवल 16.2 प्रति ात कम है जबकि 1987 के सूखा वर्श में बिजाई लक्ष्य क्षेत्र से मु कल से आधी थी। इसलिए यह कहना ठीक नहीं होगा कि वर्शा की कमी होने के कारण बहुत अधिक क्षेत्र की बीजाई नहीं हो सकी।

9 वर्शा की कमी का खड़ी फसलों पर प्रभाव, यदि कोई हो, जानने के लिए राज्य के कृशि विभाग को प्रारम्भिक नुक्सान के अनुमान तैयार करने के लिए कहा गया था। कृशि विभाग ने अगस्त के तीसरें सप्ताह से पहले फसलों का सामान्य सर्वेक्षण करवाया और उन द्वारा लिये गये दृश्टिय अनुमान के अनुसार खड़ी फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ा था और प्रभावित फसली क्षेत्र निम्न प्रकार थाः—

प्रभावित क्षेत्र(लाख हैक्टेयर में)	नुकसान की सीमा
2.37	25 प्रति ात से कम
0.93	25 से 50 प्रति ात
0.32	50 प्रति ात से उपर

इससे स्पश्ट होगा कि बिजाई किये गये क्षेत्र में से तीन प्रति ात क्षेत्र में पचास प्रति ात से अधिक खराबा है। इस क्षेत्र की मुख्य खरीफ फसल बाजरा है। अगस्त के अंतिम दिनों में हुई वर्शा से न केवल फसलों का नुकसान रूका बल्कि फसल की स्थिति में भी सुधार हुआ है।

10 वर्तमान नार्मज के अनुसार अगर फसल को हानि 25 प्रति ात से कम हो तो कोई सहायता प्रदान नहीं की जाती। अगर फसल का नुक्सान 25 प्रति ात अधिक हो तो राज्य सरकार आबियान के स्थग्न/मुनाफी के बारे विचार करती है और अगर खराबा पचास प्रति ात से अधिक हो तो अल्पाविधि सहकारी ऋणों में तबदील करने पर विचार करती है। मास अक्तूबर में गिरदावरी होगी और अगर खराबा नार्मज के अनुसार पाया गया तो आबियान के स्थगन/मुआफी व सहकारी ऋणों के परिवर्तन बारे विचार किया जायेगा।

11 राज्य की वर्तमान नीति के अनुसार बाढ व सूखा से हुए फसल के नुकसान के लिए कृशकों को कोई नकद मुआवजा नहीं दिया जाता। ओलावृश्टि से फसल को नुकसान होने पर नकद मुआवजा दिया जाता है। सूखा व बाढ से फसलों को नुकसान होने की सूरत में कृशि इनपुट सबसिडी दी जाती है और गिरदावरी परिणाम व उत्पादन के अनुदान प्राप्त होने पर ऐसी अदायगी पर विचार किया जायेगा।

12 वर्श 1989–90 के बजट में 5.75 करोड़ रूपये के मार्जिन मनी की व्यवस्था की गई है जिसमें राज्य व केंद्र सरकार का हिस्सा 50:50 होता है। प्राकृतिक आपदाओं पर खर्चा जिसमें सबसिडी की अदायगी भी भाामिल है इस मार्जिन मनी में से किया जा सकता है। अब तक लगभग 2.00 करोड़ रूपये मार्च, अप्रैल, 1989 में हुई ओलावृश्टि के लिए तथा बाढ की तैयारी व राहत के लिए उपायुक्तों को दिये जा चुके है। राज्य सरकार के पास फिलहाल 4.00 करोड़ रूपये की भोश राि ा उपलब्ध है और अगर यह पाया गया कि कृशक समुदाय (कृशि मजदूरों सहित) को अगर कोई सहायता देय बनती है तो इस राि ा का उपयोग इस उद्दे य के लिये किया जा सकता है। वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह आ ाा की जाती है कि यह राि ा इस वर्श की स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त होगी। सारी स्थिति का परीक्षण करने के उपरान्त यह अनुभव किया गया है कि भारत

सरकार को केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिये वित्तीय ज्ञापन प्रस्तुत करने से कोई लाभप्रद उद्दे य पूर्ण नहीं होगा।

13 मैं इस अवसर पर इस महान सदन को वि वास दिलाना चाहूंगा कि कृशकों व कृशि मजदूरों की कठिनाईयों को दूर करने के लिये राज्य सरकार ने हर सम्भव प्रयत्न किये है और ऐसे प्रयत्न किये जाते रहेंगे।

श्री हीरा नंद आर्यः डिप्टी स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अपने जवाब के अंत में यह कहा है कि भारत सरकार को केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिये वित्तीय ज्ञापन प्रस्तुत करने से कोई लाभप्रद उद्दे य पूर्ण नहीं होगा। मैं मंत्री महोदय की जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि पीछे बरसात होने की वजह से अच्छी फसल होने की संभावनाएं बढ गई थी लेकिन अब फिर बरसात की कमी महसूस की जा रही है क्योंकि बरसात न होने की वजह से फसलें खराब होती जा रही है। मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार स्पै ाल गिरदावरी करा कर भारत सरकार को एक ज्ञापन दें और ऐप्रोच करें कि हमें और अधिक ग्रांट दीजिए ताकि हम अपने किसानों की मदद कर सकें।

श्री सूरजभानः डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे पास पिछला चार करोड़ रूपया बकाया पड़ा हुआ है। जब वह खत्म हो जायेगा तब देख लेंगे। दूसरे केंद्रीय सरार से कोई पैसा मिलने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती।

अनुपस्थिति की अनुमति–

श्री सुभाश कटियाल, समाज कल्याण मंत्री को

श्री उपाध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, मुझे श्री सुभाश कटियाल, सो ाल वैल्फेयर मिनिस्टर की ओर से एक इंटीमे ान मिली है जो इस प्रकार है–

" I am confined to bed due to an injury and I have been advised complete bed rest by doctors for a period of 15 days. It is, therefore, requested that my absence from the Vidhan Sabha Session starting from today the 11th September, 1989 may pleased be excused."

Question is-

That leave of absence be granted to Shri Subhash Katyal, Social Welfare Minister, for the current session of the Vidhan Sabha.

Voices: Yes.

The motion was carried.

वर्श 1989–90 के सप्लीमैंटरी ऐस्टिमेटस (पहली किस्त) पर चर्चा तथा मतदान

अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

श्री उपाध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, अब वर्श 1989–90 के सप्लीमैंटरी ऐस्टिमेटस (फर्स्ट इंस्टालमैंट) पर डिस्क ान होगी।

पहली प्रैक्टिस के मुताबिक और हाउस का टाईम सेव करने के लिये आर्डर पेपर पर रखी गई आल इंडिया डिमांडज फार ग्रांटस पढी एवं मूव की गई समझी जाएगी। आनरेबल मैम्बर्ज किसी भी डिमांड पर डिस्क ान कर सकते है, लेकिन डिस्क ान करने से पहले वह उस डिमांड का नम्बर बता दें, जिस पर बोलना चाहते है। डिस्क ान के बाद डिमांडज हाउस की वोट के लिए पुट की जाएगी।

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10,86,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1990 in respect of Demand No. 1-Vidhan Sabha.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 47,25,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1990 in respect of Demand No. 13-Social Welfare and Rehabilitation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 18,20,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1990 in respect of Demand No. 18-Animal Husbandry.

श्री हरनाम सिंह(ाहबाद): डिप्टी स्पीकर साहब, हाउस में जो सप्लीमैंटरी डिमांडज रखी गई है मैं उनका समर्थन करता हूं। डिमांड नम्बर 13 सो ाल वैल्फेयर की है मैं इसका समर्थन

करता हूं लेकिन मैं सो ाल वैल्फेयर के बारे में एक–दो सुझाव रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी रेलवेज में विकलांग लोगों को फ्री सफर करने की इजाजत है और पंजाब में भी जो विकलांग लोग है उन्हें पंजाब रोडवेज की बसों में फ्री सफर करने की इजाजत है। मैं समझता हूं कि यह भी सो ाल वैल्फेयर का ही काम है कि जो विकलांग है, लूले और अंधे है, उन्हें हरियाणा रोडवेज की बसिज में फ्री सफर करने की इजाजत दी जाए। यदि इसके लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट को कोई पैसे की मदद की जरूरत हो तो वह उसे दे दी जाए। इसके साथ ही इसमें यह कहा है कि जो बेसहारा है, जिनका कोई रि तेदार नहीं है और मासिक आय पचास रूपये से कम है उन्हें पचास रूपये मासिक पैं ान दी जाएगी। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं समझता हूं कि जो ऐसे लोग है व विधवाएं है या अधिकतर बीमार और गरीब लोग है जिनका कोई सहारा नहीं है। उनके लिए यह पचास रूपये महीने की पैं ान बहुत कम है और उन्हें कम से कम सौ रूपये महीना पैं ान दी जाए। धन्यवाद।

श्री कैला ा चंद भार्मा(नारनौल): उपाध्यक्ष महोदय, इस समय हाउस के सामने जो सप्लीमैंटरी डिमांडज का प्रस्ताव किया गया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और मांग नम्बर 13 पर अपनी बात कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में इस सरकार के सत्ता में आने के बाद से समाज कल्याण विभाग इतना प्रमुख विभाग बन गया है कि

हरियाणा का आम गरीब, मजदूर, विधवा और बेसहारा लोग इस विभाग से जुड़ गये कई कल्याणकारी योजनाएं चलाने के कारण समाज कल्याण विभाग का जन सम्पर्क बहुत बढ गया है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि क्योंकि इस विभाग के कर्मचारियों की संख्या इतनी सीमित है कि वे इस बढे हुए कार्य को ठीक प्रकार से सम्भाल नहीं पा रहे है इसलिए इस विभाग में अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था की जाए। दूर–दूर से आने वाले रोगियों को अटैंड करने वाला कोई कर्मचारी नहीं है जिस कारण बाहर से आने वाले आम लोग परे ाान होते है और उन्हें सही मार्ग द र्ान नहीं मिलता। इस विभाग के कर्मचारियों का वर्क लोड भी बढ गया है इसलिए मेरा निवेदन है कि स्टाफ की संख्या बढानी चाहिए।

डपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं। वृद्धावस्था पैं ान सौ रूपया मासिक दी गई है। विधवाओं को जिन्हें पहले पचास रूपये पैं ान मिल रही थी हमारी सरकार ने उसको बढाकर 75 रूपये कर दिया है। इस बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि महंगाई इतनी ज्यादा बढ गई है कि यह रा ि ा बहुत कम पड़त है। वृद्धावस्था पैं ान सौ रूपये है इसलिए विधवाओं को भी कम से कम सौ रूपये मासिक पैं ान मिलनी चाहिए और नियमित रूप से मिलनी चाहिए। ताकि उन्हें यह न महसूस हो सकें कि दूसरों को उनसे ज्यादा पैं ान मिल रही है। उनके लिए यह पैं ान रा ि ा जीवन–मरण का सवाल है। वृद्धों

को तो पैं ान उनका सम्मान करने के लिए दी गई है लेकिन विधवाओं के लिए तो यह पैं ान रा ि ा गुजारे का साधन है इसलिए उनको यह नियमित रूप से मिलनी चाहिए। आजकल उनको यह पैं ान तीन तीन या चार चार महीने की एक साथ मिलती है। अतः मेरा निवेदन है कि विधवाओं को हर महीनें पैं ान मिलनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री दुर्गा दत्त अत्री(राजौंद): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सप्लीमेंटरी डिमांडज पर बोलने का अवसर प्रदान किया है इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले मैं मांग संख्या 1 जोकि विधान सभा के बारे में है, अपने सिफारि ों रखती है और लगातार कई सालों से इसी तरह रख रही है।

श्री उपाध्यक्षः अत्री साहब, यह तो हरियाणा विधान सभा की सप्लीमैंटरी डिमांडज पर डिस्क ान चल रही इसमें पैटी ान कमेटी का जिक कहां से आ गया?

श्री दुर्गा दत्त अत्रीः डिप्टी स्पीकर सर, मैं इसी विशय पर ही बोल रहा हूं। पैटी ांज कमेटी के जो रूल्ज है उनमें अमैंडमैंट के लिए कमेटी ने अपनी सिफारि ों की हुई है लेकिन उन पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। इसलिए मैं आपसे वि ोश रूप से अनुरोध करूंगा कि रूल्ज कमेटी भी फ्रेम कर दी

जाए ताकि जो सिफारि ें लम्बे समय से लंबित चली आ रही है उनका निपटान किया जा सके।

अब मैं मांग नं0 18 पर अपनी बात कहूंगा जो प ाु पालन विभाग के बारे में है। हरियाणा प्रदे ा ज्यादातर कृशि पर निर्भर करता है। हरियाणा में लोगों का अधिकतर अपना धन प ाु धन ही है। इस ओर सरकार को वि ोश ध्यान देने की आव यकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सरकार हर गांव में एक स्टौकमैन सैंटर का प्रावधान अव य करें। हरियाणा में बहुत से ऐसे गांव है जहां पर प ाुओं के लिए कोई भी डिसपैंसरी नहीं है। 18 लाख 20 हजार रूपये की जो अनुपूरक मांग हाउस के सामने रखी गई है, यह बहुत थोड़ी है। इस पैसे को बढाया जार्ये और कम से कम हर गांव में एक डिस्पैंसरी का अव य प्रावधान होना चाहिए और एक अटैंडैंट प ाुओं के लिए जरूर होना चाहिए। इतना कहकर मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इन मांगों का समर्थन करता हूं।

बृज मोहन(जगाधरी): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं मांग नम्बर 13 पर अपने विचार रखना चाहता हूं। मैं किसी बात को रिपीट नहीं करूंगा। मांग नम्बर 13 सो ाल वैल्फेयर के बारे में है। दूसरे सदस्यों ने भी विकलांग, वृद्ध और विधवाओं की पैं ान के बारे में कहा है उसी प्रकार से मैं वृद्धावस्था पैं ान के बारे कहना चाहूंगा। कुछ लोग जिनकी आयु 65 साल से कम है और वे कहीं पौलिटीकल अटैच है उन्हें पैं ान मिल रही है लेकिन

जिनकी आयु 65 साल से ज्यादा है और कोई सहारा नहीं है उन्हें नहीं मिल रही है। कई जगहों पर देखने में आया है कि जिनकों पैं ान मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल रही है और जिनको नहीं मिलनी चाहिए वे ले रहे है। जिन लोगों को नहीं मिल रही है वे भाायद हमारा साथ दे दें, हमारी बात को सुन लें, इस सरकार के गुण गा लें लेकिन जो नाजायज तौर पर पैं ान ले रहे है वे हमारी मुखालफत जान–बूझ कर रहे है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि कुछ बी0डी0ओज0 और सरपंचों ने जानबूझ कर भारारत की है। ऐसे लोगों की पैं ान के बारे में दुबारा से जांच–पड़ताल करायी जाये और दूसरे जो लोग अभी पैं ान लिए बिना रह गये है या अभी 65 साल के होने जा रहे है उनके बारे में सोच–विचार करके तहसील लैवल पर या सब–डिवीजन लैवल पर दफतर ठीक ढंग से खोला जाये। उस दफतर में ऐसे कर्मचारी लगायें जाने चाहिए जो उनकी सही सेवा कर सकें। वहां उस दफतर में फार्म भी मिलने चाहिए। फार्मों के बारे में कहते हुए बड़ा दुख होता है कि वे महंगे भाव पर बेचे जा रहे है। गरीब आदमी पैं ान के लिए आत है तो उससे फार्म के पैसे भी लेते है। इसलिए तहसील लैवल पर दफतर खोला जाये और वहां पर ऐसे कर्मचारियों को लगाया जाये जो उन्हें सही गाइडैंस दें और फार्म भी दें। वे अनपढ आदमी होते है इसलिए उन्हें फार्म भी दें और उनका मैडिकल भी फ्री कराये। उनका मैडिकल किसीं न किसी माध्यम से करा ले वरना उन गरीब आदमियों को पैसे देने पड़ते है। इसलिए उनका मैडिकल फ्री होना चाहिए। दूसरे जो लोग

नाजायज तौर पर पैं ान ले रहे है उनकी जांच पड़ताल की जाये। जो लोग बिना पैं ान के रह गये है उनके लिए हर तहसील केंद्र पर दफतर खोल जाये ताकि वे अपनी पैं ान ले सकें। इन भाब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री रतन लाल कटारिया(रादौर, अनुसूचित जाति): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग नम्बर 18 के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह मांग प ाु पालन के विशय में है। आप सभी को पता है कि भारतवर्श मुख्य रूप से कृशि प्रधान दे ा है। यहां के लगभग पचास परसैंट लोग ऐसे है जो गरीबी रेखा के नीचे रहते है। वे अपना गुजारा करने के लिए अधिकतर प ाु धन पर ही निर्भर करते है। आप जानते है कि आज एक भैंस का रेट 7–8 हजार रूपये का है। इसी कारण से आज एक गरीब व्यक्ति उसका दूध बेचकर अपना गुजारा करता है लेकिन देखने में यह आया है कि गांव के अंदर आज भी प ाु हस्पताल नहीं है। अगर प ाु को कोई बीमारी हो जाती है या वह बीमार हो जाता है तो इस कारण से उस गरीब का बहुत बड़ा नुक्सान होत है। वह व्यक्ति जो हर रोज मजदूरी करके किसान के खेत में से घास लाकर प ाुधन पर अपने सारे परिवार का पेट पालता है और निर्भर करता है, अगर उस व्यक्ति का 8–10 हजार रूपये का नुकसान हो जाये तो उसके परिवार का जो ताना–बाना है वह एकदम से बिखर जाता है। इस तरह की बात आज के इस युग में भी हो सकती है इस पर यकीन नहीं किया जा सकता जिस

प्रकार से व्यक्तियों के इलाज के लिये गांव–गांव में मैडिकल फैसिलिटीज होनी अति आव यक है उसी तरह से ही नहीं मैं तो यह कहूंगा कि उससे भी अति आव यक यह बात है कि प ाुधन को बचाने के लिये मैडीकल फैसीलिटीज होनी चाहिए। ताकि तरह तरह की बीमारियों पर रोक लगायी जा सके। इसके लिए इस विभाग को और धन दिया जाना चाहिये। इसलिये आज आव यकता इस बात की है कि इनको प्रोत्साहन देने के लिये जितनी भी ज्यादा से ज्यादा रा ि ा इस बजट के अंदर रखी जाये, वह मैं समझता हूं कम होगी। मैं यह कहूंगा कि इस विभाग की ओर ध्यान देकर ज्यादा से ज्यादा धन का इस बजट के अंदर प्रोवीजन करना चाहिये। इसके साथ साथ मैं मांग नं0 13 जो सो ाल वैल्फेयर के बारे में है यह कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदे ा की इस लोकप्रिय सरकार ने जिस प्रकार से ओल्ड एज पैं ान की योजना लागू की है इसकी चर्चा हिंदूस्तान के कोने कोने में हमें सुनने को मिलती हैं। हमारा हरियाणा प्रदे ा ही एकमात्र ऐसा प्रदे ा है जिसमें ओल्ड एज पैं ान की यह स्कीम चलायी हुई है। मुझे अपने संगठन के कार्य के लिये कई बार जब दूसरे प्रदे ाों में जाना पड़ता है तो लोग पूछते है कि क्या यह वाकई सच बात है। यह बहुत जबरदस्त स्कीम हमारी इस लोकप्रिय सरकार ने चलायी है। इसके साथ साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि जो विकलांग बच्चे है, जिनके परिवार की आय बहुत थोड़ी है और वह पढना चाहते है ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिये व्यवस्था करना भी इस सरकार का कर्तव्य बन जाता है। मैं

यह चाहूंगा कि अधिक से अधिक रा ि ा इस सो ाल वैल्फेयर डिपार्टमैंट को दी जाये ताकि ऐसे बच्चे पढ–लिख कर इस दे ा की तरक्की में सहयोग दे सकें। मैं इस समाज कल्याण विभाग की मांग के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं कि जो गरीब और कमजोर तबके है उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिये कुछ जमीन आदि खरीदने के लिये लोन दिया जाता था ताकि वह चार–पांच एकड़ जमीन खरीद कर अपना गुजारा कर सकें। भाायद आज वह व्यवस्था नहीं है कि गरीब लोग अपने गुजारे के लिये जमीन खरीद सकें। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह इन गरीब लोगों को सस्ती दर पर लोन उपलब्ध करवाये। वैसे तो आज जमीन की कीमतें आसमान छू रहीं है लेकिन फिर भी मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह इन गरीब लोगों को सस्ती दर पर लोन उपलब्ध करवायें। वैसे तो आज जमीन की कीमतें आसमान को छू रही है लेकिन फिर भी मैं यह चाहूंगा कि इस प्रकार के गरीब परिवारों को 20,000 रूपये के हिसाब से कम से कम पांच एकड़ जमीन खरीदने के लिये सस्ती दर पर लोन देने का प्रोवीजन किया जाये ताकि वह गरीब भी भारत वर्श की उन्नति का भाग बन सके। ऐसी व्यवस्था अव य होनी चाहिए। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री रघु यादव(रिवाड़ी): उपाध्यक्ष महोदय आज सदन के सम्मुख सप्लीमैंटरी ऐस्टिमेटस (फर्स्ट इन्स्टालमैंट) 1989–90 रखी गयी है। मैं इनकी डिमांड नं0 13 जो सो ाल वेल्फेयर एंड

रिहैब्लीटे ान से संबंध रखती है, पर अपने विचार रखना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, वृद्धावस्था पैं ान 65 साल से बड़े लोगों को सम्मान के रूप में देने की हरियाणा सरकार ने घोशणा की हुई है। उस योजना का अभी तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार नहीं हो सका है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के न होने और पैसे की कमी होने की वजह से बूढों को, बुजुर्गों को हर बार पैं ान की किस्त पाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। इस समय भी बुजुर्ग अपनी पैं ान की किस्त का इंतजार कर रहे है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोद, इतनी बड़ी योजना के लिए एक सुव्यवस्थित इंफ्रास्ट्रक्टर होना चाहिये था जोकि नहीं है और बुजुर्गों को हर बार अपनी पैं ान की किस्त पाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। यह स्वागत की बात है कि कोई समाज या व्यवस्था अपने बुजुर्गों को सम्मान दे लेकिन हरियाणा सरकार के खजाने पर जो बोझ पड़ा है उस बोझ को पूरा करने के लिये जो हरियाणा में नीतियां बदली गई और लागू की गई वह कोई समाज कल्याण की नहीं कही जा सकती। उपाध्यक्ष महोदय, जब हम पहले हरियाणा के बाहर जाते थे तो वहां के लोग कहते है कि आप उस हरियाणा के है जिसकेबारे में कहा जाता है कि ''दे ाों में दे ा हरियाणा जहां दूध दही का खाना'' ओर अब जब हम कहीं जाते है तो लोग कहते है आप उस हरियाणा के है जिसके बारे में कहा जाता है कि ''दे ाों में दे ा हरियाणा जित बीयर दारू का पीना। इतनी खुली कर दी बीयर और दारू की जगह–जगह भाराब की दुकानें खोल दीं और जगह जगह अहाते खोल दिए। (विघ्न) बुढापा

पैं ान के लिए पैसा जुटाने के लिये सरकार आज गांव गांव गली में भाराब की नदियां बहा रही है।

श्री उपाध्यक्षः इस डिमांड में दारू कहां से आ गई?

श्री रघु यादवः यह समाज कल्याण से संबंधित है। यह सो ाल वैल्फेयर एंड रिहैब्लीटे ान से रिलेट करती है।

Mr. Deputy Speaker: You should confine yourself to demands under discussion. आप डिमांड के बारे में बताएं। कितना अमाउंट है, वह गलत है या ठीक है। आप तो दूसरी बातों पर भाशण देने लग गए।

श्री रघु यादवः भाराब का संबंध समाज कल्याण से है (ाोर एवं व्यवधान) आबकारी नीति ढीली की गई जिसकी वजह से अहाते खोले गए.....

उप मुख्य मंत्री(श्री बनारसी दास गुप्ता): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो भी सम्मानित सदस्य बोलें वह रैलेवैंट बोले और डिमांड पर बोले हमारे कई सम्मानित सदस्य ऐसे है जिनकी आदत है कि वे इरैलेवैंट बोलते है और केवल अखबारों में अपना नाम छपवाने के लिये भाशण देते है। जहां भी उनको मौका मिलता है वे सरकार की नुक्ताचीनी करने लग जाते है जिससे कि उनका नाम अखबारों में आ जाए। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बड़ा लिमिटिड सबजैक्ट है। ये केवल डिमांड के ऊपर ही बोलें। ऐसा नियमों के अंदर प्रावधान है।

श्री रघु यादवः मैं तो डिमांड पर ही बोल रहा हूं।

Mr. Deputy Speaker: Mr. Yadav, please be relevant.

श्री रघु यादवः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि हमारी सरकार के माननीय मंत्रीगण अपने ही अनुकूल बातें सुनना चाहते है। सच्ची टीका टिप्पणी उन्हें पसंरी नहीं है। हमारे मंत्रियों को यह आदत पड़ गई है।

श्री उपाध्यक्षः आप कौन सी डिमांड पर बोल रहे है?

श्री रघु यादवः मैं डिमांड नंबर एक पर बोल रहा हूं। इस डिमांड में 10 लाख 86 हजार रूपये मांगे गए है और इसलिये मांगे गए है कि 16 नए विधायक फलैटों की 25 प्रति ात लागत की अदायगी गवर्नमैंट की तरफ से करनी पड़ी। हरियाणा विधान सभा की दूसरी मंजिल पर अतिरिक्त अधिकारियों की गैलरी की साज सज्जा पर अधिक खर्च करना पड़ा। विधायकों के यात्रा बिलों की अदायगी करने, रेल यात्रा कूपनों की लागत और मंत्रियों तथा विधायकों के प्रयोग के लिए खरीदी गई पुस्तकों पर कुछ अतिरिक्त पैसा देना पड़ा। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो सम्मानित विधायकगण आए है और मंत्रीगण बैठे है व जनता के सेवक है। सेवा करने के लिये अगर कुछ खर्चा होता है तो वह विधान सभा की मांग में आता है। इसमें कोई विरोध की बात नहीं हो सकती। उपाध्यक्ष महोदय, जब कांग्रेस की हकूमत थी तो उस समय एक मुख्य मंत्री ने चालीस मंत्री और चेयरमैन बना दिए

थे तो हम सब ने उस वक्त इसके विरूद्ध भाोर किया था। हमने इसको गलत बताया था। चौधरी देवी लाल और हम कहा करते थे कि ये एक अली बाबा और चालीस चोर है। हम उस वक्त कहते थे कि इस छोटे से प्रांत के खजाने पर इतना ज्यादा बोझ डालना अच्छा नहीं है। हम पब्लिक मंच से कहते थे कि अगर हम सत्ता में आए तो छोटी मिनिस्ट्री बनाएंगे लेकिन आज हरियाणा में स्थिति विपरीत है।.....

श्री बनारसी दास गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का डिमांड से कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री उपाध्यक्षः आप विधान सभा को क्रिटीसाइज कर रहे है, यह ठीक नहीं है। आपको अढाई साल मैम्बर बने हो गए है। आपको पता होना चाहिए कि डिमांड पर क्या बोलना है। Do not waste the time of this august House.

श्री रघु यादवः मैं विधान सभा को क्रिटीसाइज नहीं कर रहा हूं और न ही विधान सभा के किसी सम्मानित सदस्य को क्रिटीसाइज कर रहा हूं। आज हरियाणा प्रांत का हर व्यक्ति यह महसूस कर रहा है कि हरियाणा प्रांत एक छोटा सा प्रांत है। उसका खजाना सीमित है। उस पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। हम तो पहले ही चालीस मंत्री और चेयरमैन का ही विरोध करते थे और उनको एक अली बाबा और चालीस चोर कहते थे।.....उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह

कहना चाहता हूं कि विधान सभा के सदस्य पब्लिक ट्रस्ट के ट्रस्टीज है।

श्री बनारसी दास गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि विधान सभा के हैड से मंत्रियों की तनखवाह और चेयरमैन की तनखवाह नहीं बांटी जाती। अगर मिनिस्ट्री का साइज बड़ा भी कर दें तो इसका बोझ विधान सभा के हैड पर नहीं पड़ता।

श्री रघु यादवः मुझे मंत्री मंडल से कोई ि ाकायत नहीं है.....है। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः इन सब बातों को कहने की डिमांड से क्या रैलीवैंसी है?

श्री रघु यादवः उपाध्यक्ष महोदय,.....तब भी मुझे कोई आपति नहीं है। (ाोर एवं व्यवधान)। मतलब तो जन सेवा से है।

राजस्व मंत्री(श्री सूरज भान): उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह इररैलेवैंट बोलने वाले को बंद करने का एक ही तरीका हो सकता है कि ऐसी बातों को रिकार्ड में ही न लाया जाए।

श्री उपाध्यक्षः ठीक है। यह जो मिनिस्टरों वाली बात है यह ऐक्सपंज कर दी जाए।

श्री रघु यादवः उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विचार में तो कोई बात इरैलेवैंट नहीं है। मंत्री महोदय जो कुछ कह रहे है, वह गलत है। मैं तो डिमांड पर ही बोल रहा हूं।

Mr. Deputy Speaker: Mr. Yadav, you are speaking irrelevant. It is my ruling and my judgement. You please sit down.

श्री रघु यादवः यदि यह आपकी रूलिंग है तो ठीक है। मतलब तो हमारा जनता की सेवा से है। हमें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता.....(ाोर एवं व्यवधान)

मुद्रण तथा लेखन सामग्री राज्य मंत्री(श्री मनफूल सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि चौधरी देवीलाल जी ने हमारे कुछ ऐसे सदस्य बनवाये है जिनको बनवा कर उन से बड़ी भारी भूल हुई है। उन आदमियों को इस हाउस की गरिमा का ही पता नहीं है। अगर उनको हाउस की गरिमा का पता हो तो वे कम से कम इन बातों को सीख लें कि सदन में कैस बोला जाता है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना काम चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व में इस सरकार ने किया है, भाायद ही हिंदुस्तान की किसी स्टेट में ऐसा हुआ हो। अगर उन्होंने कोई बात करनी है तो वे फील्ड में जाकर करैं या मुख्य मंत्री महोदय जी के कमरे में जाकर करें। अगर कोई उनके दिल में गिला ि ाकवा है तो वे वहां जाकर कह सकते है। यहां कोई

बोलने का उनका ढंग सही नहीं है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये जो इस तरह की बातें यहां परकह रहे है इसको रिकार्ड में से निकाल दिया जाए। पहले भी जब उप–मुख्यमंत्री महोदय बोल रहे थे तो ये इसी तरह से बार बार बीच में उठकर रोक टोक कर रहे थे जोकि इस हाउस की गरिमा के विरूद्ध था। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पास इतना फालतू समय नहीं है कि हम इनकी इस तरह की बेमतलब, बतुकी बातें सुन सकें। इनकों यहां पर इस तरह की बातें कहने से रोका जाना चाहिए या फिर इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में भेजा जाए या इटली जैसे मुल्क में भेज दिया जाए जहां कि ऐसे आदमियों की सख्त जरूरत है।

श्री रघु यादवः उपाध्यक्ष महोदय.....
.....

श्री उपाध्यक्षः मिस्टर रघु यादव, आप चूंकि अनपार्लियामेंटरी लैंग्वज बोल रहे थे इसलिए ये सारी बातें रिकार्ड पर नहीं आएगी। You please take your seat. Now, Mr. Bhagwan Sahai Rawat will speak.

श्री भगवान सहाय रावत(हथीन): उपाध्यक्ष महोदय, जो तीन अनुपूरक मांगें यहां पर प्रस्तुत की गयी है, मैं उन मांगों के विशय में बड़े संक्षिप्त में अपने विचार रखना चाहूंगा। प्रथम मांग विधान सभा से संबंधित है जिसमें विधायाको, मंत्रियों और उनके फलैट व लायब्रेरी के लिये पुस्तकें खरीदने संबंधी प्रोवीजन है।

इसमें जो खर्च हुआ है उस की अनुमति मांगी गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, आज जहां हमारी सरकार आर्थिक क्षेत्र में बधाई की पात्र है वहां नि चत रूप से यह सरकार वास्तविकता में जन प्रतिनिधित्व करती है। मैं समझता हूं कि हमारे सांझे मोर्चे के इतने सदस्य यानी नब्बे में से छियासी प्रतिनिधि जो लोगों ने चुनकर यहा ंपर भेजे है यह इस बात का प्रतीक है कि जनता की इस मोर्चे पर कितनी आस्था है। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते है कि जनता का कार्य करने के लिये, उनकी सुख–सुविधाओं का ध्यान रखने के लिये और हरियाणा से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिये जो आव यक खर्चे है वे जुटाने पड़ते है। मुझे इस बात की खु ी है कि जहां हरियाणा राज्य अन्य क्षेत्रों में अग्रणी होता जा रहा है वहां नये बिल यहां ला कर के, नये नये काम भुरू कर के यह सरकार दे ा के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। जो बुद्धि जीवी लोग यहां पर चुन कर आते है उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे यहां आकर रैलेवैंट बात करें। मैं चाहता हूं कि इसमद को और बढाया जाए। हमारी लाइब्रेरी के लिए और फंड दिए जाएं ताकि माननीय सदस्यों को ज्ञान प्राप्त करने की और सुविधा मिल सके। मैं इस मांग का समर्थन करता हूं।

अब मैं मांग संख्या 13 जो समाज कल्याण से ताल्लुक रखती है, पर कुछ कहना चाहता हूं। इसमें अपंग आदमियों के लिये आय सीमा पचास रूपये नि चत की गई है। मैं चाहता हूं

कि या तो इसको खत्म ही कर दें वरना इसको बढा दें। पचास रूपए आमदनी की रिस्ट्रिक ान लगाना ठीक नहीं है। इस सरकार ने पैं ान के लिए भी उदारवादी नीति अपनाई है। यहां पर हैंडीकैप्ड को पें ान देने का प्रावधान रखा गया है। इस बारे में एक दो बातें रह गई है अगर इनको भी दूर कर दिया जाए तो नि चत रूप से यह स्कीम बहुत सराहनीय होगी। इसमें सरकार की नीति का दोश नहीं है बल्कि लोकल पोलिटिकस के कारण ऐसी बात होती है। इसमें कमी यह है कि आज भी अधिकां ा लोग भारत और हरियाणा में ग्रामों में बसते है। वहां परजो उमर का रिकार्ड रखा जाता है वह ठीक दृश्टि से नहीं रखा जाता। पहले हमारे यहां चौकीदार और नम्बरदार सिस्टम होता था। उस समय इनके माध्यम से जन्म की तारीख रिकार्ड की जाती थी। लेकिन चूंकि अब हमारी सरकार ने रैवेन्यू बंद कर दिया है इसलिए ये सिस्टम बंद हो गए। मेरा सुझाव है कि आने वाली पीढी के लिए कम से कम ऐसा प्रावधान सरकार करे जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी म्यूनिसिपल कमेटियों की तरह रिकार्ड मैनटेन किया जाए। ऐसा करने से आयु का पता लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन सुझावों के साथ मैं इन सभी डिमांडज का समर्थन करता हूं।

श्री हजार चंद(सिरसा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 13 और 18 के बारे में कुछ सुझाव देना चाहूंगा। मांग संख्या 13 में वृद्धावस्था पैं ान, विधवाओं की पैं ान तथा विकलांगों को पैं ान देने का प्रावधान है। इस बात से कोई इंकार नहीं कर

सकता और हर आदमी यह मानता है कि हरियाणा सरकार ने जो पैं ान देने की व्यवस्था की है यह एक महान काम है। लेकिन इसकी तकसीम में कुछ ऐसी कमजोरियां है जिनसे कई लोगों को पैं ान नहीं मिल पाती और वे बहुत परे ाान है। उनकी परे ाानी का फायदा कुछ लोग प्रचार की सूरत में उठाने की कोि ा ा करते है। मेरा सुझाव है कि हर हल्कें के अंदर जितने भी पैन् ानर है उनकी एक लिस्ट हल्कें के एम0एल0ए0 के पास लाजमी होनी चाहिए। पिछले सै ान में यह बात मानी गई थी। उससे यह फायदा होगा कि जिन लोगों ने नाजायज पैं ान लगवा रखी है उनको एम0एल0ए0 के पास लाजमी होनी चाहिए। पिछले सै ान में यह बात मानी गई थी। उससे यह फायदा होगा कि जिन लोगों ने नाजायज पैं ान लगवा रखी है उनको एम0एल0ए0 चैक करके आगे रिपोर्ट कर सकेगा और जिन लोगों की पैं ान नहीं लग पाई यानी कमेटी उन लोगों को किसी वजह से नजर अंदाज कर आई, उनके बारे में भी एम0एल0ए0 देख सकेगा और आगे अफसरों को उसकी रिपोर्ट देगा। एक सुझाव मैं और देना चाहूंगा कि पैं ान की तकसीम का सिलसिला डाकखाने के डाकिए के जरिए होता है। उस डाकिए के उपर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। न सरकार उसकी जवाब तलबी कर सकती है और न उसको सस्पैंड कर सकती है क्योंकि यह सैंट्रल गवर्नमैंट का मुलाजिम है। डाकियों ने इस तरह का ढंग बना रखा है कि वे बगैर कमी ान के पैं ान नहीं देते। यदि उसको कमी ान नहीं दिया जाता तो वह रिपोर्ट कर देता है कि इस गांव में इस नाम

का कोई आदमी नहीं है। यहां तक मिसाल है कि डाकिया ऐसी रिपोर्ट भी कर देता है कि यह आदमी मर चुका है जबकि वह आदमी जिंदा है। इस तरह से डाकियों द्वारा पैं ान कीतकसीम करवाई जा रही है जिससे बहुत बदइंतजामी चल रही है। मेरी प्रार्थना है कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसके तहत हमारी सरकार के कंट्रोल में पैं ान की तकसीम हो ताकि ठीक ढंग से पैं ान का भुगतान हो सके। इसके अलावा मैं विकलांगों की पैं ान के बारे में कहना चाहूंगा। विकलांगों के बारे में यह है कि यदि कोई सत्तर परसैंट डिस–एवलड होता है तो उसकी पैं ान मंजूर हो जाती है वरना नहीं होती। जिस आदमी का हाथ का पूरा पंजा कट जाता है उसको सत्तर परसैंट डिसएबल्ड नहीं माना जाता जबकि हाथ का पूरा पंजा कट जाने पर आदमी कोई काम नहीं कर सकता। पंजा कट जाने से आदमी किसी लायक नहीं रहता। मेरी अर्ज है कि ऐसे आदमी को भी सत्तर परसैंट डिसएबल्ड माना जाना चाहिए और उसको वही सहूलियतें दी जानी चाहिएं जो एक विकलांग को दी जाती है।

इसके अलावा मैं मांग संख्या 18 के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। इस बारे में मैं सुझाव देना चाहूंगा कि प ाुधन केंद्र हर गांव में खोले जाने चाहिएं क्योंकि अगर एक आदमी बीमार हो जाता है उसको किसी व्हीकल पर दो चार मील तक ले जाया जा सकता है लेकिन अगर कोई प ाु बीमार हो जाए तो उसको उठा कर कहीं पर नहीं ले जाया जा सकता।

इसलिए प ा के ईलाज के लिए गांव में ही प ाधन केंद्र होना चाहिए। यदि हर गांव में प ाधन केंद्र खोल दिया जाए तो बहुत अच्छा काम होगा। इन सुझावों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं।

उप मुख्यमंत्री(श्री बनारसी दास गुप्ता): उपाध्यक्ष महोदय, बहुत छोटी सी रकम अनुपूरक मांगों की भाक्ल में विधान सभा के सामने प्रस्तुत की गई है। जहां हमारा दो हजार करोड़ रूपए के लगभग का बजट है उसमें केवल 76 लाख 31 हजार रूपए की ये डिमांड पे ा की गई है। आप सभी जानते है कि जब साल का बजट तैयार किया जाता है तो उस समय कुछ बातें ऐसी होती है जो नजर में नहीं आती। हालात कुछ ऐसे बन जाते है, भत्ते, पैं ान बढा दिए जाते है या कुछ और खर्चा आ जाता है, ऐसे खर्चों को पूरा करने के लिए हमें सदन के सामने अनुपूरक मांगे प्रस्तुत करनी पड़ती है। ऐसे खर्चों के कारण ये डिमांडज सदन के सामने प्रस्तुत की गई है। ये अनुपूरक मांगें 76 लाख 31 हजार रूपए की है जिसमें नौन प्लान की रकम 10 लाख 86 हजार रूपए है और योजनागत प्लान की रकम 65 लाख 45 हजार रूपए है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी जिक्र चल रहा था कि प ाओं में एक बड़ी भयंकर बीमारी फैल जाती है और उस बीमारी का जो प ा ि ाकार हो जाता है वह मर जाता है। उससे किसान को बहुत भारी आघात पहुंचता है क्योकि आप सभी जानते है कि आजकल दस या पंद्रह हजार रूपए से कम कीमत में एक भैंस नहीं

मिलती। प ाुओं की कीमत बहुत ज्यादा बढ चुकी है यदि किसी गरीब किसान की भैंस, गाया या बैल मर जाए तो उसको बड़ा भारी आघात पहुंचता है, उसको बड़ी भारी चोट लगती है। उस महामारी को डरैडिड कैटल प्लेट कहते है। इस बीमारी को समाप्त करने के लिए भारत सरकार की तरफ से एक स्कीम चाल की गई है जिसका नाम आप्रे ान रैंडरपैस्ट जीरों स्कीम है। इस दे ा से इस सारी बीमारी को समाप्त करने के लिए यह स्कीम चालू की गई है। इस स्कीम के लिए भारत सरकार की ओर से हमें केंद्रीय सहायता के रूप में 18 लाख बीस हजार रूपए प्राप्त हुए है। यह रकम 76 लाख 31 हजार रूपए में से निकालने के बाद जो 58 लाख 11 हजार रूपए बचते है यह हमारे बजट पर ऐक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा। इस पैसे की मंजूरी के लिए मैं सदन के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के लिए दस लाख छियासी हजार रूपये की मांग रखी है। इस रूपए के लिए अतिरिक्त मांग इसलिए रखनी पड़ी क्योंकि पिछले दिनों विधायकों के कुछ भत्ते और टेलीफोन के खर्चे बढाए गए थे। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा हाल में जो हमारे आफिसर्ज के बैठने के लिए गैलरी है वह पहले बिल्कुल बैठने लायक नहीं थी। हमारे आफिसर्ज को सै ान के दिनों में यहां पर लगातार छः–छः घंटे बैठना पड़ता है। अब इस गैलरी को फर्नि ा किया गया है। इसी प्रकार से कुछ पुस्तकें विधान सभा की लाइब्रेरी के लिए नई खरीदी गई है ताकि हमारे बुद्धिजीवी एम0एल0एज0 और मंत्री इन किताबों को पढ कर इनसे कुछ लाभ

उठा सकें। उपाध्यक्ष महोदय, आपको तो सारा पता है क्योकि आप तो स्वयं हाउस कमेटी के चेयरमैन है। जब भी हमारे यहां सै ान होता है और सभी मैम्बर्ज इक्ट्ठा हो जाते है तो एम.एल.ए. होस्टल के अंदर हमारे दो दो विधायकों को एक–एक कमरे में इक्ट्ठा करने के बावजूद भी जगह नहीं मिल पाती। इसलिए इस समस्या को देखते हुए अब विधायकों के लिए सौलह नये कमरे तैयार किये जा रहे है। इन सौलह कमरों पर जो खर्चा आएगा उसका पच्चीस प्रति ात खर्चा हरियाणा सरकार को देना होगा और बाकी खर्चा चंडीगढ ऐडिमिनिस्ट्रे ान को देना होगा। इस सभी खर्चों की वजह से ही हमें विधान सभा के लिए यह अतिरिक्त मांग प्रस्तुत करनी पड़ी।

उपाध्यक्ष महोदय, अगली मांग समाज कल्याण विभाग की है। इसमें विकलांगों को पैं ान देने की बात कही गई है। अब हमने विकलांगों को पैं ान देने की नीति को कुछ और उदार बनाया है। इस नीति के तहत 9667 बैनिफि ारीज की संख्ख्या पहले की अपेक्षा बढ गई है। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा आपको पता है और सभी को पता है कि यह सरकार वृद्धावस्था पैं ान हरियाणा के लोगों को दे रही है। अब इस नीति के तहत इसमें काफी नए लोग भाामिल हो गए है, जिनकों हमें पैं ान देनी पड़ी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो लोग पहले 65 वर्श के नहीं थे और अब 65 वर्श के हो गए है, वे भी अब हमने पैं ान मिलने वालों में भाामिल कर लिए है जिनकी वजह से यह संस्था

बढ गई है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर सदस्यों ने बार बार बोलते हुए यह कहा कि कुछ ऐसे लोगों को पैं ान दी जा रही है जिनको नहीं दी जानी चाहिए और जिनको दी जानी चाहिए उनको पैं ान नहीं मिल रही। यह ठीक है कि ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन इस बड़े पैमाने पर जब कोई काम हो तो उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई गड़बड़ हो ही जाती है और इस मामले में गड़बड़ हुई भी है। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए सरकार ने एक स्कूटनी कमेटी बनाई है। हर डिस्ट्रिक्ट पर उनको यह छानबीन करने के लिए भेजा जाता है कि आया कोई गलत आदमी तो पैं ान नहीं ले रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे मुख्य मंत्री ने अपने तमाम विधायकों, मंत्रियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के जिम्में यह काम लगाया हुआ है कि वे भी इस बात का ध्यान रखें कि कहीं पर किसी गलत आदमी को पैं ान न मिले। हमारे सदस्य इस बात की बार बार ि ाकायत करते है कि जो इलीजिबल है उनको पैं ान नहीं दी जा रही है और जो इन–इलीजिबल है उनको पैं ान दी जा रही है। मैं अपने इन साथियों को कहना चाहता हूं कि वे अपने अपने हल्के की पूरी लिस्ट तैयार करके रखें और अपने अपने क्षेत्रों में जा कर देखें कि वृद्धावस्था पैं ान जिनको मिलनी चाहिए उनको मिल रही है या नहीं। कोई ि ाकायत उनके नोटिस में आये तो वे संबंधित डी0सी0 के पास जाएं और उस बारे में बताएं। हमारे मुख्य मंत्री महोदय द्वारा तमाम डी0सीज0 को ये आदे ा दिए हुए है कि यदि कोई विधायक या मंत्री वृद्धावस्था पैं ान के बारे में कोई सूची पे ा

करता है तो उसको स्वीकार किया जाये। इन ि ाकायतों को दूर किया जा सकता है अगर हमारे साथी विधायक इसमें अपनी रूची लें। सरकार तो अपनी ओर से कोि ा ा करती ही है। पिछले दिनों मुख्य मंत्री महोदय ने इस संबंध में तमाम डी0सीज0 की एक मीटिंग भी बुलाई थी और इस बात पर पूरी तरह से और ठीक ढंग से लागू किया जाये ताकि हर अधिकारी व्यक्ति को इस का लाभ मिल सकें। सरकार ने इस नीति की कमियों को दूर करने के लिए कुछ डी.सीज. की एक कमेटी भी बनाई थी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। जो योजना अब बनाई गई है उससे मैं यह तो नहीं कहता कि इससे तमाम कमियां दूर हो जाएंगी लेकिन काफी हद तक ये ि ाकायतें दूर हो जाएंगी। कम्बोज साहब ने यह बात ठीक कहीं है कि डाकियों द्वारा जो पैं ान दी जाती है उसमें गड़बड़ होती है। इस संबंध में मैं अपने साथियों को यह बताना चाहता हूं कि इसमें गड़बड़ इसलिए भाुरू हुई है क्योंकि इसमें अब कष ान भाुरू हो गई है। हम लोगों को इस चीज से भी निकालना चाहते है। हमने डिप्टी कमि नर्ज की जिम्मेदारी लगाई है कि हम अपनी एक नयी एजैंसी तैयार करें, कोई ऐसा केडर तैयार करें जिसके द्वारा हम इस पैं ान का भुगतान करवा सकें और डिस्ट्रीब्यू ान करवा सकें। मेरे साथी श्री रघु यादव ने कहा कि 3—3 या 4—4 महीने की पैं ान मिलती है और कभी कभी मिलती ही नहीं, यह पैं ान हर महीने मिलनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, पोस्ट आफिस विभाग भारत सरकार का विभाग है। उन्होंने हमसे यह बात साफ तौर से कही है कि यदि हर महीने

मनिआर्डर्ज भेजे जाएंगे तो हमारे पोस्टमैंन और पोस्ट आफिसर्ज इस काबिल नहीं है कि सारे मनिआर्डर्ज हर महीने डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। इसलिए चार–चार महीने की पैं ान हमने साल में तीन बार भिजवानी पड़ रही है। जून तक की पैं ान सभी को भेजी जा चुकी है और अगल चार महीने जब समाप्त हो जाएंगे तो सभी को पैं ान भिजवा दी जाएगी। इस परपज के लिए 47.25 लाख रूपए की अतिरिक्त मांग समाज कल्याण विभाग के लिए रखी गई है। 18.20 लाख रूपये की ऐडी ानल डिमांड प ाु पालन विभाग के लिए रखी गई है जो प ाुओं के अंदर फैली महामारी को दूर करने के लिए और अन्य योजनाएं भाुरू करने के लिए रखी गई है। इन सब बातों पर हमारे कुछ सदस्य बोले, उन्होंने कुछ नये सुझाव भी दिये। डाक्टर हरनाम सिंह जी ने विकलांगों को रोडवेज की बसों की फ्री यात्रा की सुविधाएं प्रदान करने के लिए कहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथी को सूचित करना चाहता हूं कि जो अंध है या अंगहीन है उनको यह सुविधा पहले ही दी हुई है और उन्हें रोडवेज की बसों में फ्री ट्रैवल करने की इजाजत है। जो विकलांग आर्टीफिि ायल अंग बनवाने हेतु साकेत अस्पताल में आते है उनको भी रोडवेज की बसों में मुफत यात्रा की सुविधा है। सभी विकलांगों को फ्री बस सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव अभी सरकार के सामने नहीं था क्योंकि इसमें फाईन ाल इम्पलीके ान बहुत ज्यादा होगी लेकिन फिर भी इस पर विचार किया जा सकता है। विधवाओं की पैं ान के बारे में श्री कैला ा चंद भार्मा जी ने कहा कि 75 रूपए बहुत कम है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको पता ही है कि पिछले ही दिनों 1.4.1989 से लोगों की इन्कम पचास रूपये से बढा कर 75 रूपये की गई है। जिन लोगों की इन्कम पचास रूपये से कम थी पहले उन्हीं को पचास रूपये की पैं ान मिलती थी लेकिन अब इंकम की सीमा हमने पचास रूपये से बढा दी है। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री साहब ने प ाु पालन के बारे में कहा कि इस बीमारी से प ाुओं को बचाने के लिए प्रबंध किए जाएं, हम ऐसा कर रहे है। मेरी सभी साथी विधायकों ने जो बातें यहां पर कहीं है जहां तक हो सकता था मैंनें उनके उत्तर देने की कोि ा ा की है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि मेरे साथी रघु यादव जी गलत बात तो आप कहते हे लेकिन इल्जाम मुझ पर लगा देते है कि गलत बात कह दी। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिद्ध करूंगा कि ये आरोप गलत है आप इन्हें बिठाइयें। यह गलत बोल रहे थे। बात विधान सभा के हैड की कर रहे थे लेकिन वहां से मंत्रियों की संख्या पर जा पहुंचे और कहा कि मंत्रियों की संख्या बढा ली जब कि मंत्रिमंडल छोटा होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रियों की संख्या का विधान सभा के हैड से क्या ताल्लुक है? विधान सभा का हैड अलग है। मंत्रियों को जो तन्खवाह मिलती है उसका हैड अलग है। कार्पोरे ान और बोर्डों के चेयरमैनों को दूसरे हैड से पेमैंट मिलती है। मंत्रियों को पार्लियामैंटरी हैड से तन्खवाह मिलती है। (विघ्न) ये विधान सभा की ऐडी ानल डिमांड पर बोल रहे थे उसमे मंत्री

और चेयरमैन कहां से आ गए? (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, ये मंत्रियों की संख्या को किटीसाईज कर रहे है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने हरियाणा के अंदर एक कहावत सुनी होगी। किसी चौधरी के लड़के की भाादी थी। गांव का एक आदमी उसके पास गया और पूछने लगा कि बारात में कितने आदमी ले जाओंगे? चौधरी ने बारातियों की एक लम्बी लिस्ट बना रखी थी और वह उस लिस्ट में लिखें नाम उस व्यक्ति को बताने लगा। जब उस व्यक्ति ने अपना नाम इस लिस्ट में सुन लिया तो चौधरी से बोला बस रहने दो इतने ही आदमी काफी है क्यों ज्यादा भीड़–भड़ाका कर रहे हो। उपाध्यक्ष महोदय, ये तो स्वयं को बारातियों में भुमार देखना चाहते है।

अगर श्री रघु यादव जी का नाम आ जाता है तो चाहे पचास का मंत्रिमंडल बना लें तो भी इनको कोई एतराज नही। अब इनका नाम नहीं आया तो इनको एतराज है कि मंत्रिमंडल बहुत लम्बा हो गया, बहुत बड़ा हो गया।

Shri Raghu Yadav: On a point personal explanation under Rule 63. He is casting aspersions on me. (Interruptions) आप जैसे लोग जिस मंत्रीमंडल में हो उसमें मैं भाामिल ही नहीं होना चाहता। (ाोर)

श्री उपाध्यक्षः रघु यादव जी आप बैठिए। गुप्ता जी रिप्लाई दे रहे है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप बैठिएं (ाोर एवं व्यवधान)

श्री बनारसी दास गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात पूरी होने दें। बाद में आप इनको समय दे दें। (ाोर एंव व्यवधान)

Shri Raghu Yadav: On a point of personal explanation, Sir.

Mr. Deputy Speaker: Mr. Yadav, please take your seat.

श्री बनारसी दास गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, जब मेरी बात पूरी हो जाए आप बे ाक इनको समय दे देना, उस वक्त ये अपनी बात कह लें। उपाध्यक्ष महोदय कई मैम्बर साहेबान को यह आदत पड़ गई है कि वे बीच में बोलने लग जाते है।

श्री रघु यादवः आन ए प्वायंट आफ पर्सनल ऐक्सप्लेने ान सर। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः आप बगैर इजाजत के बोल रहे है। आप यह तो बतायें कि किस चीज पर बोल रहे है। आप हमे ाा ही बगैर परमि ान के बोलते है। मैंने आपकों कब इजाजत दी है कि आप बोलें?

श्री बनारसी दास गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, पहले मेरी बात सुनिये। मैं इस सदन का अध्यक्ष भी रहा हूं। अगर कोई पर्सनल ऐक्सप्लेने ान की बात हो तो मेरी बात समाप्त होने के बाद श्री रघु यादव जी आपसे रिक्वैस्ट करें और आप इन्हें समय

दे दें, मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन बीच में खड़ा हो कर बोलने का कोई तरीका नहीं है।

श्री उपाध्यक्षः रघु यादव जी आप सदन की गरीमा का भी ख्याल रखें।

श्री बनारसी दास गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, अभी आपके सामने यह फरमा रहे थे कि जिस मंत्रिमंडल में गुप्ता जी हों उसमें मैं आना ही नहीं चाहता। उपाध्यक्ष महोदय जिस दिन चौधरी देवी लाल के मंत्रिमंडल में तीन चार मंत्रियों को भापथ दिलायी गई थी, मैं उसी दिन भापथ ले कर आ गया था। उसके बाद इन्होंने सिफारि ा भेजही कि मुझे मंत्रिमंडल में भाामिल किया जाये और ऐस आनरेबल आदमियों की भेजी जिनका नाम मैं यहां हाउस मे नहीं लेना चाहता। उनकी सिफारि ा मेरे पास भी आयी और मुख्य मंत्री जी से भी कहा कि ये बहुत अच्छे लड़के है, पढे–लिखे है, अभी मैम्बर बने है इसलिये आप उन्हें मंत्रिमंडल में ले लें। मैंने चौधरी देवी लाल जी को कहा कि एक गलती आप कर चूके है दूसरी गलती न करना।

श्री उपाध्यक्षः एक गलती, क्या थी, वह समझ मैं नहीं आयी।

श्री बनारसी दास गुप्ताः श्री रघु यादव को विधान सभा का मैम्बर बनवा दिया। यह गलती की थी। श्री रघु यादव जी ने तीन बार विधान सभा का इलैक ान लड़ा लेकिन अढाई हजार से

अधिक वोट नहीं आये। इन भाब्दों के साथ मैं सदन में प्रार्थना करता हूं कि इन अनुपूरक मांगो को पास किया जायें।

वैयक्तिक स्पश्टीकरण–

(1) **श्री रघु यादव द्वारा**

Shri Raghu Yadav: On a point of personal explanation under Rule 63.

Mr. Deputy Speaker: All right. Please be relevant and do not cross the limits.

श्री रघु यादवः उपाध्यक्ष महोदय, अभी उप–मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि मैं मंत्रिमंडल में भाामिल होना चाहता था और मुझे नहीं लिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, 27 फरवरी, 1989 को हरियाणा भवन में सुबह सात बजे कांफैड के सवाल के बारे मे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप अपनी स्टेटमेंट वापिस ले लें। मेरे सामने खुद मुख्य मंत्री ने..... कहा कि आप अपनी स्टेटमेंट वापिस ले लें, मैं आपको मंत्री मंडल में भाामिल कर लेता हूं।

श्री उपाध्यक्षः गिड़गिड़ा कर भाब्द को एक्सपंज किया जाये। ऐसा कहना ठीक नहीं है।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री(श्री बीरेंद्र सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी के विशय में ऐसे भाब्दों का

इस्तेमाल करना अ ाोभनीय है। ये ऐक्सपंज होने चाहिये। उन्हें ऐसे भाब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए।

श्री उपाध्यक्षः मैंने पहले ही ऐक्सपंज करवा दिये है।

श्री रघु यादवः 27 फरवरी, 1989 को खुद मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि कांफैड के मामले पर कंट्राडिक ान दे दें और आप मंत्री पद का भार सम्भाल लें। मैंने खुद हाथ जोड़ कर इंकार किया.....

श्री उपाध्यक्षः आपको परमि ान देने का मतलब यह नहीं है कि जो मन में आये वही कहें।

श्री रघु यादवः अभी उप मुख्य मंत्री श्री बनारसी दास जी ने कहा कि रघु यादव को चौधरी देवी लाल ने एम0एल0ए0 बना कर गलती कर दी और दूसरी गलती न करें। मैं उपाध्यक्ष महोदय, बताना चाहता हूं कि अगर एम0एल0ए0 बना हूं तो जनता की बदौलत बना हूं। हमें किसी व्यक्ति ने एम0एल0ए0 नहीं बनाया है, हम हमारी कुर्बानी हमारी लाठी खाने, हमारे जेल जाने और हमार संघर्श की वजह से एम0एल0ए0 बने है। वह व्यक्ति खुद हमें.....मुख्य मंत्री बना है अगर उन्होंने हमे एम0एल0ए0 बनाया है तो हमने उनको मुख्य मंत्री बनाया है। (व्यवधान व भाोर)

श्री उपाध्यक्षः यह पायदान वगैरा भाब्द ऐक्सपंज कर दिया जाये।

श्री रघु यादवः डिप्टी स्पीकर साहब,.....

.....

Mr. Deputy Speaker: Mr. Yadav, please sit down. You are speaking without my permissions. This will not be recorded. (Interruptions)

श्री रघु यादवः डिप्टी स्पीकर साहब,.....

.....(व्यवधान व भाोर)

Mr. Deputy Speaker: Mr. Yadav, please sit down. You are speaking without my permission. This will not be recorded. (Interruptions)

श्री रघु यादवः डिप्टी स्पीकर साहब,.....

.....(व्यवधान व भाोर)

श्री उपाध्यक्षः यादव साहब, आप बैठ जाइये। इनकी अब कोई बात रिकार्ड नहीं होगी। आपके लिये यह अच्छा नहीं है। आप मेरे से बोलने की इजाजत लेते हो and then you cross your limits. This is not the way. You are not allowed to speak. Please sit down.

(2) उप मुख्य मंत्री, श्री बनारसी दास गुप्ता द्वारा–

उप मुख्य मंत्री(श्री बनारसी दास गुप्ता): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ये सम्मानित साथी पढे लिखे हैं। इन्होंने यह कहा कि मैं कांग्रेस में रहा हूं। मैं उस बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि चौधरी देवीलाल जी भी कांग्रेस में रहे है, मैं भी रहा हूं और भी

कई ऐसे सम्मानित सदस्य होंगे जो कांग्रेस में रहे होंगे। कांग्रेस दे ा भक्तों की एक जमात होती थी। मैंने दे ा के लिए कुर्बानी दी है। मैं फ्रीडम फाईटर हूं। मैंने जेलें काटी है। कांग्रेस के मंच पर मैंने दे ा की आजादी की लड़ाई लड़ी है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद मेरा राश्ट्र के निर्माध में भी दे ा के अंदर योगदान रहा है। लेकिन ज्यों ज्यों कांग्रेस के अंदर भ्रश्टाचार और बुराईयां आने लगीं तो चौधरी देवी लाल जी जो 16 साल की उम्र से ही जेलों में जाने लगे थे और अंग्रेजों के साथ लड़त रहे थे, ने भी कांग्रेस छोड़ दी।

श्री रघु यादवः.....
.....।

श्री बनारसी दास गुप्ताः जैसा तू है वैसा तेरा पींग है।

श्री उपाध्यक्षः यादव जी, आप पींग के बारे में कुछ नहीं कह सकते। मैटर सब–जुडिस है।

श्री रघु यादवः .....
.....।

Mr. Deputy Speaker: You please sit down. (Interruptions) I say you please take your seat. You are speaking without my permissions. Nothing should be recorded. (Interruptions and noise)

श्री बनारसी दास गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, मेरी जुबान से उनको जो तू निकला है मैं उसके लिये माफी चाहता हूं। मैं यह भाब्द वापिस लेता हूं क्योंकि यह भाब्द वाकई ठीक नहीं है। मुझे आप कह कर बोलना चाहिये था। जैसे रघु यादव जी ने कहा कि मुख्य मंत्री जी ने उनको मिनिस्ट्री औफर की, यह बिल्कुल गलत बात है निराधार बात है। मैं दो बड़े सम्मानित व्यक्तियों के नाम इस सदन के अंदर इस बार लेना चाहता हूं। एक तो राजस्थान विधान सभा में लीडर आफ दी अपोजी ान श्री नत्थू राम मिर्धा है और दूसरे श्रीमती सुमित्रा देवी, विधायक है। उन्होंने मुझेसे कहा कि आप रघु यादव को मंत्रिमंडल में भाामिल कराओ और मुख्य मंत्री के उपर पूरा प्रै ार डालो। आप जाकर उनसे पूछ सकते है कि यह बात गलत है या सच है। श्री नत्थू राम मिर्धा और बहिन सुमित्रा देवी अभी जीवित है, आप उनको बुलाकर पूछ सकते है। यह बात गलत है कि इनको कोई मिनिस्ट्री ऑफर की गयी । ऐसी कोई बात नहीं हुई है।

श्री रघु यादवः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। इन्होंने अभी आरोप लगाया है।

श्री उपाध्यक्षः कोई आरोप नहीं है। अब मैं वेरियस डिमांडज को वोटिंग के लिये रखता हू।

Mr. Speaker: Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10,86,000 for revenue expenditure be granted to the Governor

to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1990 in respect of Demand No. 1-Vidhan Sabha

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 47,25,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1990 in respect of Demand No. 13-Social Welfare and Rehabilitation.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 18,20,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1990 in respect of Demand No. 18-Animal Husbandry.

The motion was carried.

बिल्ज–

(1) दि पंजाब ऐग्रीक्लचर प्रोड्यूस मार्किट्स (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1989

श्री उपाध्यक्षः अब ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब, दि पंजाब ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किट्स (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1989 को कंसीडर करने के लिए मो ान मूव करेंगे।

Agriculture Minister(Shri Ranjit Singh): Sir, I beg to move-

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री हीरा नंद आर्य(लोहारू): उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय कृशि मंत्री श्री रणजीत सिंह ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उस का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। (ाोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार ही समथ्रन नहीं कर रहा हूं। मैंने अनेक बार समर्थन किया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल आया है वास्तव में तो यह बहुत पहले ही आ जाना चाहिये था। कालोनाइजे ान डिपार्टमैंट बहुत पहले ही क्लोज कर दिया गया था और उसको बंद करने के बाद जो उसकी प्रौपर्टी थी उसका ठीक प्रकार से रख–रखाव मार्किटिंग बोर्ड की जो उसकी प्रौपर्टी थी उसका ठीक प्रकार से रख–रखाव मार्किटिंग बोर्ड की जुरिस्डिक ान में था लेकिन अगर वह प्रौपर्टी ऐक्ट के अंदर जुरिस्डिक ान में आता तो उसका रख–रखाव ठीक ढंग से किया

जा सकता था। चूंकि वह ऐक्ट के मुताबिक नहीं था इसलिये उसका रख–रखाव का ठीक इंतजाम मार्किटंग बोर्ड नहीं कर सकता था। वह प्रौपर्टी खराब होती रही। इसमें जो पंचायत की प्रौपर्टी है या म्यूनिसिपल कमेटी की प्रोपर्टी है उसको ऐक्सक्लूड कर दिया गया है। इस ऐक्ट के मुताबिक जो प्रौपर्टी मार्किट कमेटी की जुरिस्डिक ान में आती है वह मार्किटिंग बोर्ड की मलकियत होगी। अब उस प्रौपर्टी पर मार्किट कमेटी और मार्किटिंग बोर्ड का अधिकार हेागा। कालोनाइजे ान डिपार्टमैंट ने उस प्रौपर्टी के बारे में अगर किसी प्रकार का कोई ऐग्रीमैंट कियाहुआ है या कोई प्रौपर्टी लीज पर दी हुई है तो उस पर कार्यवाही करने का अधिकार अब मार्किट कमेटी जिसकी हदूद में वह प्रौपर्टी है आ गया है। सारी लायबिलिटीज के लिए वह मार्किट कमेटी जिम्मेदार है। अब तक वह प्रौपर्टी बरबाद हो रही थी। उसको ठीक प्रकार से रख–रखाव करने का इंतजाम अब अच्छा हो जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि कुछ समय पहले मार्किट बोर्ड की तरफ से रोडज के लिए बहुत सा पैसा रखा गया था। मैं अपनी ओर से सरकार को और मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहूंगा कि मंडी तक पहुंचने के लिए सडकों के निर्माण पर जो पैसा लगाया गया है उन सड़कों का हर मार्किट कमेटी जिसकी जुरिस्डेक ान में वह सड़क आती है, ध्यान रखें। पिछड़े इलाकों में दस पंद्रह किलामीटर की जो सड़कें अब तक नहीं बनाई गई है उन सड़कों को मार्किट कमेटी बनाए ताकि किसानों को अपनी प्रोड्यूस लाने में सुविधा हो सके

क्योंकि मार्किट कमेटीज ने ये सड़कें किसानों की सुविधा के लिए बनानी थी। अगर ये दस पंद्रह किलोमीटर की सड़के मार्किट कमेटी बना देती है तो जो किसानों को सुविधा देने का उद्दे य था वह पूरा हो सकेगा। हमारा प्रांत एक कृशि प्रधान प्रांत है, इसलिए किसानों को वि ोश रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में यह भी प्रावधान है कि अगर मार्किट कमेटी के साथ कोई झगड़ा हो तो उसके बारे चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर के पास अपील हो सकती है। चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर सुआ मोटो भी गौर कर सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही अच्छा बिल है। मैं इस पर ज्यादा न कहते हुए इसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

कृशि मंत्री(श्री रणजीत सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, अभी जैसा कि आर्य (12.00बजे) साहब ने सुझाव दिया, उसके मुताबिक मैं बिल की बैकग्राउंड बता देता हूं। चूंकि इस पर बहुत कम सदस्य बोले है, इसलिये मैं विस्तार के साथ यह बताना चाहता हूं कि इस अमैंडिड बिल के द्वारा कोलोनाइजे ान डिपार्टमैंट की सारी प्रौपर्टीज मार्किटिंग बोर्ड को दे दी गयी है। इसके लिये ऐक्ट में 46–ए धारा और ऐड कर दी गई है। मार्किटिंग बोर्ड अब उस प्रौपर्टी का मालिक बन गया है। इससे संबंधित जितनी भी अपील होंगी, कोई लेन देन होगा, उस सारे का भुगतान अब मार्किटिंग कमेटी बोर्ड करेगा। मैं सदन को बताउं कि सन् 1979 में एक मार्किट कमेटी में जितनी प्रौपर्टी थी वह ल गई, 1980 में

9 और उसके बाद 1986 में जितनी बाकी बची, वे सारी की सारी मार्किटिंग बोर्ड ने टेक ओवर कर ली थी। आर्य साहब, ने कहा कि अगर लोगों को प्रौपर्टी के बारे में मार्किट कमेटी के किसी फैसले से एतराज होगा तो वे अपनी अपीलें मार्किटिंग बोर्ड के पास करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक बात है। इसका हमने पहले ही प्रोवीजन इस नये ऐक्ट में किया है। इसके साथ साथ मैं एक बात का यहां पर और जिक्र करना चाहूंगा कि जब कोलोनाइजे ान विभाग की सारी प्रौपर्टीज मार्किटिंग बोर्ड को दी गयी थी तो उस समय लगभग दस मंडियां ऐसी थी जिनके पहले से प्रौपर्टीज के लेन देन के झगड़े चल रहे थे और उसमें एक करोड़ तीस लाख रूपये की रा ि इंवौल्वड थी। वह सारी रा ि देकर उन झगड़ों को सैटल किया गया है। अब मैं थोड़ी सी मार्किटिंग बोर्ड की ऐक्टिवीटीज पर भी चर्चा करना चाहूंगा जैसा कि अभी यहां पर बताया गया है कि मार्किटिंग बोर्ड का सीमा अधिकार खासा ज्यादा है, ऐक्टिविटीज भी बहुत बड़ी है। मैं वर्श 1988–89 व 1989–90 में कंस्ट्रक ान वर्क का जिक्र करना चाहूंगा जोकि 31.7.89 तक हुआ है। 1988–89 में टोटल 110 करोड़ रूपये का खर्चा किया गया था, 1989–90 में यह खर्चा बढकर 272 करोड़ रूपये था। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहूंगा कि यह लगभग 147 फीसदी की इंक्रीज है जोकि एक रिकार्ड तोड़ इंक्रीज है। आज तक मार्किटिंग बोर्ड में इतनी अधिक इंक्रीज कभी नहीं हुई है।

डिप्टी स्पीकर साहब, एक बढिया काम मार्किटिंग बोर्ड ने सड़कों के बारे में किया है। देहात से जो रोडज भाहरों की तरफ आती है उनकी तरफ खास तवज्जों दी गयी है। जो रूरल लिंक रोडज है उनहें मंडियो से जोड़ने का काम पहली बार किया गया हैं जोकि काबिलेतारीफ काम है। इस तरफ से 61 कांस्टिचुऐंसीज ऐसी है जिनकें गांवों की सड़कों को भाहरों में माल लाने ले जाने के लिये जोड़ दिया गया है ताकि किसानों को सहूलियतें हो सके। इस काम पर लगभग आठ करोड़ रूपये का खर्चा किया गया है। 973 किलोमीटर रोड और सैंक ान हुई है जिन पर 15.69 करोड़ रूपया खर्च होगा। इसके साथ साथ मैं यह भी बताउंगा कि भाहरों में अब तक जो रोडज बाहर से आया करती थी उनको बोर्ड मेनटेन नहीं करता था, रिपेयर नहीं होती थी। म्यूनिसिपल कमेटी के पास ि ाकायतें आती थी। मैम्बर्ज भी ि ाकायतें करते थे लेकिन अब इसके लिये सरकार ने 37 ऐस टाउन छांटे है जिनकी इस ढंग की सड़कें है और इनकी मैंटेनैंस और रिपेयर का काम अब मार्किटिंग बोर्ड ने पहली बार करने का प्रयास किया है। यह बड़ी अचीवमैंट है।

डिप्टी स्पीकर साहब, एक और बढिया काम मार्किटिंग बोर्ड ने किया है। जिन जमींदारों का कपास और नरमा भाहरों में आया करता था उनके लिये अब इं ाोरैंस की स्कीम बनायी गयी है और इस तरह का प्रावधान पहली बार किया गया है। जिन किसानों का कपास–नरमा मंडियों में आयेगा और अगर कोई

आगजनी की ऐसी बात हो जाती है तो इसके लिये सरकार ने इं ाोरैंस पोलिसी बनायी है, तय की है ताकि किसान को उसके खराब हुए माल का मुआवजा दिया जा सके। यह एक सरकार की काबिलेतारीफ पौलिसी है। इस कार्य के लिए इस समय लगभग आठ फायर स्टे ान कायम किये गये है जोकि रतिया, फतेहाबाद, उकलाना, ऐलनाबाद, कालांवाली, तो ाम, टोहाना, सिरसा और आदमपुर वगैरह में सक्रिय है। डिप्टी स्पीकर साहब, मार्किटिंग बोर्ड का काम बहुत बढ गया था जैसे कंस्ट्रक ान ऐक्टिवीटीज, रोडज, सब–यार्ड प्रिंसीपल–वार्डज आदि। इसके लिये एक नया डिविजन क्रिएट किया गया है जोकि स्टेट के सबसे पिछड़े इलाके महेंद्रगढ में कायम किया गया है। इसी तरह से कुछ और भी नयी डिवीजन है जोकि अभी अंडर कंसीड्रे ान है और वे इस चालू साल में भाुरू हो जाएंगे। अंत मे मैं आपसे एक बात और कहूंगा जो मार्किटिंग फीस से संबंधित है और जिसका चर्चा अखबारों में भी काफी रहा है कि इसमें रिकार्ड इंक्रीज हुई है। पहले मार्किट फीस 9.93 करोड़ रूपये थी और अब जो मार्किट फीस आई है वह 15.11 करोड़ के लगभग है। मेरे विचार में 5 करोड़ 18 लाख रूपये की मार्किट फीस बढी है (तालियां)। मैं यह निवेदन करूंगा जैसाकि आर्य साहब ने बताया कि यह बहुत बढिया प्रयास है और यह चीज बहुत पहले हो जानी चाहिये थी, लेकिन अब हो जाने के कारण भी, मैं यह चीज बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब हो जाने के कारण भी, मैं समझता हूं कि यह प्रदे ा के व्यापक हित में है। इसको इसी तरीके से पास

किया जाना चाहिए। अंत में मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं।

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That the Punjab Agricultural Produce Markets(Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Clause 2

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now the Agriculture Minister will move that the Bill be passed.

Agriculture Minister(Shri Ranjit Sing: Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(3) दि हरियाणा प्रिवैं ान औफ डिफेसमैंट आफ प्रौपर्टी बिल, 1989

Mr. Deputy Speaker: Now, the Minister of State for Printing & Stationery will introduce the Haryana Prevention of

Defacement of Property Bill, 1989 and also move for its consideration.

Minister of State for Priniting & Stationery(Shri Manphool Singh): Sir, I introduce the Haryana Prevention of Defacement of Property Bill, 1989.

I also move-

That the Haryana Prevention of Defacement of Property Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That the Haryana Prevention of Defacement of Property Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That the Haryana Prevention of Defacement of Property Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Sub-Clauses (2) & (3) of Clause 1

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That sub-clause (2) & (3) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That clause 2 stand part of the Bill.

Clause 3

श्री उपाध्यक्षः इस क्लाज पर डा0 हरनाम सिंह की अमैंडमैंट आई थी जो कि रिजैक्ट हो गई है।

श्री हरनाम सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी अमैंडमैंट हाउस में रिजैक्ट होनी चाहिए थी। मैं समझता हूं कि उसे बहस के बगैर और मेरे विचार सुने बगैर रिजैक्ट नहीं करना चाहिए था।

श्री उपाध्यक्षः डा0 साहब पोजि ान यह है कि वह अमैंडमैंट हाउस में आती है जो इन आर्डर हो और ऐडमिट कर ली जाए। आपकी अमैंडमेंट क्योंकि इन आर्डर नहीं थी इसलिए स्पीकर साहब ने उसे रिजैक्ट कर दिया है।

श्री हरनाम सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में कुछ अर्ज करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्षः बोलिए।

श्री हरनाम सिंह(ाहबाद): डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी अर्ज यह है कि इसमें 6 महीनें की सजा और एक हजार रूपया जुर्माना तजवीज किया गया है। मेरी अमैंडमैंट थी कि सजा तो होनी ही नहीं चाहिए और जुर्माना कम होना चाहिए। बिल की मं ाा तो ठीक है लेकिन मेरा यह सुझाव माना जाना चाहिए।

इसके अलावा इसमें यह कहा गया है कि जो आदमी पकड़ा जाएगा वह अपने आपको बेगुनाह साबित करेगा। जिस प्रकार से ऐंटी टैरोस्टि ऐक्ट में प्रोविजन है उसी तरह से इसमें कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है और यह डिलीट होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ग्राम पंचायतों और म्यूनिसिपल कमेटीज को पब्लिक प्लेस पर नोटिस बोर्ड लगवाने चाहिए ताकि लोग पोस्टर दीवारो पर न लगाएं। बहुत से लोग इ तहार बाजी से दीवारों को गंदा कर देते है। ऐसा करने से यह दिक्कत खत्म हो जाएगी।

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 5

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 6

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1) of Clause 1

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That sub-clause(1) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That Titel be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, the Minister of State for Printing & Stationery will move that the Bill be passed.

Minister of State for Printing & Stationery(Shri Manphool Singh): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(3) दि फरीदाबाद कम्पलैक्स(रेगुले ान एंड डिवैल्पमैंट) अमैंडमैंट बिल, 1989

Mr. Speaker: Now, the Deputy Chief Minister (II) will introduce the Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment Bill, 1989 and also move for its consideration.

उप मुख्य मंत्री(डा0 मंगल सैन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं फरीदाबाद संव्यूह (विनियम तथा विकास) सं ाोधन विधेयक, 1989 इंट्रोड्यूस करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं–

कि फरीदाबाद संव्यूह(विनियमन तथा विकास) सं ाोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That the Faridabad Complex (Regulaqtion and Development) Amendment Bill be taken into consideration at once.

श्री कुंदन लाल भाटिया(फरीदाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, इस अमैंडमेंट के विशय में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। फरीदाबाद कम्पलैक्स ऐक्ट 1971 में लागू हुआ था उससे पहले वहां पर जो चुने हुए मैम्बर्ज थे वे बहुत अच्छा काम करते थे। उन मैम्बर्ज ने फरीदाबाद के सैक्टर 1, 2, 3, 4 और 5 के अंदर तीन साल के अर्से में नई मार्किट्स बनाई लेकिन जब से यह ऐक्ट लागू हुआ है तब से वहां पर चुनाव नहीं हुए है और न ही कोई काम हुआ है। अब इस अमैंडमैंट के जरिए दो साल तक चुनाव न कराए जाने की अवधि बढाई जा रही है। मैं चाहता हूं कि या तो लोक सभा के चुनावों के साथ वहां पर चुनाव करवा दिए जाएं या हो सकता है लोक सभा के चुनावों के साथ हमारी विधान सभा के भी भाायद चुनाव हो जाएं तो उनके साथ ही फरीदाबाद कम्पलैक्स के चुनाव करवा दिए जाएं और यह दो साल की अवधि न बढाई जाएं।

श्री हरनाम सिंह(ाहबाद): डिप्टी स्पीकर साहब, जब पिछली बार सै ान में फरीदाबाद कम्पलैक्स के इलैक ान कराये जाने के संबंध में ऐक्सटें ान संबंधी सवाल आया था तो उस समय वहां पर इलैक ान कराये जाने के संबंध में हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने यह कहा था कि वहां पर 18 साल के बाद इलैक ान कराये जाएंगे। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि अब जब 18 साल का समय पूरा होने जा रहा है तो वहां पर इलैक ान क्यों नहीं करवाये जा रहे है? इस सरकार ने जून, 1987 में सत्ता

में आने के बाद उन म्यूनिसिपल कमेटियों के चुनाव करवाये जहां पर 15–20 सालों से चुनाव नहीं हुए थे। इस सरकार ने सभी नगरपालिकाओं के इलैक ान तो करवा दिए लेकिन फरीदाबाद कम्पलैक्स जहां पर काफी बड़ी तादाद में मजदूरों की जमात रहती है और पढे–लिखे लोग रहते है, उनको यह राईट अभी तक नहीं दिया है कि वे अपना प्रबंध करने के लिए अपने नुमाइंदों को चुन सकें। मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय वहां पर इलैक ान कराने में डिले कर रहे है और यह हाउस उनकी इस मांग का समर्थन कर देगा और यह अमैंडमैंट पास भी हो जायेगी लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, यह बड़ी हैरानी की बात है कि इसके लिए वह मंत्री समय मांग रहे है जो पहले इस सदन के वरिश्ठ सदस्य होते हुए वहां पर तुरन्त इलैक ान की मांग करते है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जो मंत्री महोदय अमैंडमैंट लाए है उसे ड्रोप करना चाहिए और वहां पर इलैक ान का प्रावधान जल्दी से जल्दी करना चाहिए।

डा0 बृज मोहन(जगाधरी): डिप्टी स्पीकर साहब मंत्री महोदय ने जो बिल सदन में पे ा किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे साथी कामरेड हरनाम सिंह ने जो यह कहा कि इस अमैंडमैंट को ड्रौप किया जाये और वहां पर फौरन इलैक ान कराये जाएं, मैं इसके हक में नहीं हूं। इस संबंध में मैं माननीय उप मुख्य मंत्री को एक सुझाव देना चाहता हूं कि जोदो साल का समय ले रहे है वह बे ाक ले लें और यह

अमैंडमैंट पास भी हो जाएगी लेकिन इस अवधि के दौरान मैं चाहता हूं कि इलैक ान की जो प्रक्रिया वहां पर पूरी करनी हो, वह कर ली जाये और इस अवधि के दौरान वहां पर तुरन्त इलैक ान करवा दिए जाएं। इसके साथ–साथ मेरा एक सुझाव यह भी है कि वहां पर 40 मैम्बरों की एक कमेटी पहले होती थी, जो अब नहीं है। मैं चाहता हूं कि जब तक इलैक ान नहीं हो जाते यह 40 मैम्बरों की एक कमेटी वहां पर बना दी जाये ताकि उनकी देखरेख में वहां का काम काज ठीक प्रकार से हो सके। इतनी सी बात कहते हुए और आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री रघु यादव(रिवाड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, इस समय हाउस के समक्ष फरीदाबाद संव्यूह (विनियमन तथा विकास) सं ाोधन विधेयक, 1989 चर्चा के लिए प्रस्तुत है। उपाध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद कम्पलैक्स बिल के बारे में पीछे यहां पर यह कहा गया था कि औफिसर्ज के जरिए काम चलाने की वहां पर जो नौमिने ान की वर्तमान व्यवस्था है, 18 साल के बाद उस व्यवस्था को खत्म करके एक निर्वाचित बौडी स्थापित की जायेगी। अब 18 साल का समय पूरा होने वाला है। यदि इस समय वर्तमान कानून में सं ाोधन नहीं करते है तो हमें वहां पर उसका प्र ाासन वहीं के लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को देना होगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार जब सत्ता में आई थी तो हाई कोर्ट का एक आदे ा था जिसकी वजह से इस सरकार ने हरियाणा की

नगरपालिकाओं के चुनाव करवाये। फरीदाबाद हरियाणा का एक औद्योगिक और महत्वपूर्ण नगर है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां भाहरों में लोकल बाडीज है और गांवों में पंचायतें है। ये संस्थाएं अपने अपने लोगों के लिए मूलभूत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराती है। भाहरों में मूलभूत नागरिक सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, सड़क और सफाई आदि की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी लोकल बाडीज की होती है। जो भी व्यक्ति जो भी सरकार और जो भी पार्टी जनतंत्र में आस्था व्यक्त करती है, उन्हें यह चाहिए कि जल्दी से जल्दी नौमिनेटिड बौडिज के हाथों में सत्ता लेकर लोगों के चुन हुए प्रतिनिधियों के हाथों में सौंपे। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जो नं0 2 के है, वे इस सदन के वरिश्ठ सदस्य है। जनतंत्र में उनकी आस्था है। उपाध्यक्ष महोदय, जब नगरपालिकाओं के संबंध में चीफ ऐग्जैक्टिव औफिसर्ज लगाने की बात आई थी तो इन माननीय वरिश्ठ सदस्य ने यह कहा था कि ये चीफ ऐग्जैक्टिव औफिसर्ज नहीं होने चाहिएं। आज उन्हीं के द्वारा इस तरह का सं ाोधन विधेयक पे ा किया जाना हमारे लिए आ चर्य की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद भाहर दिल्ली के काफी निकट है इसलिए वहां पर योजनाबद्ध विकास होना चाहिए। इस योजनाबद्ध विकास के लिए यह जरूरी है कि वहां का प्र ाासन निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में हो। आज फरीदाबाद में जो व्यवस्था है वह ठीक नहीं है। आज इसी कारण फरीदाबाद में अवैध निर्माण की चर्चा है और इसी अवैध निर्माण को हमें गिराना पड़ता है। इस समय हरियाणा फरीदाबाद के

कारण तमाम दे ा के अखबारों की सुर्खियों में है। वहां पर पुनर्वास विभाग की 1500 एकड़ जमीन है। (विघ्न) इस जमीन के कुछ हिस्से पर कुछ लोगों ने नाजायज कब्जे कर रखे थे। इन कब्जों को तोड़ने के लिए आदे ा दिया गया और कहा गया कि इनको तोड़ कर अवैध कब्जे हटाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा भाोर ाराबा हुआ। उसके बाद एक नया आदे ा दिया गया कि जो नाजायज कब्जे है इनको वैध कर दिया जाए और जिनका कब्जा है उनको जमीन अलौट कर दी जाए। उपाध्यक्ष महोदय अखबार और सारी पत्रिकाएं भरी पड़ी है। कोई भी संवेदन ाील सरकार इसकी उपेक्षा नहीं कर सकती, इनको अनदेखा नहीं कर सकती। फरीदाबाद का प्र ाासन मूक द र्क बना देखता रहा और पुनर्वास विभाग के एक तहसीलदार ने प्रभाव ाली राजनेताओं, अधिकारियों आदि के बेनामी व झूठे कब्जे दिखा कर बहुमूल्य जमीन को कौड़ियों के भाव बंदरबांट कर दी। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः आप कृपया जरा बैठे।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री(श्री बीरेंद्र सिंह): डिप्टी स्पीकर सर, एक छोटी सी अमैंडमैंट हाउस के सामने है। मेरे भाई रघु यादव ने फरीदाबाद कम्पलैक्स के जिस औफिसर का जिक्र किया है उस केस में ऐक ान ले लिया गया है और वह अधिकारी सस्पेंड भी हो चुके है। मैं फिर इनसे नम्रतापूर्वक गुजारि ा करूंगा कि हाउस को हाउस के हिसाब से चलने दें और हर बार ये ऐसा माहौल पैदा न करें जिससे कि तलखी आए

और एक–दूसरे पर लांछन लगें। इस अमैंडमैंट के बारे में ये बिल्कुल ठीक बोल रहे थे। डैमाक्रेसी में यकीन रखने वाले लोग इनकी बात को सुनेंगे। इनकी बात को हाउस सुनना चाहेगा लेकिन मेरे लायक दोस्त यदि केवल अमैंडमैंट पर ही बोलें वहीं तक महदूद रहें तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि डा0 साहब भी इनकी बात का तभी वाजिब जवाब दे पायेंगे।

श्री रघु यादवः उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी नहीं चाहता कि हाउस में किसी प्रकार की तलखी आए। हरियाणा की जनता द्वारा निर्वाचित इस महान सदन के सम्मुख जो भी प्रस्ताव/बिल पे ा किये जाएं उनके सभी पहलुओं पर हमें गम्भीरता से चर्चा करनी चाहिए और उसके बाद ही कोई निर्णय करना चाहिए। इस समय जो सं ाोधन विधेयक चर्चा के लिए हाउस के सामने प्रस्तुत है वह बहुत ही गम्भीर और महत्वपूर्ण है। इसमें पहली वजह तो यह है कि इस में निर्वाचित लोगों को प्र ाासन में भागीदारी को टालने की बात है और दूसरे यहां पर लोकतंत्र में गांधी जी के सिद्धांतों में वि वास रखने वाले लोग जो हमे ाा स्व ाासन की बात करते है, हमने हमे ाा पंचायती राज की बात कही है, हम चाहते है कि फैसले चंडीगढ या दिल्ली में न हो बल्कि गांवों में हो, कस्बों में हो, भाहरों में हो। जहां की समस्याऐं वहां के फैसले वहीं हों। उपाध्यक्ष महोदय फरीदाबाद में भी सवाल स्व ाासन का ही है और स्व ाासन अधिकारियों की नौमिनेटिड बौडी के कब्जे में चलता रहे और सरकार इस प्रथा को आगे

बढाती रहे यह ठीक नहीं है। हम चाहते है कि वहां पर जल्दी से जल्दी इलैक्टिड बौडी की स्थापना हो। उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा तो यह होता है कि सरकार खुद यह कहती है कि हम 1990 तक इंतजार नहीं कर सकते। गांधी जी के सिद्धांतों को मानने वाले लोग पंचायती राज तथा नगरपालिकाओं को सत्ता सौंपने में वि वास रखते है, 1990 तक इंतजार नहीं करेंगे। हम तो यह कहेंगे कि 1988 या 1989 में ही वहां चुनाव हो जाने चाहिए थे ताकि फरीदाबाद कम्पलैक्स का प्र ाासन निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में सौंप दिया जाता। उपाध्यक्ष महोदय, निर्वाचित प्रतिनिधियों की जो व्यवस्था होती है वह इसलिए बेहतर होती है क्योंकि निर्वाचित प्रतिनिधि लोगों के बीच से आता है। आज हरियाणा विधान सभा में इस समय बैठने वाला हर सदस्य हरियाणा का निवासी है, हरियाणा के ही किसी गांव या कस्बे का रहने वाला है।

Mr. Deputy Speaker: Mr. Yadav, please try to be very brief and relevant.

श्री रधु यादवः उपाध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद के निवासियों की मूलभूत परे ाानियां फरीदाबाद के निवासी ही बहुत खूबी से जान सकते है। अगर उनके निर्वाचित प्रतिनिधियो के हाथ में वहां का तंत्र हो तो वे नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए ज्यादा अच्छा काम कर सकेंगें। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो नाजायज अवैध निर्माण हो रहे है, जमीनों की नाजायज

बंदरबांट हो रही है, पार्कों और सड़कों को नाजायज आबंटन करके खत्क किया जा रहा है, यह महज आज की ही समस्या नहीं है। इस प्रकार अपने चहेतों को फेवर करने के लिए फरीदाबाद जैसे विकास ील एवं औद्योगिक भाहर का सर्वना ा कर दिया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, केवल तहसीलदार या किसी अधिकारी को सस्पैंड करने से बात बनने वाली नहीं है। हमें चाहिए कि पूरे मामले की छानबीन करवायें। जिन जमीनों पर कब्जें नहीं थे उनके लिए झूठे हल्फनामें दिये गये, झूठी सर्वें रिपोर्ट दी गई। ऐसे हर व्यक्ति को जो भी दोशी है उसे कड़े से कड़ा दंड दिया जाये जिन्होंने कोड़ियों के मोल नाजायज तरीके से बेनामी कब्जा दिखा कर भूमि हथियाई है। उन सब के प्लाटों को रदद किया जाये ताकि फरीदाबाद कम्पलैक्स बेहतर नागरिक सुविधा प्रदान कर सके। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि अपनी आस्था के अनुरूप इस सं ाोधन विधेयक को वापिस ले लें और जल्दी से जल्दी निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्र ाासन सौंपने का रास्ता साफ करें और साथ ही फरीदाबाद में बेहतर नागरिक सुविधाओं के लिए काम करे। आप सरकार में सांझी होने के नाते पूरी कोि ा ा करें कि जो अवैध रूप से जमीनें हड़पी गई है वे वापिस ली जायें।

श्री हीरा नंद आर्य(लोहारू): डिप्टी स्पीकर साहब, आदरणीय डाक्टर मंगल सैन जी, उप मुख्य मंत्री महोदय ने फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुले ान एंड डिपार्टमैंट) अमैंडमैंट बिल,

1989 प्रस्तुत किया है। इस सं ाोधन के विशय में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो उप मुख्य मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह परिस्थितियों की विडम्बना ही है जिस बात के बारे में डाक्टर साहब 18 साल तक विरोध करते रहे है उसी का समय ये स्वयं बढा रहे है। इसके बारे में कम से कम ये ऐसा आ वासन दे दें कि इसके बाद फिर समय नहीं बढाया जाएगा। मैं आ वासन उनसे जरूर चाहता हूं। हरियाणा सरकार के नेता ने, हमारी पार्टी ने सत्ता में आने के बाद सब से पहले पंचायत और म्यूनिसिपल कमेटियों के चुनाव कराये। जिस प्रकार से हमारी सरकार नीचे क इकाइयों में यानी पंचायतों और म्यूनिसिपल कमेटियों के स्वायत भाासन में वि वास रखती है उसी प्रकार से फरीदाबाद में भी जल्दी ही चुनाव कराये जाये। (विघ्न) अब तो केवल एक भाहर की बात है। पहले उस भाहर की परिस्थितियों का सहारा लेकर बार–बार चुनाव का समय बढाया जाता रहा है। समय समय पर वहां से अनेक प्रकार की ि ाकायतें आती रही है। (विघ्न) जहां पर पंचायतो और म्यूनिसिपल कमेटियों में चुने हुए प्रतिनिधि है वहां से भी ि ाकायतें आती रही है। लेकिन कम से कम किसी को यह कहने का मौका नहीं देना चाहिए कि एक भाहर फरीदाबाद में इतने सालों तक चुनाव नहीं हुए है। जिसके बारे में हम सारे पहले विरोध करते रहे है और आज जब हम सत्ता पक्ष की रतफ है तो हमें जनता को यह कहने का मौका नहीं देना चाहिए कि चुनाव नहीं कराये। जो अब समय मांग रहे है उसके अलावा और समय

न लें। हम ऐसी व्यवस्था करें कि कम से कम इस साल छः महीने मे ंया दो महीने में नये चुनाव हो जायें और जनप्रतिनिधि वहां का भाासन संभाल सकें। बे ाक अखबारेां में ि ाकायतें आती रहती है कि जनप्रतिनिधि होने के बाद भी अवैध निर्माण होते रहते है लेकिन उनके आने के बाद कम से कम सरकार के नोटिस में तो लाया जा सकता है। ब्यारोकैसी गलत तरीके से डील करती है जिसके कारण सारी गड़बड़ हो जाती है और जनता के प्रतिनिधियों को जवाबदेह होना पड़ता है। सरकार की बदनामी होती है। बदनामी ब्यूरोकैसी के लोग करवाते है। बदनामी का बायस हमें न बनना पड़े इसके लिए हमें ऐसा करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय मंगल सैन जी के इस प्रस्ताव को पास करना तो हमारी और आप सब की परिस्थितियों की मजबूरी है लेकिन बेहतर होता कि कम से कम ये इस बिल को पे ा न करते बल्कि किसी दूसरे से करवा देते।

श्री बीरेंद्र सिंहः और कौन पे ा करता?

श्री हीरा नंद आर्यः आप कर देते क्योंकि इन्होंने ही विरोध किया है। (व्यवधान व भाोर) तो मैं इन भाब्दों के साथ कि हम उनसे यह वि वास चाहेंगे कि दोबारा इसके लिये समय अवधि बढाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करेंगे, जल्दी ही वहां पर प्रतिनिध चुनकर कार्य भार संभाल लेंगे और ठीक प्रकार से काम चल सकेगा, आपका आभार प्रकट करता हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

उप मुख्य मंत्री(डा0 मंगल सैन): डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे लायक दोस्तों ने बड़े अच्छे सुझाव दिये है और कुछ अपने मन की बात भी इस सं ाोधन विधेश्क के माध्यम से कहने का प्रयत्नप किया है। (व्यवधान व भााोर).....डिप्टी स्पीकर साहब यह बड़ा मासूम, इन्नोसैंट अमैंडिंग बिल है। भाई रघु यादव जी कह रहे थे कि कम से कम यह सं ाोधन विधेयक यहां पर न लाते। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उलट कर फिर ब्यूरोक्रैसी के हाथ में यह काम सौंप देते? हममें तो केवल एनेबलिंग ऐक्ट में यह अधिकार चाहा है कि दो साल की अवधि बढायी जाये। मैं सदन को वि वास दिलाना चाहता हूं कि इस सरकार का और इसमें भाामिल पार्टियों का जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, मूल रूप में वि वास लोकतंत्र में है। यहां पर चुनाव हर हालत में दो साल से पहले ही नहीं बल्कि आने वाले कुछ महीनेां में करवा देंगे। इस बात का मैं वि वास इस हाउस को दिलाता हूं। (**इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए**) स्पीकर साहब, आखिर कुछ प्रकिया होती है। कुछ प्रोसैस होता है जिसको स्टार्ट करने में कुछ टाईम लगता है। अब हीर नंद आर्य जी को तो अनुभव है। रघु यादव जी को तो अनुभव नहीं है। वह कुछ कहें तो मुझे एतराज नहीं है लेकिन उनकी बातों के जवाब में कुछ कहने में मुझे संकोच हो रहा है और कुछ मजबूरियां सामने आ रही है। हम यह जो दो साल की अवधि मांग रहे है, यह मांग कर हम कोई जघन्य अपराध नहीं कर रहे है। हम पांच वर्श की मांग भी कर सकते थे। मेरे पास प्रस्ताव पांच वर्श का ही आया था लेकिन मैंने कहा

नहीं दो वर्श में हमने चुनाव करवा देने है। यह बात तो पहले ही कही जा चुकी है कि इस सांझे मोर्चे की सरकार में भाामिल पार्टियां चुनाव जीतने के बाद जून की गर्मी में जबकि हम बुरी तरह से झुलसे हुए थे और हमें लोगों का श्रेय और स्वागत मिल रहा था, हमने उसको छोड़ कर नगरपालिकाओं के चुनाव करवा दिये। हमारे कांग्रेसी भाई बैठते नहीं। जब भी वे बैठते है तो उनको बाहर भागने की लगी रहती है। पता नहीं उनको कोई काम होता है या नहीं और आज भी वे चले गये। उन्होंने 18–18 साल तक चुनाव नहीं करवाये थे। कुछ भाई यह कहते थे कि हाई कोर्ट का फैसला था। क्या हाई कोर्ट के उस फैसले को टालने में या उसको इवेड करने में कोई मु कल होती है? कांग्रेसी हमे ाा से चुनाव टालते आये है। लेकिन हमारी आस्था लोकतंत्र में है। जनता में हमारा वि वास है। मैं तो यहां तक कायल हूं कि there should be no taxation without reprsentation. यानी जनता के प्रतिनिधियों के बिना कोई टैक्स नहीं लगना चाहिये। फरीदाबाद एक बड़ा नगर है। यह दिल्ली के पड़ौस में बसा हुआ एक नगर है। फरीदाबाद का जो विकास हुआ है, उसमें जहां वहां के उद्योगपतियों ने पैसा लगाया, टैक्नीकल नो–हाउ ली, वहां पर मजदूर का पसीना भी बहा हुआ है। इस सरकार ने फैसला किया है कि हर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले को आसान कि तों पर जमीन दी जायेगी और इसके लिये पैसों का इंतजाम भी सरकार करवायेगी। बहुत जल्दी ही चौधरी देवी लाल जी उस प्रोजैक्ट का उदघाटन करने जा रहे है। मेरे

भाई कुंदन लाल जी ने इसके लिये बहुत संघर्श किया और यह कहा कि यह काम बहुत जरूरी है और यह होना चाहिये। मैंनें उनकी इस बात को सहज स्वीकार किया है। इसके अलावा उन्होंने वहां पर कोई काम चलाउ ऐडवाइजरी कमेटी बनाने की बात कही, हम उनकी इस बात पर विचार कर लेंगे। मेरा वि वास नोमिने ान की बजाय इलैक ान में ज्यादा है। लोग चुन कर आयें, जनता की इच्छा से आयें और उनकी तकलीफों को हल करें। किसी भाई ने ठीक ही कहा है कि only the wearer knows where the shoe pinches. अध्यक्ष महोदय, जनता में रहने वाले लोग जानते है कि कौन सा खडन्जा खराब है कौन सी गली खराब है, कहां पानी की आव यकता है और कहां पर हाउस टैक्स ज्यादा लगता है। स्पीकर साहब, मैं तो चाहता हूं कि फरीदाबाद कम्पलैक्स के ऐम्पलाइज की सर्विसिज प्रोविन्ि ायलाइज कर दी जाए। मेरा समय तो इसके कर्मचारियों की मांगों को निपटाने में ही निकल जाता है। दिल्ली के नजदीक होने के कारण वहां पर जमीन बहुत मंहगी है। मैं रघु यादव को कहना चाहता हूं कि जो कुछ वे कहना चाहते थे वे रूल 84 के अंडर ही कह देते लेकिन आपने अपनी बात थोड़ा घुमा फिरा कर कह दी कि कस्टोडियन की जमीन पर नाजायज कब्जा किया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद कम्पलैक्स में किसी नाजायज जमीन का नक ाा पास नहीं किया। हम कोई भी ऐसी बात नहीं होने देंगे जो अवैध हो और गैर–कानूनी हो। जो मलकियत का होल्डर है वह यदि नक ाा लेकर आएगा तो नक ाा पास करेंगे। हम अवैध

निर्माण के पक्ष में नहीं है और न ही अवैध निर्माण के नाम वर वैध निर्माण को गिराने के पक्ष में है। मैंने तो बड़ी नम्रतापूर्वक दो साल की अवधि की मांग की है और यह ऐसी मांग नहीं है जो जनता के हकों को छीनने वाली बात हो। हम और आप इक्ट्ठे ही है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर जो मेरे माननीय सदस्यो ने सं ाय उठाए है उनका मैंने निराकरण कर दिया है और कोई कमी रह गई होगी तो उसे फिर पूरा कर दूंगा। धन्यवाद।

Mr. Speaker: Question is-

That the Faridabad complex (Regulation and Development) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Deputy Chief Minister will move that the Bill be pleased.

Deputy Chief Minister(Dr. Mangal Sein): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(4) दि पंजाब मैडिकल रजिस्ट्रे ान (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1989

श्री अध्यक्ष: अब हैल्थ एंड आयुर्वेदिक मिनिस्टर, दि पंजाब मैडिकल रजिस्ट्रे ान (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1989 को इंट्रोड्यूस करेंगे तथा उसे कंसीडर करने के लिए मो ान मूव करेंगे।

स्वास्थ्य तथा आयुर्वेद मंत्री(श्रीमती कमला वर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब चिकित्सा पंजीकरण (हरियाणा सं ाोधन) विधेयक, 1989 प्रस्तुत करती हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करती हूं–

कि पंजाब चिकित्सा पंजीकरण (हरियाणा सं ाोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Medical Registration (Haryana Amendment) Bill be taken inoto consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab Medical Registration (Haryana Amendment) Bill be taken inoto consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That clause 3 stand part of the Bill.

The motin was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motin was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Titel of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Health and Ayurveda Minister will move that the Bill be passed.

Health & Ayurveda Minister(Shrimati Kamla Verma): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(5) दि पंजाब आयुर्वेदिक एंड यूनानी प्रैक्टी ानर्ज (हरियाणा अमैंडमैंट एंड वेलीडे ान) बिल, 1989

श्री अध्यक्ष: अब हैल्थ एंड आयुर्वेदिक मिनिस्टर, दि पंजाब आयुर्वेदिक एंड यूनानी प्रैक्टी ानर्ज (हरियाणा अमैंडमैंट एंड वैलीडे ान) बिल, 1989 को इंट्रोड्यूस करेंगे तथा उसे कंसिडर करने के लिए मो ान मूव करेंगे।

स्वास्थ्य तथा आयुर्वेदिक मंत्री(श्रीमती कमला वर्मा): अध्यक्ष महोदय मैं पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा व्यवसायी (हरियाणा सं ाोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 1989 प्रस्तुत करती हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करती हूं–

कि पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा व्यवसायी (हरियाणा सं ाोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Ayruvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Ayruvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Hon. Members, I have received a notice of amendment to this clause from Sardar Harnam Singh, M.L.A., he may please move his amendment.

श्री हरनाम सिंह(ााहबाद): स्पीकर साहब, इस बिल में यह लिखा है कि 25 नवम्बर 1989 तक आयुर्वेदिक और यूनानी बोर्ड की मियाद बढा दी गई है। मैं समझता हूं कि इलैक ान करवाने के लिए जो अढाई महीने का समय रह गया है इसमें इलैक ान होना असम्भव है। इसलिए इसको मुमकिन बनाने के

लिए इसकी मियाद एक साल के लिए और बढा दी जाए। यह मेरी अमैंडमेंट का मकसद है। इन भाब्दों के साथ मैं अपनी अमैंडमैंट मूव करता हूं–

That in sub-section (6) of Section 3 of the Principal Act for the words “twenty one years” substiture “twenty two years.”

Mr. Speaker: Motion moved-

That in sub-section (6) of Section 3 of the Principal Act for the words “twenty one years” substiture “twenty two years.”

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is-

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Titel of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Health & Ayurveda Minister will move that the Bill be passed.

स्वास्थ्य तथा आयुर्वेदिक मंत्री(श्रीमती कमला वर्मा): अध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करती हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

श्री अध्यक्षः अब हाउस कल प्रातः 9.30 बजे तक ऐडजर्न किया जाता है।

(12.45 बजे)

(तत्प चात् सदन बुधवार, दिनांक 13.9.1989 को प्रातः 9.30 बजे तक स्थगित हुआ।)

APPENDIX

158. Shri Harnam Singh: Will the Minister for Revenue be pleased to state-

(a) whether it is a fact that any Government land of Shahabad Pati Jhambran has been given to the Shahabad Cooperative Joint Farming Society; if so, when togetherwith the rate at which the said land has been given to the society;

(b) the period for which the land as referred to in part (a) above, has been given on lease; and

(c) the total revenue accured from the allotment on lease basis of the land, as referred to in part (a) above?

राजस्व मंत्री(श्री सूरज भान):

(क) राजस्व विभाग हरियाणा द्वारा पट्टी झांबरां भााहबाद में कोई सरकारी भूमि पट्टे पर नहीं दी गई थी। पट्टी झांबरां भााहबाद में स्थित 354 कनाल, 5 मरला मिलिटरी कैंपिंग ग्राउंड की भूमि में से 300 कनाल, 9 मरला भूमि सेना सम्पदा अधिकारी, दिल्ली सर्कल, दिल्ली कैंट द्वारा पट्टे पर दी गई थी। वर्श 1959–60 की जमाबंदी में दर्ज इंद्राज के अनुसार पूरे वर्श के लिए पट्टों की रा ि 1565 रूपये दिखाई गई है। यद्यपि कैंपिंग ग्राउंड की भूमि की मलकीयत के बारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार का आपस में विवाद चल रहा है क्योंकि दोनों सरकारें इस भूमि पर अपनी–अपनी मलकीयत बारे अपना क्लेम जताती है।

(ख) राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्र नाधीन भूमि खरीफ 1959 से सेना सम्पदा अधिकारी, दिल्ली सर्कल, दिल्ली कैंट द्वारा पट्टे पर दी गई थी। पट्टे का समय और पट्टे की वर्तमान दर बारे बताना कठिन है क्योंकि राजस्व रिकार्ड में इस बारे कोई इंद्राज नहीं है।

(ग) सूचना भून्य है क्योंकि पट्टे की रा ि। राज्य सरकार द्वारा वसूल नहीं की जाती।